राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या : 12

सोमवार,

15 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भरतसिंह जी।

जिला परिषद, कोटा के सदस्य का निलम्बन प्रकरण

516. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा जिला परिषद, कोटा के किसी सदस्य को निलम्बित करने के आदेश प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इस सदस्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सदस्य को बहाल करवाने के लिये जिला परिषद, कोटा के अन्य सदस्यों ने स्थायी समितियों के चुनाव का दो बार बहिष्कार भी किया ?

(3) क्या जिला परिषद सदस्य पर लगाये गये आरोप साबित हो गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निलम्बित सदस्य को पुनः बहाल करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : (1) जी, हां। जिला परिषद कोटा के सदस्य, श्री किशनचन्द्र गुप्ता के विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा की रिपोर्ट दिनांक 20-2-96 के अनुसार यह सूचना मिली कि दिनांक 16-2-96 को पंचायत समिति, सांगोद कार्यालय में उनके द्वारा विकास अधिकारी के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट, गाली गलौच की अवांछित कार्यवाही की गयी है। उक्त आरोपों की वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, कोटा द्वारा की गयी प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 11-3-96 से भी पुष्टि होती है। अतः श्री गुप्ता के विरुद्ध दुराचरण के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर विभागीय आदेश दिनांक 15-3-96 के द्वारा उन्हें निलम्बित किया गया था। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) यह सही नहीं है कि निलम्बित सदस्य को बहाल करवाने बाबत जिला

(२)

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

परिषद के सदस्यों द्वारा स्थायी समितियों के चुनाव का दो बार बहिष्कार किया गया है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु बुलायी गयी प्रथम बैठक में कोई नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर इसी सम्बन्ध में पुनः आहूत की गयी दूसरी बैठक में सिर्फ तीन सदस्यों द्वारा ही निलम्बित सदस्य को बहाल किये जाने के विषय को लेकर बहिष्कार किया गया था। दूसरी बैठक में भी कोई नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

(3) श्री किशनचन्द्र गुप्ता, सदस्य के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 (1) के अन्तर्गत उन पर लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण चाहा गया तथा उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिनांक 3-4-95 को दिया गया था परन्तु वे निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं हुए। श्री किशन चन्द्र गुप्ता द्वारा अपना लिखित प्रतिवेदन (जवाब) विभाग को दिनांक 6-4-96 को प्रेषित किया गया है। जवाब में श्री किशन चन्द्र गुप्ता द्वारा आरोपों को अस्वीकार करने पर इसकी विस्तृत जांच उप खण्ड अधिकारी, कोटा से करवायी जा रही है। जिला परिषद, कोटा के प्रमुख ने बहाल करने हेतु लिखा है परन्तु अन्तिम निर्णय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लिया जा सकेगा।

(जांच रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा के पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस दिन की घटना का उल्लेख है, उस दिन सम्बन्धित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति में किस कार्य से गये थे और क्या 25–11–95 को जिला परिषद कोटा की बैठक हुई थी, उस बैठक में सम्बन्धित सदस्य ने अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर जिला परिषद में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के ऊपर जिला परिषद का ध्यान दिलाया था तथा उसको लेकर जिला परिषद की बैठक में काफी हंगामा हुआ ? उसके बाद जो जांच की गयी, शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों के ऊपर नियुक्तियों को लेकर शिकायतें थीं उसकी जो जांच जिला परिषद से करायी गयी, उसमें उस शिक्षा अधिकारी से जांच करायी गयी है जिनके सम्बन्ध में शिकायत थी, इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह मामला उठा था लेकिन यह मामला पहले उठा था, घटना बाद में हुई। इसमें वहां पर जिला परिषद के प्रतिनिधि थे, विकास अधिकारी भी थे, जे. ईएन. भी थे और दूसरे लोग भी उपस्थित थे। वहां पर इस तरह की घटना हुई और घटना के बाद एफ. आई. आर. दर्ज हुई। सी. ई. ओ. को शिकायत हुई, सी. ई. ओ ने उप जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवायी थी। उसके बाद जब प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया तो ही कार्यवाही की। उसके बाद जांच के लिये हमने उनसे स्पष्टीकरण चाहा। उन्होंने स्पष्टीकरण देकर के इन आरोपों को नकारा। नकारने के बाद हमने इस सारे प्रकरण की वहां के

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

एस. डी. ओ. को जांच दे दी है और यह जांच आते ही इसमें क्या स्थिति है वह सारा पता लग जाएगा। उसके बाद जो भी स्थिति होगी, जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री भरतसिंह : मेरे प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया कि वह जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति में किस लिए गये थे ? उस विकास अधिकारी ने अपने उत्तर में क्या दिया है, सदस्य ने अपने जवाब में क्या दिया है ? वह पंचायत समिति में गये किसलिये थे, क्या जानकारी लेने गये थे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति मे जिला परिषद के सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य अलग-अलग कामों मे जाते रहते हैं। सदस्य ने जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि मैं क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर पंचायत समिति में गया था। इसलिये वहां पर कोई मीटिंग नहीं थी कि वे मीटिंग में गये हों। जिला परिषद के सदस्य पंचायत समिति की मीटिंग के सम्बन्ध में नहीं गये थे। जाते रहते हैं, हम सब लोग काम से जाते हैं। इसलिए किसलिए गये हों, यह प्रश्न इतना महत्व का नहीं है।

श्री भरतसिंह : माननीय मन्त्रीजी, जो आपने उत्तर दिया है उसमें और जांच समिति ने जो जांच की है उसमें स्पष्ट है कि सम्बन्धित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति में इसलिये गये थे कि पंचायत समिति में जो ग्राम सभाएं होती हैं उसकी सूचना पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य को नहीं देती। ग्राम सभा की जानकारी जब जिला परिषद सदस्य को नहीं होती कि कौनसी तारीख को है, कहां बैठक है इसके लिये वे पूछने गये थे कि आप इन बैठकों की सूचना हमारे पास क्यों नहीं भेजते। उसके ऊपर विकास अधिकारी ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। एक जिला परिषद का सदस्य जो पंचायत समिति में जाए और जो सदस्य 10 साल तक ग्राम पंचायत का सरपंच रह चुका हो, यदि उसकी इस प्रकार से दुर्दशा पंचायत समिति में हो तो आप कल्पना करिये कि महिला सरपंच और पिछड़ी जाति के जो लोग पंचायत समिति में जाएंगे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है।

सांगोद पंचायत समिति का मैं 10 साल तक प्रधान रहा हूं, मेरा गांव उसी पंचायत समिति में है, मैं नजदीक से देख रहा हूं कि व्यापक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। "अपना गांव अपना काम" योजना के 25 हजार रुपये एक पंचायत के तीन महीने तक वहां जमा थे उसका ड्राफ्ट जानबूझकर पंचायत समिति से जिला परिषद में नहीं भेजा गया था, काम को रोका गया था। यह सदस्य आपकी पार्टी से सम्बन्धित सदस्य है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जिला परिषद कोटा के 2 अन्य सदस्यों के खिलाफ भी इस प्रकार मारपीट या दुर्व्यवहार के आरोप आपके यहां विचाराधीन हैं।

माननीय अध्यक्षजी, इस विधान सभा में उस जिले के 2 विधायक इस प्रकार के हैं

(श्री भरतसिंह)

जिन्होंने 2 तहसीलदारों के थप्पड़ मारे हैं। उन पर कार्यवाही अपनी जगह है मगर, पंचायत मन्त्रीजी, आपको अगर ...

श्री अध्यक्ष : यह मामला अलग है, विधायकों की बात अलग है।

श्री भरतसिंह : अध्यक्षजी, पाइण्ट यह है कि दुर्व्यवहार के कारण....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भरतसिंह : मेरी बात तो सुनिये।

श्री नाथूसिंह गूर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया है, आप इस बात से तो सहमत होंगे कि मेरे सामने इस तरह के प्रकरण आते हैं, जैसे आपने कहा तो मैं उसमें पार्टी नहीं देखता हूं, क्या कार्यवाही हुई, कागज में क्या है वह देखता हूं और उसी आधार पर, माननीय सदस्य, मैंने आपसे कहा कि अगर भ्रष्टाचार की शिकायत है तो आप अलग से करिये, मैं जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा उसको कठोर से कठोर सजा दूंगा, नियमानुसार कार्यवाही करूंगा। जहां तक इस मामले का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री घनश्याम जी तिवाड़ी, नेक्स्ट।

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : बात हो गयी पूरी, वह जांच होगी तब होगा।

श्री भरतसिंह : नहीं, जांच नहीं हुई है इन्होंने दोषपूर्ण . (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गूर्जर : इस मारपीट की घटना के मामले के दो अलग-अलग वर्णन हैं। (व्यवधान) बी. डी. ओ. कुछ कह रहा है, माननीय सदस्य कुछ कह रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो इसलिये हमने एस.डी.ओ. को जांच दी है, सी.ई.ओ. को जांच नहीं दी। उप जिला शिक्षा अधिकारी की पहले प्रथम दृष्टया जांच आई, उसके बाद एस. डी. ओ. को जांच दे दी और उसको 2 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। ज्यों ही वह जांच रिपोर्ट आ जाएगी, इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर दी जाएगी। अब क्या बचता है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : बात कह दी, ऐसा कौनसा भारी पाइण्ट रह गया ?

श्री भरतसिंह : इसमें भारी पाइण्ट है। जिन लोगों को सुरक्षा के लिये आपको बैठाया है, जो कठिनाइयां लोगों के सामने आती हैं उसको दूर करने का दायित्व आपके पास है। आपने जो जांच रिपोर्ट अभी बतायी है, अगर आप एस. डी. ओ. की जांच पहले करवाते उसके अनुसार

(श्री भरतसिंह)

कार्यवाही करते तो समझ में आता। उस सदस्य ने नियुक्तियों के सम्बन्ध में जिला परिषद के अन्दर शिकायत की है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उसकी जांच आपने उन्हीं लोगों से करवायी है जिनके ऊपर आरोप हैं। स्वाभाविक है कि वे एक तरफ तो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसलिए अब एस.डी.ओ. से करवा रहे हैं।

श्री भरतसिंह : उसको निलम्बित कर रखा है। उसको बहाल करिये आप। जिला परिषद के जिस सदस्य को 10 हजार लोगों ने चुनकर भेजा है, उसको इन्होंने.... (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : चुने हुए सदस्य को इस तरह से हटाना तो अन्याय है, यह तो आप जरूर मानेंगे। (व्यवधान)

श्री भरतसिंह : एक तो जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट से (व्यवधान) जिसकी रिपोर्ट....

श्री अध्यक्ष : वह जांच हो जाएगी। अब इसमें कौनसा भारी काम रह गया है, 5–7–10 दिन तक जांच हो जाएगी जैसी भी होगी।

श्री भरतसिंह : यह भारी काम है। (व्यवधान) यह भारी काम कैसे नहीं है, साहब। (व्यवधान) मंत्रीजी, उन लोगों से आपने जांच करवायी है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या : 517. श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 1996)

जोधपुर एवं नागौर जिले की जल प्रदाय योजनाएं

28. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर एवं नागौर जिले में कहां-कहां पर 40 लीटर से 70 लीटर प्रति व्यक्ति जल देने की योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गयीं ?

(2) कौन-कौनसी योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया एवं कौन-कौन सी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी हो गयीं तथा किन-किन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गयी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जोधपुर एवं नागौर जिले में 40 से 70 लीटर की योजना से वंचित ग्राम हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसे एवं कब तक इन ग्रामों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(4) इस योजना से ग्रामों को वंचित रखने के लिए विभाग के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जोधपुर एवं नागौर जिले में स्वीकृत 40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की संवर्द्धन योजनाएं एवं ग्रामों का वांछित विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 3 तथा 4 पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां। वांछित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। इन ग्रामों हेतु उचित जल स्रोतों का सर्वेक्षण किया जाकर योजनाएं बनायी जाएंगी तथा इन्हें धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया जा सकेगा।

(4) कोई अधिकारी दोषी नहीं है। योजनाएं उचित जल स्रोतों की उपलब्धता पर आधारित होती हैं तथा इनका क्रियान्वयन धन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्रीजी ने जो बताया, उसमें पहले तो मैं यह बात पूछना चाहूंगा कि यह योजना 40 से 70 लीटर की कब शुरू हुई ? नम्बर–एक।

दूसरा, इसमें क्या भारत सरकार को पैसा मिलता था ?

नम्बर तीन, इसके अन्दर बहुत-सी योजनाएं 1989 में बनीं और वे आज तक पूरी नहीं हुई, जो उत्तर इन्होंने दिया है, उसके अन्दर अपने आप में लक्षित है। इन्होंने कहा कि वांछित धन उपलब्ध होगा और उसके अन्दर योजनाएं बनाएंगे। योजनाएं तो बन गयीं और इसी सदन में मंत्रीजी ने पहले मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि यह इसमें गलती हुई है और मैं विभाग की तरफ से इसके लिये क्षमा मांगता हूं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और इसी सत्र में इन योजनाओं के ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा और यह पूर्ण हो जाएंगी। वे पूरी हुई नहीं। आप पहले तो इनका जवाब दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परिशिष्ट–"क" आप देखेंगे तो इसमें यह जो पूर्ण योजनाएं हैं उनकी भी काफी बड़ी संख्या है। आपके पास यह परिशिष्ट है। कुछ अपूर्ण भी हैं। यदि आप चाहें तो अपूर्ण योजनाओं के कारण मेरे पास हैं कि वे क्यों नहीं पूरी हो सकीं। कहीं-कहीं तो स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या स्रोत उपलब्ध कराने की रहती है। अगर स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं तो वहां पर देर लगती है और मैं इस बात को फिर दुबारा मानता हूं कि कुछ गांव ऐसे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हो सकते हैं कि जिनको इस योजना में लेना चाहते थे, वे रह सकते हैं। यह भारत सरकार से पैसा आता है वह ईयर मार्क तो होता नहीं है, अन्दाज करते हैं कि अगला पैसा इतना मिलेगा तो हम अगले तीन साल की योजना इस अन्दाज में बनाते हैं कि इतना पैसा आयेगा। उस अन्दाज के आधार पर वह धन उपलब्ध होता है उससे योजनायें पूरी करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसके धन स्रोत के उपलब्ध होने में। इसलिये देर लगती है। बाकी आप देखेंगे तो यह काम बहुत बड़ी संख्या में पूरे किये गये हैं। बहुत काम हो रहे हैं। सैंकड़ों की संख्या में काम किये गये हैं। अब कुछ रहे हैं तो उनके कारण यह रहे हैं। फिर भी आप अगर कोई ऐसी सूची दे दें कि जिनके यह स्रोत थे और योजनान्तर्गत मापदण्ड में आते थे और वहां नहीं हुए हैं तो मैं निश्चित रूप से उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा।

जहां तक आपने जांच का प्रश्न पैदा किया, अभी पिछले दिनों में हमने फिर एक आदेश निकाला है और यह आदेश दिया कि एक महीने में इसकी जांच करके जो भी दोषी हैं उसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजी जाए मैं समझता हूं कि वह जल्दी आ जाएगी और उसके बाद जैसी भी कार्यवाही करनी हो, कर देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी से .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब तो कोई बात ही नहीं रही।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, देखिये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार इसका पैसा दे रही है और मैंने पूछा कि यह योजना कब से चालू हुई ? योजना विभाग के अधिकारियों ने नहीं बनायी। आपने जैसा फरमाया कि वहां पर सोर्स नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा एक ही योजना का कि पीरावास की जो योजना है उसका 1989 के अन्दर ट्यूबवेल खुद गया और आज तक खुदा हुआ पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि सोर्स नहीं है। मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी इस सदन के अन्दर मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि मैं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और इसी सत्र में योजनाएं शुरू हो जाएंगी। तो आप देखिये, अध्यक्ष महोदय, हमारी....

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट दे दें कि कौन-कौनसी योजनाएं रह गयी हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : लिस्ट है, अध्यक्ष महोदय, आपके पास में लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष : कौन-कौनसी रह गयी हैं, यह मन्त्रीजी को आप बता दें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि जिन योजनाओं की आपने प्रशासनिक स्वीकृति 1989 के अन्दर जारी की उसके बाद कई योजनाओं की सात साल, आठ साल, नौ साल बाद तकनीकी स्वीकृति जारी की, क्या उसके लिये आप दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? आठ–नौ साल हो गये,

(8)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

पूर्व की योजना है, उसकी प्रशानिक स्वीकृति 1989 में हो गयी और आज तक काम नहीं हुआ। रतकुडिया बासनी की नौ साल बाद में तकनीकी स्वीकृति जारी हुई। आप देखिये कि जितना सत्यानाश आपके विभाग के अधिकारियों ने किया है और आपने इस सवाल को पहले इसलिये स्थगित किया था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आपसे संबंधित नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को स्थगित इसलिए कराया गया कि किसी तरह से विभाग के अधिकारियों को बचाया जाये। मैं, मन्त्रीजी, आपसे यह उम्मीद नहीं करता हूं। आपने पहले भी सदन में यह विश्वास दिलाया था कि उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। भारत सरकार का पैसा है और आपके अधिकारी बिलकुल निकम्मे हैं। वे काम नहीं करना चाहते हैं और आप उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसके बारे में आप बताइये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पूछना चाहता हूं इसमें।

श्री अध्यक्ष : इनकी पूरी बात आप सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद निवेदन किया कि कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसी बात नहीं है। कार्यवाही की प्रक्रिया है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : प्रक्रिया को साल भर हो गया। साल भर पहले आप ...

श्री अध्यक्ष : आप बात तो सुनें, जवाब तो सुनें, और भी कोई ..

श्री राजेन्द्र चौधरी : प्रक्रिया को साल भर हो गया। साल भर पहले आपने जवाब दिया था। (व्यवधान) साल भर हो गया। साल भर पहले आपने सदन में आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जवाब दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब आपका मानना है कि उसमें विलम्ब हुआ है तो थोड़ा जल्दी कर देंगे। उसमें ज्यादा इनको कर देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नौ-नौ साल हो गये हैं, योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति आपने जारी कर दी ...

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बात तो सुनो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : और तकनीकी स्वीकृति आपने जारी नहीं की। डिले ....

श्री अमराराम (धोद) : तकनीकी स्वीकृति आपने जारी नहीं की। डिले की आपने कोई कार्यवाही नहीं की। मन्त्रीजी, आप तो बताइये कि ..

श्री अध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : डिले किसने किया है ? जनता के पैसे को बरबाद किया है। पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया गया है ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : उन पर कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। जवाब ही नहीं आ रहा है, कृपया विराजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए था और जो मिला है उसका पूरा उपयोग हुआ है, बरबाद नहीं हुआ है। उनका कहना यह है कि कुछ गांव रह गये हैं उनको भी जोड़ा जाये। बरबाद नहीं हुआ है इसमें। कोई एक गांव का.... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है।

श्री राजेन्द्र चोधरी : मेरा पाइंटेड प्रश्न है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनो आप। आपने जो परिवास का जिक्र किया है, यहां मेरी जानकारी के आधार पर जमीन का झगड़ा था। जमीन उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो अब जिला प्रशासन ने पटवारी को निर्देश दिये हैं कि वह (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चोधरी : आप बिलकुल असत्य बयान दे रहे हैं। ट्यूबवैल खुदा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि बिजली का कनेक्शन पी. एच. ई. डी. ने एप्लाई किया है। कैसे बात कर रहे हैं ? आप बिलकुल गलत बयान कर रहे हैं, असत्य बयान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कौनसे गांव की बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनट पूरा सुन लें।

श्री राजेन्द्र चोधरी : बिलकुल असत्य बात कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पीरावास की बात कर रहे हैं आप ?

श्री राजेन्द्र चोधरी : हां, पीरावास की कह रहा हूं। ट्यूबवैल खुदा हुआ है, बांदरा के अन्दर और 1989 में खुदा है। 1989 में बिजली का कनेक्शन दिया गया, मोटर लगी, पम्प लगा और पाइप 1989 से पड़े हुए हैं। आप कैसे गलत बयान कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं-नहीं, मैं जो कह रहा हूं, जो मेरे पास सूचना है, उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र चोधरी : हां, तो गलत सूचना है। मैं यही तो कह रहा हूं कि अधिकारियों ने आपको गलत सूचना दी है और मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को....

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर गलत सूचना है....

श्री राजेन्द्र चौधरी : बिलकुल गलत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप पूरी बात सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर सूचना गलत आई है तो देख लूंगा अभी। अगर सूचना गलत है तो I will take note of it today. ऐसी क्या बात है, विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीना काकजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खाली एक बात का सवाल नहीं है। आप देखिये, यह .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गयी बात। आप सूची दे देना, इन्होंने मांगी है और बहुत से... (व्यवधान) बीना काकजी।

श्री उदयलाल आंजना : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां एक भी योजना चालू नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात सुनिये। (व्यवधान) इन्होंने कहा कि आदासून में 1989 से अपूर्ण पड़ी है। कैसे यह योजनाएं अपूर्ण पड़ी हैं? आपने मुझे उत्तर दिया है। आप देखिये कि 1990 के अन्दर थी, अपूर्ण पड़ी है। आपका यह क्या तरीका है? मतलब, आप देखिये कि भारत सरकार से पैसा........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात हो गयी न। यह तो आप दे देना और कोई लिस्ट बाकी रह गयी हो तो। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में आप आसन पर विराजे हुए थे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। यह आपने जिरह कर ली है। आप हरजीरामजी, बोल नहीं रहे हैं, बोलना है तो बोलिये हरजीरामजी साहब।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप आसन पर विराजे हुए थे और लीपापोती का जवाब दिया जा रहा है। लीपापोती का जवाब दिया जा रहा है। यह कौनसी बात हुई? आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। अब हो गयी बात। रक्षा ही कर रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : इतनी देर लग गयी है इस प्रश्न में और कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप देखिये न, उत्तर दिया है वह अपूर्ण है। सदन को गुमराह कर रहे हैं उत्तर देकर के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बुरडक साहब। कृपया विराजिये।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल है।

श्री उदयलाल आंजना : गलत उत्तर देते हो तो फिर प्रश्न लगाने का मतलब क्या रह गया ? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल है। मुख्य बात यह है कि चालीस लीटर की जो पहले की योजना थीं उनको सत्तर लीटर करने का यह प्रश्न है। तो क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि जो चालीस लीटर से पहले योजना बनी थी वह सभी के लिए आपने सत्तर लीटर की योजना स्वीकृत की है या जिनका अधिकारी भिजवाते हैं उनके लिए कर दिया और बाकी के लिए नहीं कर रहे हैं ? क्या यह कोई टाइम बांउण्ड प्रोग्राम था इन दोनों जिलों के लिए, नागौर और जोधपुर के लिए कि इतने दिनों में अधिकारी यह योजना बनाकर भेजेंगे और स्वीकृति कराएंगे या इनको अधिकारियों की मर्जी पर छोड़ दिया ? इसका आप उत्तर दें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां बिलकुल पाइंटेड प्रश्न किया था...

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुन नहीं रहे हो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : पिछले सत्र में मन्त्रीजी ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि.....

श्री अध्यक्ष : पूरी बात नहीं सुन रहे हो, यही तो दिक्कत हो रही है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मेरी बात तो कह दूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दी बात। आप पहले इनकी बात सुन लें और बाद में कोई और रह गया हो तो बता सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने जो उत्तर दिया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, विराजिये आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चालीस लीटर और सत्तर लीटर प्रति व्यक्ति (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिये न आप (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : यहां उनके कम है, बीस लीटर की जो स्कीम्स बनायी गयी हैं.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपा करके आप विराजिये। क्या हो रहा है यह ?

श्री कन्हैयालाल मीणा दूसरा, मेरा यह था कि पशुओं को पीने के पानी का जो प्रावधान है और उसमें पशुओं को मिलाकर के सौ लीटर का है ...

श्री अध्यक्ष : वह अलग से आप बात कर लेना। आप विराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसलिए चालीस और सत्तर से काम नहीं चलने वाला है। कम से कम इसको सौ लीटर किया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें.... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : योजना के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, उसके ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वह भी बोल रहे थे, मैं भी बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : अभी जोधपुर और नागौर की बात हो रही है। आप विराजिये। अभी कई माननीय सदस्यों के प्रश्न आये हैं। इस तरह से बात–बात पर क्यों खड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसी बारे में कोई सवाल पूछना है तो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये न। आप कितने प्रश्न पूछेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने तो प्रश्न पूछा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो मूल प्रश्न कर रहे हैं उनका प्रश्न आने दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने अभी कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है। कितने पूछेंगे, मैंने तो अभी एक भी सवाल नहीं पूछा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, जोधपुर और नागौर वाले ही पूछें अभी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे जो विश्व बैंक .

श्री अध्यक्ष : यह नागौर और जोधपुर जिले से ही पूछा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : विश्व बैंक से जो हमारे यहां पानी का पैसा मन्जूर हुआ है, दो–दो साल से सांगानेर और बगरू के लिये पैसा मन्जूर पड़ा है....

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। मेरे को प्रश्न लेने हैं अभी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उस पर काम नहीं हो रहा है। यह भी जानकारी करना मेरा काम है।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न में एक-एक घंटा हो रहा है, मेरे को कोई प्रश्न भी लेने देंगे कि नहीं ? विराजें आप। मर्जी आये जब खड़े हो करके ... (व्यवधान) ...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मर्जी नहीं है, सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको तो बोलने का हक नहीं दिया न मैंने। अभी जोधपुर और नागौर वालों को दिया है। विराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : असेम्बली में सदस्य के नाते बोलने का हक है इसीलिए मैं आपसे मांग कर रही थी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको बहुत हक है पर बाद में, मेरे से परमिशन लेकर बोलें। आप बिना परमिशन नहीं बोलें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्षजी, आपसे परमिशन लेकर ही बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लेकिन आपके दूसरे सदस्य बिना परमिशन बोल रहे हैं तब भी आप मना नहीं कर रहे।

श्री अध्यक्ष : मैंने हरजीरामजी बुरडक को ही अलाउ किया है और किसी को नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वे इधर भी बोल रहे हैं, उधर भी आपने मना नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : उनको भी मैंने मना कर दिया। विराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पर फिर भी बोलते रहे न वे मना करने के बावजूद भी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। विराजें न आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : देखिये, मैं तो बोले बगैर नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। नो, नोट अलाउड।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बोलूंगी यह बात। मेरे बगरू और सांगानेर की जो विश्व बैंक का पैसा है....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी जिद कर रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वह कब तक लगेगा ? यह मैं बोलूंगी और बोल कर रहूंगी।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, इधर भी देखो।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब दे रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह : मैं नागौर से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। आपकी मर्जी आये जब खड़े हो करके प्रश्न पूछने लग जाओ आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदस्या सांगानेर की बात कर रही हैं, हम तो नागौर की कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बात सुनें पहले आप।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी कांस्टीट्यूएंसी फलौदी का सीधा प्रश्न है और मैं....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आप बात सुन लें। मैंने जोधपुर और नागौर के लिये जरूर कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो 40–70 की योजना है इसमें क्राइटेरिया यह रहता है कि जहां 50 प्रतिशत नीचे लेवल चला जाए तो जो सोर्स हैं वह 50 से कम हो जाएं, एक तो यह रहता है। दूसरा, पानी की क्वालिटी खराब हो जाए या कोई नया सोर्स डवलप हो जाए, इन तीन आधार पर ही इनका चयन किया जाता है। इसलिये अधिकारियों की मर्जी पर नहीं है कि यह चाहें जिसको छोड़ दें, चाहें जिसको नहीं छोड़ें। यह तीन क्राइटेरिया हैं, इनके आधार पर ही गांवों का चयन किया जाता है और उसी आधार पर चयन किया हुआ है।

श्री हरजीराम बुरडक : यह क्राइटेरिया जहां फिट हो गया वहां तो हो गया क्या ? यह कह दीजिए आप। आपने जो क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया के हिसाब में जो स्कीमें आ रही थीं वह तो हो गयीं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सारे हो गये, यह मैं नहीं कहता।

श्री हरजीराम बुरडक : दो जिलों का.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सारे हो गये हों तो फिर तो ...

श्री हरजीराम बुरडक : यही मैं कह रहा हूं कि आपने अधिकारियों की मर्जी पर छोड़ दिया। जो स्कीम बना कर भेज दी वह तो ठीक है ...

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। बात सुनें पहले।

श्री हरजीराम बुरडक : अगर नहीं भेजी तो इसमें आपने कुछ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : बात ही पूरी नहीं होने देते हैं और आप फिर खड़े हो रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं तो, गलत बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, बाद में कह देना न आप,

(श्री अध्यक्ष)

आपको अधिकार है। बार–बार आप खड़े मत होइये। माननीय सदस्य, कृपया कोआपरेट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह तीन आधार हैं। आप इतनी उत्तेजना में क्यों आते हैं ? यह तीन आधार मैंने बताये हैं, इसके आधार पर यदि आपको लगता है कि कोई गांव रह गये हैं तो आप मुझे सूची दे दीजिये। इसमें क्या दिक्कत है। बता दीजिये आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलकुल पाइंटेड प्रश्न आपसे किया है, मन्त्रीजी इसको बिलकुल साइडट्रेक कर रहे हैं। मैंने आपसे यह निवेदन किया है कि पिछले सत्र के अन्दर मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि मैं इसकी जांच करूंगा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और इसी सत्र में यह योजना, जो बाकी रह गयी है, पूरी हो जाएंगी। यह कहा था। तो आपकी कोई भी बात पूरी नहीं हुई। नम्बर एक।

दूसरा, जो आपने अभी उत्तर दिया, उत्तर को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। पिछली बार आपने प्रश्न को इसलिये पोस्ट-पोन किया था इस सदन के अन्दर एक तारीख को, और इसको आप देख लीजिये, 1989 की जो योजना है इसके अन्दर अभी तक उसको आपने अपूर्ण बता रखा है। आपने 1989 की रामड़ाबास तिगरा योजना को अभी तक अपूर्ण बता रखा है। जो सोर्स की बात की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप के ट्यूबवैल खुद गये, आप उनको जोड़ नहीं रहे हैं। मैंने पीरावास की बात इसलिये कही थी, आप सदन में गलत उत्तर दे रहे थे। वहां पर ट्यूबवैल खुदा हुआ है, पीरावास योजना के नाम से खुदा हुआ है जिसमें यह कानून भी लागू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि इसमें झगड़ा है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कोई झगड़ा नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे है कि झगड़ा आ गया इसमें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कोई झगड़ा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, बिलकुल असत्य बयान दिया गया है। अधिकारी मन्त्रीजी को गुमराह कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इसके लिये दोषी अधिकारी हैं। योजनाएं इतनी लम्बित, पैंडिंग हो गयी हैं और उसके लिये आप.... (व्यवधान) ...

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य से कहा है....

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मेरे अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है तो यहीं बैठे हैं वो और आप भी यहीं हो, आज ही एक्शन लूंगा गलत दिया है तो। और क्या कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अब फिर आश्वासन दे दें कि यह पूरी कब हो जायेगी जो अधूरी रह गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप । माननीय विश्नोई साहब, आपको भी कुछ पूछना है ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अधूरी रह गयी हैं वह कब पूरी हो जायेंगी, यह तो बता दें आप ।

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई साहब, आप पूछिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जल्दी से जल्दी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जल्दी से जल्दी क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यथाशीघ्र । As soon as possible.

श्री अध्यक्ष : हां, अब बोलें आप ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : पिछली बार भी आपने इसी सत्र की बात की थी ।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, नागौर का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : बोलो न तो आप ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : पिछली बार, मन्त्रीजी, आपने इसी सत्र की बात कही थी, पिछले सत्र की, अब आप क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें, विराजें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अब आप क्या कहेंगे ? पिछली बार इसी सत्र की बात आपने कही थी ।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि नागौर जिले में जो भी जनता जल योजनाएं ली गयीं, चालू की गयीं उनको एक पैसा आज तक नहीं दिया गया, क्या सरकार उन योजनाओं में पैसा देकर उनको चालू करने का विचार रखती है और यह अधूरी योजनाएं कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल से तो इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रिछपाल सिंह : सम्बन्ध कैसे नहीं है, साहब ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं फिर भी जवाब दे रहा हूं । आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है । जनता जल योजना जितनी सफल होगी उतना ही.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नागौर जिले का प्रश्न है, नागौर जिले के सदस्यों को पूछना है, विराजें आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, पर मन्त्री महोदय कह रहे हैं, उससे सम्बन्धित ही पूछियेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो जनता जल योजना है यह काफी लाभकारी योजना है लेकिन पिछले दिनों में इसमें कुछ अड़चन आ गयी थी। अभी जब परसों मांगें पास हो रही थीं तब शायद आप विराज रहे होंगे तो ठीक है वरना तो हमने एक करोड़ रुपये इसलिये रखे हैं कि यह जो आने वाली दिक्कत है उसको हम पूरा करेंगे। आपकी कोई ऐसी योजना हों, जो पैसे के अभाव में चल नहीं रही हों तो कृपा करके मुझे सूची दे दें, मैं पूरा करवा दूंगा।........ (व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीनाजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्षजी, मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त। श्रीमती बीनाजी। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्षजी, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई है तो आप अन्य माध्यम से आ जाना। (व्यवधान) मैं आपको विनम्र निवेदन कर रहा हूं, राजेन्द्रजी, आप किसी और माध्यम से आ जाना अब।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने कहा, एक करोड़ रुपया रखा है। भले ही आप कितने ही पैसे रखो, मेरे क्षेत्र में तो एक रुपया नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो और स्पष्टीकरण करवा लेना आप। प्लीज, अब विराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप तो मेरे अधिकारों की रक्षा करोगे।

श्री अध्यक्ष : हां, मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। आधा घंटा हो गया इसमें। विराजें आप। श्रीमती बीनाजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सरकार का पैसा है और आपके अधिकारी उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप इसको... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि आप अभी मिल लेना, अभी कार्यवाही करेंगे। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : (व्यवधान) आप बिलकुल +++ हैं और आपकी कोई पकड़ नहीं है आपके प्रशासन पर, आपके विभाग पर।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, आपकी कोई पकड़ नहीं है आपके विभाग के ऊपर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीनाजी।

जिला पाली में केरोसिन वितरण

518. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती बीना काक)

(1) पाली जिले के जिला मुख्यालय/नगर परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को कितना-कितना कैरोसिन तेल प्रति राशन कार्ड प्रति माह दिया जा रहा है ?

(2) पाली जिले की अन्य नगरपालिकाओं के क्षेत्र में कितना कैरोसिन तेल प्रति कार्ड, प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या इसमें कोई असमानता है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में तेल वितरण किये जाने वाली निर्धारित मात्रा के सम्बन्ध में कोई निर्देश व मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो राज्य के अन्य जिलों के शहरी क्षेत्रों में कैरोसिन तेल वितरण किये जाने वाली क्या मात्रा निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) पाली जिला मुख्यालय/नगर परिषद क्षेत्र में 3 यूनिट तक के राशन कार्ड पर माह में 5 लीटर तथा 3 से अधिक यूनिट के राशन कार्डों पर माह के प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष में मिलाकर 10 लीटर कैरोसिन उपलब्ध कराया जाता है।

(2) पाली ज़िले की अन्य नगरपालिका क्षेत्र में 5 लीटर कैरोसिन प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। इसमें असमानता का कारण पाली शहर का औद्योगिक शहर होने के कारण अधिक मजदूर परिवार तथा मुख्यालय पर अन्य ईंधन का पर्याप्त उपलब्ध नहीं होना है।

(3) राज्य सरकार द्वारा कैरोसिन तेल वितरण के लिये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में समान मात्रा में कैरोसिन वितरण के आदेश जारी किये हैं फिर भी जिला स्तर पर जिला कलक्टर्स के द्वारा उपलब्धता के आधार पर मात्रा निश्चित की जाती है। विभागीय निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम यानि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है। हर सवाल में, बहुत खेद है कि जो अधिकारी जवाब गोलमोल घुमाकर के दे देते हैं करीब–करीब सभी मन्त्रीगण उन्हें डिफेंड करके अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे एडमिट नहीं करते।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मन्त्री) : आपके भी यही करते हो।

श्रीमती बीना काक : आप तो फिर कोई सही उदाहरण देने का कष्ट करें न। You try to give a better administration and better government.

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं।

श्रीमती बीना काक : तो मेरा यह सवाल है कि इस....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जो हमारा हाल हुआ वह आपका होगा।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें। (व्यवधान) कृपया विराजें, विराजें आप। इन्हें पूछने दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने जो किया वह हमने कर दिया। हमने क्या जवाब दिया, हमने जो किया वह हम भुगत रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपका कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं। (व्यवधान) कृपया शांति रखें अब।

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान) क्या जवाब दे आदमी। हमने किया, हम भुगत रहे हैं। अब आप कर रहे हो आप भुगतोगे तब इधर बैठ कर यों-यों करोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समय जाया न करें।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, पहले इसमें जवाब दिया है कि तीन यूनिट तक के राशन कार्ड पर माह में 5 लीटर तथा 3 से अधिक में इतना लीटर दिया जाता है।

बिलकुल पाइटेड क्वेश्चंस हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करके यह चाहूंगी कि इनके पाइटेड जवाब आ जाएं। पहला सवाल यह है कि 3 यूनिट तक के राजस्थान में, या चलिये पाली जिले का सवाल है इसलिये पाली जिले तक सीमित रहती हूं, 3 यूनिट तक के पाली जिले में करीबन कितने प्रतिशत राशन कार्ड बनते हैं, एवरेज आप बता दीजिये ? नहीं पता हो तो अधिकारी से स्लिप मंगवा करके बता दें कि कितना प्रतिशत 3 यूनिट तक के राशन कार्ड बनते हैं ? 3 यूनिट के कितने प्रतिशत राशन कार्ड बांटे हैं ? दूसरा, इन्होंने जवाब दिया है कि असमानता का कारण पाली शहर का औद्योगिक शहर होने के कारण अधिक मजदूर परिवार तथा मुख्यालयों पर अन्य ईंधन का पर्याप्त उपलब्ध होना नहीं है। चलिये, मान लिया। पाली शहर में तीन तो गैस एजेन्सीज़ हैं और दो या तीन प्राइवेट गैस एजेन्सीज हैं जहां से इनकी ईंधन की व्यवस्था हो जाती है।

तीसरा, नगरपालिका क्षेत्रों में 200 रु. क्विंटल लकड़ी मिलती है और 400 रुपये क्विंटल कोयला, चाहे वह लकड़ी का हो चाहे वह पत्थर का हो, वहां पर मिलता है। मेरा यह कहना है कि जो मजदूरों के लिए आप कह रहे हैं अधिकतर मजदूरों के पाली के अन्दर राशन कार्ड बने हुए नहीं हैं, यह असमानता है। कहां लिखा है ? चूंकि वहां मजदूर है और जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में मजदूर हैं, बहुत बड़ी मण्डी है, वहां पर भी मजदूर हैं। लेकिन ईन्धन के लिये आप लकड़ी कटवाना चाहते हैं कि जंगलों से यह लकड़ी चोर कर लायें, कांटें और ईंधन की व्यवस्था करें। अगर गलती हो रही है कि असमानता है तो उसे एडमिट करने में क्या दिक्कत है, क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप कि इस वजह से है ? यह कोई वजह नहीं है।

आपने इसमें दिया है कि आबंटन किन पाइंट्स पर किया जाता है। उसमें साफ

(श्रीमती बीना काक)

लिखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में असमानता नहीं होनी चाहिए।

चौथा, मेरा सवाल है कि क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सभी जगह पर समान वितरण हो। अगर 14 लाख लीटर कैरोसिन आता है तो सब जगह समान वितरण हो और यह आपके निर्धारित मानदण्ड में भी असमानता क्यों है? इससे I am not convinced.

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने पूछा है कि 3 यूनिट से कम कितने राशन कार्ड हैं। पाली शहर में 3 यूनिट के राशन कार्ड 8,641 हैं।

श्रीमती बीना काक : कितने पर्सेन्ट? एक या दो पर्सेन्ट आते हैं।

डा. रामप्रताप : मैं आपको बता रहा हूं, 3 यूनिट से अधिक 28,710 राशन कार्ड हैं। अब दूसरा इनका जवाब है कि इनमें 10 और 5 का फर्क है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना कैरोसिन हमें केन्द्र सरकार से मिलना चाहिए क्योंकि सब्सिडाइज्ड आइटम है और केन्द्र सरकार हमें जितना कैरोसिन देती है उसके हिसाब से हम उसका आगे आबंटन करते हैं। जिला स्तर पर जिला कलक्टर को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह स्थानीय हालत को देखते हुए उसका वितरण करें। पाली शहर जैसा माननीय सदस्या ने यह माना है कि वह एक औद्योगिक क्षेत्र है, ज्यादा मजदूर वर्ग होने की वजह से और बड़ा शहर होने की वजह से दूसरी आल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं है....

श्रीमती बीना काक : व्यवस्था है।

डा. रामप्रताप : इस वजह से कलक्टर ने अपने स्तर पर ऐसा किया है। दूसरा नगरपालिका क्षेत्र में, जैसे माननीय सदस्या का क्षेत्र है वहां पर चूंकि आसपास थोड़ी बहुत लकड़ी और अन्य साधन मिल जाते हैं इसकी वजह से यह व्यवस्था की गई है। फिर भी हम जब बार-बार केन्द्र सरकार से मांग करते हैं और हमें जब भी कैरोसिन उपलब्ध होगा तो माननीय सदस्या का जो सुझाव है उसको लागू करने का मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा कि इस प्रकार असमानता न हो।

श्रीमती बीना काक : मैं जो कह रही हूं आप उलटी बात कह रहे हैं। मैं कह रही हूं, चूंकि पाली नगरपालिका क्षेत्र में तीन तो गैस एजेंसीज हैं, दो प्राइवेट एजेंसीज भी हैं। रूरल एरिया के अन्दर जो दूसरी नगरपालिका है, पाली को छोड़कर वहां पर कुछ भी नहीं है, ईंधन की कमी है, कोयला महंगा है, लकड़ी महंगी है फिर यह असमानता क्यों हो रही है? आप यह कह रहे हैं कि यह जो डिस्क्रिपेंसी है, यह जो असमानता है, यह इस वजह से है। यह तो कोई वजह है ही नहीं, माननीय मन्त्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री दीवान साहब।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : मैं मंत्री महोदय से एक चीज निवेदन करना चाहता हूं। क्या यह सही है कि पाली के आसपास ग्रेनाइट की कई इकाइयां हैं जिनके अन्दर कैरोसिन एज ए कूलेंट यूज होता है? पाली में ज्यादा कैरोसिन इसलिए दिया जा रहा है कि वहां से हर राशन की दुकान से

(श्री माधवसिंह दीवान)

अलग-अलग ड्रम भरे जाएं, शाम को ट्रकें आती हैं इन इकाइयों वालों की और यह कैरोसिन भरकर ले जाती हैं और वहां यह यूज होता है। जो सब्सिडाइज्ड कैरोसिन जनता को उपलब्ध होना चाहिये, वह राशन डीलर, डी. एस. ओ. और वहां की सप्लाई एजेन्सी मिलकर ग्रामीण लोगों को कैरोसिन नहीं दे रहे हैं और वहां दे रहे हैं ताकि उन इकाइयों को सस्ता कैरोसिन उपलब्ध हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री माटी जी।

श्री भीमराज माटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पाली के लिए ही कैरोसिन के बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में यह आया है कि कैरोसिन के मामले में इर्रेगुलरिटी करने के लिये कैरोसिन समय पर उपलब्ध नहीं कराने के लिए और कैरोसिन की रेट ज्यादा चार्ज करने के लिए एक ही व्यापारी के खिलाफ सात बार कार्यवाही की गयी। और कार्यवाही क्या की गयी ? सिर्फ 100 रुपये प्रतिभूति के जब्त किये गये, 150 रुपये प्रतिभूति के जब्त किये गये। सात बार कार्यवाही होने के बावजूद भी उसके लाइसेंस की कोई निरस्ती नहीं की गयी। जैसा माननीय दीवान साहब कह रहे थे वैसा ही हो रहा है। सात बार के बावजूद भी लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया। जब छोटी-मोटी ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसकी एक बार कैरोसिन की इर्रेगुलरिटी पकड़ी गयी उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं आपके मार्फत....

श्री अध्यक्ष : एक ही सवाल पूछेंगे सप्लीमेंट्री वाले।

श्री भीमराज माटी : एक ही सवाल यह है कि इस तरह से कितनी गलतियां करने के बाद आप किसी का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करते हैं ? एक मामले में तो एक गलती पर ही उसका लाइसेंस निरस्त कर देते हैं। कोई कोआपरेटिव सोसायटी जो आपके लोगों से एडजस्टमेंट नहीं कर सकती उसका तो एक ही बार में लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं और दूसरा सात-सात बार एक ही आदमी पकड़ा जाए उसकी खाली 100 रुपये की सिक्योरिटी जब्त करते हैं। आप बताइये कितनी गलती का प्रोविजन है आपके यहां ? अगर आप सुचारू व्यवस्था करना चाहते हैं, कैरोसिन सप्लाई की और राशन की सप्लाई की तो उसकी निगरानी के लिए क्या आप जिला स्तर पर ऐसी कोई समिति बनाएंगे जिसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें ?

श्री अध्यक्ष : विश्नोई साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, डीजल के अन्दर कैरोसिन की भारी मिलावट हो रही है। खुलेआम होती है। गांवों में बहुत भरते हैं जिससे डीजल की मशीनें खराब हो रही हैं। क्या इसमें चैक लगाने की मन्त्री महोदय तफतीश करेंगे ? बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय पूनमचन्दजी ने फरमाया, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि रेट में इतना

(डा. रामप्रताप)

भारी डिफरेंस है और जो आपने चिन्ता जताई हैं उससे मैं निश्चित रूप से इत्तफाक करता हूं। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयत्नशील हूं और उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिये।

माननीय भीमराज जी भाटी ने जैसा फरमाया, सात दफा अगर उसने इस किस्म का किया है और उसके बाद में उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की गयी तो मैं इस चीज को कोई अच्छा नहीं मान रहा हूं और आपने जो सूचना दी, मैंने भी देखा, इसके खिलाफ मैं पत्रावली मंगाकर निश्चित तौर पर कार्यवाही करूंगा और आपको भी बताऊंगा इसके बारे में।.... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा निवेदन कर दूं अगर आप उसका बुरा नहीं मानें तो, क्योंकि आप लोगों को पूरी सूचना, पूरी जानकारी देना मैं अपना फर्ज समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1980 से लेकर 1992 तक कैरोसिन के लाइसेंस आर.टी.एल. माध्यम से इस कदर दिये गये जिसका कोई अन्दाज नहीं था और वह सारी कंसंट्रेशन सिरीज में हो गयी। अब मेरे लिए एक बड़ी भारी समस्या का कारण यह बन गया कि अगर मैं उनके विद्ड्रा करता हूं तो हजारों गरीब लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है और दूसरी तरफ गांवों में हम एफ पी. एस. को सप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास कैरोसिन लिमिटेड है। इस समस्या का समाधान हमने यह किया है कि पिछले साल से, 1992 से आर. टी.एल. के नये लाइसेंस देने बन्द कर दिये और जितना भी हमारा प्रयास हो रहा है उनसे थोड़ा-थोड़ा विद्ड्रा करके और गांवों में एफ.पी.एस. की दुकानों को मिले। यह मैं प्रयास करूंगा।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट छोटा-सा प्रश्न है।....

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया ?

श्रीमती बीना काक : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : जनप्रतिनिधियों के सहयोग लेने की बात कही.... (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : ग्रेनाइट की इकाइयां यूज कर रही हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रेनाइट की इकाइयां यूज कर रही हैं, वह तो पहले भी कई बार आ चुका है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : 10 लीटर की हां कर दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग की जो बात थी उसके बारे में मन्त्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : हां, कर दें कि दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीना जी को पूछने दें।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से इतना आश्वासन चाहती हूं कि सब जगह समानता हो। सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र का जो मैंने पाइंटेड क्वेश्चन किया है, जितना पाली में दे रहे हैं उतना आप सुमेरपुर को भी दें, देंगे या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह आ गया। विराजें अब।

डा रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो लगातार प्रयास किया उसके बारे में आपसे निवेदन कर दूं कि 1993 के अन्दर हमें कैरोसिन मिल रहा था 3,40,000 लीटर एक साल में। 1994 में बढ़वाकर हमें 3,66,000 लीटर के करीब मिला। 1995 में 3,92,000 लीटर और 1996 में 4,20,000 लीटर.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : हमें मिले जब है।

श्री अध्यक्ष : आप तो सुमेरपुर की बात करिये कि सुमेरपुर में मिल रहा है या नहीं।

श्रीमती बीना काक : आप तो हमारे को दिलवा दो .. (व्यवधान) दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री मदन मोहन जी। विराजिये। (व्यवधान) अब आप और आगे कर लेना। सारे प्रश्न इसमें थोड़े आ जाएंगे।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल है, छोटी-सी बात है।

श्री अध्यक्ष : मदन मोहनजी। (व्यवधान) विराजें आप। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : इतने सारे विचाराधीन मुकदमों में कुछ कार्यवाही नहीं होती तो प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के बारे में सरकार क्या सोचती है, सहयोग चाहती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : चाहती है। यह कह रहे थे कि आपका सहयोग चाहिये। माननीय मदन मोहन जी।

सारे खुर्द (अलवर) में केडिया समूह द्वारा स्थापित कारखाना

519. **श्री मदन मोहन (खैरथल)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सारेखुर्द (खैरथल)में स्थापित केडिया समूह का कार्य है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कारखाना बन्धे के मध्य स्थापित है ?

(3) क्या इस बन्धे से नहर निकलती हुई है ? यदि हां, तो नहर की लम्बाई क्या है ? क्या इसका उपयोग सिंचाई हेतु था ?

उप मुख्य मन्त्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा): (1) जी हां। सारेखुर्द में केडिया समूह का

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कार्य बन्द होने का कारण कम्पनी की आंतरिक कठिनाई है।

(2) जी नहीं। यह कारखाना बन्धे के मध्य में स्थापित नहीं है, अपितु बांध की चैन के बाद पहाड़ी के पास जलग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन है।

(3) जी हां। इस बन्धे से नहर निकली हुई है। बांध के मुख्य नहर की लम्बाई 5.24 किलोमीटर है तथा माइनर की लंबाई 2.15 किलो मीटर है। जी हां, इनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष भी यही प्रश्न लगाया था उस समय माननीय मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि वहां पर किसी प्रकार की कोई नहर नहीं है और न वहां पर ऐसा कोई बांध है। इस बार यह दोनों बातें स्वीकार की गयी हैं, बांध भी वहां पर है, नहर भी निकली हुई है और उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जब कि पिछली बार इस उद्योग को राजस्थान में लगाने के लिए जब स्वीकृति प्रदान की गयी तो न तो सिंचाई विभाग ने कोई एन.ओ.सी. दी थी और न पर्यावरण विभाग ने कोई एन.ओ.सी. दी थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्या इनकम टैक्स देहली ने इसके ऊपर छापा मारा, इसकी वजह से बन्द हुआ या जैसा इसके आन्तरिक कारण के बारे में कहा गया वह क्या-क्या कारण रहे? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर आज राजस्थान सरकार करीब दस शराब कारखानें लगा रही है, क्या उन्हें बन्द करने का विचार रखती है? कितने उद्योगों को एन.ओ.सी. पर्यावरण विभाग ने दी है और कितने उद्योगों को सिंचाई विभाग ने एन.ओ.सी. दी है?

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय ने कहा कि उस बन्धे के बीच में नहीं है। मेरा स्वयं का देखा हुआ है, मेरे खुद के गांव से मात्र 20 किलो मीटर की दूरी के ऊपर है, इस सदन में मैं असत्य नहीं बोलना चाहूंगा, मैं इस सदन में सत्य तथ्य रख कर के यह अवगत कराना चाहता हूं कि उस बन्धे के मध्य दी गयी थी, तो क्या राज्य सरकार उस बंधे के मध्य केडिया ग्रुप को जो जमीन दी गयी थी उसे वापस अधिग्रहण करने का विचार रखती है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितने किसानों को सम्मन जारी किये हैं, उनके बारे में क्या राज्य सरकार कोई जांच बैठाने का विचार रखती है? जिस तरह से पिछली बार केडिया समूह ने उन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया, मान लीजिये, किसी एक किसान के पास बीस बीघा जमीन थी तो उनको केवल पांच बीघा जमीन का तो मुआवजा दिया गया और पन्द्रह बीघा जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अन्दर तत्कालीन जिलाधीश ने जिस तरह की अनियमितताएं कीं और उन लोगों के पैसे जबरदस्ती पांच बीघा के जमा करा दिये गये और बीस बीघा के पैसे उन्होंने स्वयं ने लिये, इसके आधार पर मैं राज्य सरकार से, माननीय मन्त्री महोदय से

(श्री मदन मोहन)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि तत्कालीन जिलाधीश ने जितनी ...

श्री अध्यक्ष : अब आप प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य। यह तो बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न ही पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री मदन मोहन : क्या राज्य सरकार तत्कालीन जिलाधीश द्वारा की गयी गड़बड़ियों की जांच करने का विचार रखती है? क्या इन शराब के कारखानों को बन्द करने का विचार है? क्या पर्यावरण विभाग और सिंचाई विभाग ने इनको एन. ओ. सी. दी है? आज तो यह स्वीकार किया गया है किन्तु गत वर्ष जिन अधिकारियों ने यह कहा था कि सिंचाई विभाग से एन. ओ. सी. ले ली गयी है और नहर वहां पर है नहीं और बन्धे भी वहां पर नहीं हैं, तो क्या इस प्रकार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? क्या जांच कराएंगे?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो आपका है कि बन्धे के बीच में या नहर के बीच में है कि नहीं। अब इसकी जांच तो मुझे स्वयं ही करनी पड़ेगी क्योंकि अधिकारी यह कह रहे हैं और आप यह कह रहे हैं तो मैं इसकी जांच करके स्वयं स्थिति का जायजा लूंगा कि वाकई में आप कह रहे हैं वह सही है या अधिकारी जो कह रहे हैं वह सही है। अगर अधिकारियों ने मुझे गलत जवाब दिया है तो इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि केडिया ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। यह सूचना हमारे पास नहीं है या किसानों को इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया, यह सूचना भी हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपकी सूचना के लिये कह दूं कि केडिया ग्रुप का जो लाइसेंस था, इस बार हमने रिन्यू नहीं किया। कारण यह हुआ कि उन्होंने हमको यह रिपोर्ट दी थी कि हमने 72 करोड़ रुपये उसमें इनवेस्टमेंट कर दिये, मुझे जब यह पता चला कि उसमें इनवेस्टमेंट नहीं हुआ तो हमने उसकी जांच करायी और जांच से यह पाया कि 72 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट वहां नहीं हुआ। उन्होंने वहां पर केवल चारों तरफ बाड़ लगायी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ इसलिये हमने उनका लाइसेंस रिन्यू किया। दूसरी बात यह है कि अब राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अलवर जिले में जो डिस्टिलरिज पाइप लाइन में है उसके अलावा किसी भी नयी डिस्टिलरिज को या कोई भी शराब के कारखाने को अभी हम कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं यह भी हमने तय कर लिया है।

जहां तक केडिया ग्रुप का मामला है, केडिया ग्रुप का मध्य प्रदेश के अन्दर केन्द्र के लाइसेंस के माध्यम से शराब का कारखाना लगाया हुआ है। उसकी जितनी कैपेसिटी

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

थी उससे कम वहां लगाया है बाकी कैपेसिटी के लिये उन्होंने राजस्थान में लगाने के लिये केन्द्र से लाइसेंस प्राप्त किया है। केन्द्र सरकार ने ही उनको पर्यावरण अनापत्ति पत्र दिया है और स्वयं उन्होंने अपनी जमीन खरीदी। सरकार ने उसमें न तो जमीन दी और न ही राजस्थान की सरकार ने उसमें और कुछ किया। केवल राजस्थान सरकार ने तो उनको केन्द्र से क्लियरेंस लेने के बाद में हमारे यहां के पर्यावरण विभाग ने अनापत्ति पत्र दे दिया और कलक्टर ने भी दे दिया। उस हालत में जब उनका इनवेस्टमेंट हो गया, क्योंकि जमीन खरीदने में भी उनका करोड़ों रुपये का इनवेस्टमेंट हो गया है तो जो इनवेस्टमेंट हो गया था उसी को कन्सीडर करके हमने उनको इजाजत दी थी। अब चूंकि वह इनवेस्टमेंट ही नहीं हुआ तो इजाजत नहीं दी, लाइसेंस रिन्यू नहीं किया इसलिये अभी कोई समस्या हमारे सामने नहीं है।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : बात पूरी हो गयी न अब तो।

श्री मदन मोहन : केडिया ग्रुप के शराब के कारखाने के जो आन्तरिक कारण बताए हैं, इसके कोई आन्तरिक कारण नहीं हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब छापा मारा, उसके द्वारा उसको बन्द किया गया। उन्होंने इतनी भारी अनियमितताएं की हैं कि इसमें एन. ओ. सी. न तो राजस्थान के सिंचाई विभाग ने दी थी और न ही एन. ओ. सी. पर्यावरण विभाग ने दी थी अलवर जिले में जितने शराब के कारखाने चल रहे हैं, अभी तो आठ और हैं। हालांकि एक का रद्द हुआ है, इसके बाद आठ कारखाने और हैं। आठ कारखानों में से भी यह कम से कम छह या सात के पास न तो पर्यावरण विभाग की एन. ओ. सी. है और न ही सिंचाई विभाग की एन ओ. सी. है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब इन्होंने एन. ओ. सी. नहीं ली तो क्या राज्य सरकार उन्हें बन्द करने का विचार रखती है? जिस तरह से और जितनी भी ..

श्री अध्यक्ष : यह तो बन्द ही हैं। वह कह रहे हैं कि रिन्यू ही नहीं किया। विराजें आप। आपका जो मन्तव्य था वह आ गया प्रश्न में।

श्री हरिनारायणजी।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लें आप। माननीय मन्त्रीजी ने यह भी कहा है कि वहां पर 2.15 किलोमीटर की नहर बनी हुई है उसके लिये गत वर्ष जो मना किया था उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, यह पूछ रहा हूं?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायणजी। श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी से एक मिनट जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : वह दे दिया न उन्होंने।

श्री मदन मोहन : उसके खिलाफ ..

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैंने कहा कि मैं वहां स्वयं जाकर देखूंगा क्योंकि जो सिचुएशन आप बता रहे हैं उसी के बाद मैं निर्णय करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप देखेंगे और सारी स्थिति का जायजा ले लेंगे, आपने सुना नहीं । श्री हरिनारायणजी ।

प्रश्न संख्या–520

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शांतिलाल खोईवाल ।

राजसमन्द-कांकरोली बस अड्डे का स्थानान्तरण

521. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजसमन्द-कांकरोली बस अड्डे का अन्यत्र स्थानान्तरण करना जनहित में आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त बस अड्डा उपयुक्त स्थान पर कब तक स्थानान्तरित करने का सरकार का विचार है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : (1) जी हां । इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) निर्माण कार्य जारी है, जिसके पूरा होने में लगभग एक वर्ष का समय लगने की सम्भावना है । निर्माण कार्य पूरा होने एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने पर अड्डे को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने फरमाया कि अभी निर्माण कार्य जारी है और इसको पूरा करने में एक वर्ष लगेगा और दूसरी तरफ मन्त्री महोदय ने जो सदन के पटल पर विवरण रखा है उसमें फरमाया है कि तीन बीघा सोलह बिस्वा जमीन एक्वायर करने के लिये राजस्व विभाग, डिप्टी सैक्रेटरी, ग्रुप-3 को प्रस्ताव भेजा है । अब वह ग्रुप-3 को प्रस्ताव भेजे हुए चार महीने हो चुके हैं और वहां से स्वीकृति नहीं आई है और इधर एश्योरेंस फरमा रहे हैं मन्त्री महोदय कि यह एक वर्ष में पूरा हो जाएगा । यह विरोधाभास वाला मामला है । मेरा निवेदन है कि .

श्री अध्यक्ष : विरोधाभास की कोई बात नहीं है । जैसे ही सैंक्शन आयेगी, कार्य धड़ाधड़ चालू करवा देंगे और सालभर में पूरा हो जाएगा ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : तीन महीने हो चुके हैं और वहां पर हमें परेशानी हो

(28)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

रही है। आपको तो मालूम है, उस सड़क से गुजरना पड़ता है उदयपुर पधारते समय, वहां के वर्तमान के हालात। वहां पर जो बस अड्डा है वह ऐसी जगह स्थापित है, आधे–आधे घंटे तक लोगों को सौ मीटर क्रास करने के लिये रूकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव भेजा गया है राजस्व विभाग को, सचिवालय को, इस प्रस्ताव को पर्सनली परश्यू करवाकर उसकी स्वीकृति जारी करवाएं ताकि बस अड्डे के शिफ्ट नहीं होने के कारण जो परेशानी हो रही है उससे लोगों को मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : वहां पर तकलीफ बहुत तगड़ी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो कार्यवाही अब तक की गयी है उसका लेखा जोखा आपके सामने रख दिया गया है। आपकी यह चिन्ता ठीक है कि जब तक जमीन पूरी नहीं मिलेगी तब तक काम में दिक्कत आएगी। लेकिन इसको कलक्टर साहब ने, जिला प्रमुख महोदय ने और नगरपालिका ने करीब-करीब निर्णीत कर दिया है और यहां केवल औपचारिकता के लिए आया है। मैं कोशिश करूंगा रेवेन्यू विभाग से यह जल्दी तय हो जाए तो आपका यह संकट दूर हो सकता है।

जहां तक निर्माण की बात आप करते हैं तो निर्माण कार्य तो चालू है और प्लेटफार्म बन रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए आदेश दिये जा चुके हैं। सड़क भी बन जाएगी, प्लेटफार्म भी बन जाएगा क्योंकि यह जो जमीन है वह पूरी की पूरी रेवेन्यू में या उसमें नहीं है। दो खसरे तो मिल चुके हैं, तीन खसरों में यह क्वेश्चन रहेगा। तो दो खसरों की जमीन तो आलरेडी नगरपालिका के पास आ चुकी है, आप जानते हैं, अब एक जो हिस्सा बचा हुआ है वह ही तो बचा हुआ है। तो इसके बाद काम शुरू करने में दिक्कत नहीं आएगी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा-सा बिन्दु और रह गया है कि दो खसरा नम्बर की जमीन तो नगरपालिका द्वारा एक्वायर की जा चुकी है और एक 3 बीघा, 16 बिस्वा का राजस्थान सरकार को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ है। यह मेजर पोर्शन है। जब तक यहां से स्वीकृति नहीं जाएगी, आप टेण्डर नोटिफिकेशन निकाल दीजिये, आप स्वीकृति जारी कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जब तक 3 बीघा 16 बिस्वा का प्रकरण निष्पादित नहीं करवाएंगे आप अपने स्तर पर तब तक वह सालभर का जो आश्वासन दिया है, यह विरोधाभास वाली स्थिति है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको आप तत्काल सम्पादित कराएं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको निवेदन किया, 13.3 को तो यह कागज यहां आया, अब जैसा आपने कहा कि तुरन्त होना चाहिये, तो मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि मैं बात करूंगा और आप भी यहां बिराजते हैं, अपन दोनों कोशिश करके जल्दी करवा देंगे। You will help me.

श्री अध्यक्ष : ताम्बी जी ।

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी (भीलवाड़ा) को कृषि भूमि का आवंटन

552. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जहाजपुर एवं कोटड़ी की ग्राम पंचायतों तथा प्राथमिक विद्यालयों को सरकार द्वारा कृषि भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायतों तथा उनमें स्थित प्राथमिक विद्यालयों को आवंटित कृषि भूमि के खसरा नम्बर रकबा आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस कृषि भूमि से पंचायतों तथा प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष कितनी-कितनी आय हो रही है ? प्रत्येक पंचायत तथा प्राथमिक विद्यालय की आय का वर्ष 1990–91 से 1995–96 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें

(3) क्या सरकार प्रति वर्ष इनकी कृषि भूमि से आय तथा उस पर किये गये व्यय के नियंत्रण एवं सदुपयोग हेतु कोई कार्य नीति/निर्देश जारी करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार उक्त भूमि पर नियंत्रण व देखरेख हेतु स्थानीय स्तर पर कमेटी गठित करने का विचार रखती है ? ताकि कृषि भूमि की पर्याप्त आय हो इस राशि का विकास एवं विस्तार में उपयोग हो सके ।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : (1) जी हां । पंचायत समिति, जहाजपुर एवं कोटड़ी की जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों एवं 22 प्राथमिक विद्यालयों को सरकार ने कृषि भूमि आवंटित की है । ग्राम पंचायतों एवं उनमें स्थित प्राथमिक विद्यालयों को आवंटित कृषि भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबा आदि का विवरण संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) निजी आय के उपयोग हेतु विभागीय निर्देश दिनांक 9-3-93 के द्वारा जारी किये हुए हैं । प्रति संलग्न है । (ब)

(4) कृषि भूमि को ठेके पर दिये जाने बाबत विभागीय निर्देश संख्या 4040 दिनांक 20-5-94 को जारी किये हुए हैं । प्रति संलग्न है । (अ)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि भाग संख्या एक में आपने 29 ग्राम पंचायत एवं 22 प्राथमिक शालाएं बतायी हैं । पहला तो मेरा यह कहना है कि ग्राम पंचायतों और प्राथमिक शालाओं को जमीन इससे अधिक दी हुई है, यह विवरण आपका गलत है ।

(30)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दूसरा, आपने जो सूची संलग्न की है वह अपर्याप्त है।

तीसरा, भाग संख्या एक में आपने 9.3.93 का जो सर्क्यूलर इसके साथ संलग्न किया है वह पंचायत समिति के कृषि फार्मो से सम्बन्धित है न कि पंचायतों को दी गयी कृषि भूमि से और न ही प्राथमिक विद्यालयों को दी गयी कृषि भूमि से। इसलिए आपका यह उत्तर गलत है।

मेरा चौथा, अनुरोध यह है कि आपने पंचायत समिति की निजी आय से सम्बन्धित जो दिशा निर्देश जारी किये हुये हैं वह कोट करके आपने 9.3.93 के इसके साथ लगाये हैं, यह भी इसमें लागू नहीं होते हैं। और चौथे प्रश्न में यह भी कहा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था स्थानीय स्तर पर कमेटी गठित करके उसके सामने एलान किया जाए। तो आपने वह मुझे दे दिया जिससे इसका कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं, दोनों पंचायतों से सम्बन्ध ही नहीं है। इसलिये आपकी वर्तमान जो व्यवस्था है वह बहुत गलत है क्योंकि पंचायत एवं प्राथमिक शालाएं जब जमीन नीलामी करने की कार्यवाही करती हैं वह कागजों में औपचारिकतायें कहीं बैठ कर कर लेते हैं। इसलिए मेरी मांग यह है कि इसके लिए कोई समिति आप पांच सात आदमियों की बनायें जिसमें ग्राम सेवा समिति का अध्यक्ष हो, सरपंच हो, सचिव हो, प्रधानाध्यापक हो और एक पंचायत समिति का मैम्बर हो जाये। इस प्रकार कमेटी के समक्ष यह प्रति वर्ष नीलामी करें तो बहुत बड़ी आय इसमें लीकेज हो रही है वह समाप्त हो जायेगी। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने कहा है कि यह सूची पूर्ण नहीं है, यह ठीक नहीं है, मैं इसको दिखाऊंगा और इसमें अगर कोई गलत इन्फार्मेशन दी गयी है तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

जहां तक आपने पंचायत की कमेटी बनाने की बात की है, हमी हमारे नये नियम बन रहे हैं और आपका सुझाव बहुत ही स्वागत योग्य है, मैं कोशिश करूंगा कि उन नियमों में इस तरह का प्रोविजन करें ताकि प्राथमिक शिक्षा बनी रहे और वहां पर कोई लीकेज नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लालजी।

पंचायत समिति महुआ (दौसा) को पेयजल योजनाएं

523. **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दौसा के पंचायत समिति क्षेत्र महुआ में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कितनी व कौन-कौनसी क्षेत्रीय जलदाय योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गयीं ? योजनावार सम्मिलित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्षेत्रीय जलदाय की स्वीकृत योजनाओं से किस-किस गांव को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है ?

(श्री हरिसिंह)

(3) प्रत्येक क्षेत्रीय योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी एवं किस-किस कार्य पर कितनी राशि का उपयोग कर लिया गया ?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) पंचायत समिति महुआ में स्वीकृत क्षेत्रीय योजनाओं की वांछित सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) इन योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट-"क" के कालम संख्या 6 एवं 7 में उपलब्ध है।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट-"क" के कालम संख्या 4 में उपलब्ध है। इन योजनाओं पर स्वीकृतियों के अनुरूप, श्रोतों के निर्माण उच्च,एवं भूतल जलाशयों के निर्माण पाइप लाइन बिछाने, विद्युत सम्बन्ध एवं अन्य सिविल कार्य इत्यादि पर किये गये कुल व्यय का विवरण परिशिष्ट-"क" के कालम संख्या 5 पर उपलब्ध है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी, ने जो उत्तर दिया है, ऐसा लगता है कि आपके विभाग के अधिकारियों ने आपको भ्रमित किया है और सही पोजीशन आपके सामने रखी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो सम्मिलित गांव हैं और जिन गांवों को पानी दिया गया है, कोट दौलतपुरा में इसरपुर, नांगलमेव, बनावड़, एदलपुर, इसमें से सिर्फ एक गांव बनावड में अभी ट्यूबवेल किया गया है। नांगलमेव और इसरपुर में एक बूंद पानी की नहीं है। आप नोट कर लें और जांच कराएं।

यह टोडरा सिन्दूकी की स्कीम पर, जो चौथे नम्बर पर आपने लिखा है इसमें किशोरपुर, पाखर, केसरी, केसरा, अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि पाइप लाइन डाल दी गई है और पाइप लाइन डले हुए कोई 6–7 वर्ष हो गये, टंकी भी बन गयी है लेकिन अभी तक पानी पहुंचना तो दूभर है, पाइप लाइन टैस्ट भी नहीं हुई। यह भी आप जांच करवा लें।

मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो 6-7 रीजनल स्कीम्स हैं, एक-दो स्कीम तो ऐसी हैं जो 1978–79 की हैं उनमें एक तो बिलकुल ही फैल हो गयी, एक भी गांव को पानी नहीं, 23 गांव उसमें सम्मिलित हैं। मैंने आपके विभाग की डिमाण्ड के दिन भी निवेदन किया था और बाकी की स्कीम से जो सोर्स विलेज हैं सिर्फ उन्हीं को पानी मिल रहा है। इस हिसाब से करीब 7 गांव ऐसे हैं जो रीजनल स्कीम में शामिल कर दिये गये हैं, पानी की लम्बे समय से बाट देख रहे हैं। पाइप लाइन डाल दी गयी है, टंकी बना दी गयी है, बजट यूटिलाइजेशन हो गया फिर आप महुआ पधारे, आपने बजट और दे दिया लेकिन सात गांव अभी भी पानी का इन्तजार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इनको तुरन्त आप पानी पहुंचाएं। यह तो आप आश्वासन दें ही, साथ ही इसमें जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो

(श्री हरिसिंह)

कुछ भी अब तक लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि जो योजना बनी थीं उन सब गांवों को पानी मिलना चाहिए था । पर लगता यह है कि अति उत्साह में जिन योजनाओं में जितना पानी मिल सकता था (12.00)उससे अधिक कुछ गांव जोड़ दिये । जो आप फरमा रहे हैं वह भी ठीक है कि लाइन डल गयी, टंकी भी बन गयी लेकिन पानी इतना नहीं है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मन्त्रीजी, तकलीफ यह है कि सोर्स हर योजना के बन गये, बिजली ले ली लेकिन कर्मचारी निठल्ले हैं, निकम्मे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा नहीं है । जिसकी आप बात कर रहे हैं यह काम अभी हुआ है । जिसके लिए आप फरमा रहे हैं, यह काम अभी हुआ है । शायद कुछ तो चालू भी हो गये । मेरे अधिकारी यहां आए हुये हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर थोड़ी देर बाद में समय हो आपके पास तो आप और मैं बैठ जाएं । क्योंकि वहां सोर्स भी उपलब्ध हो गया, कुछ स्थानों पर बिजली मिल गयी, मेरी सूचना तो यह है कि एक सप्ताह पहले चालू भी कर दिया गया ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं हाजिर तो हो जाऊंगा पर शुगर कोटेड पिल्स मत देना मेरे को ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोशिश करूंगा यही कि आपके यहां काम पूरे हो जाएं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं नहीं, पानी चाहिये, शुगर कोटेड पिल्स नहीं । मेरा अनुरोध यह है कि अभी तक जो काम नहीं हुआ उसके लिए कोई न कोई कर्मचारी जिम्मेदार है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बैठकर बात करते हैं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं । आप यह तो कहो कि आप जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अपनी बात-चीत करके दोनों ही कर लेंगे जो करना होगा ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसमें आपकी भी बात पिटेगी ।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात रह गयी ना, आप विराजें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : डेढ़ साल पहले आप खुद निर्देश देकर आये हैं । अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है, यह पूछ लें आप ।

श्री अध्यक्ष : विराजें अभी । आप से बाद में मिल लेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : करूंगा, अभी रुक जाओ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पेयजल आपूर्ति में उत्पन्न व्यवधान

517. घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिजली की कमी के कारण पेयजल की समुचित आपूर्ति नहीं हो पाती है ?

(2) क्या सरकार ने उन स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश जारी किये हैं, जहां बिजली आपूर्ति नहीं होने या कम होने के कारण पेयजल में बाधा आ रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ऐसे स्थानों को चिह्नित करने के राज्य विद्युत मण्डल को भी निर्देश प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या परिणम रहे ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत आपूर्ति में व्यवधान एवं वोल्टेज में कमी की स्थिति में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है।

(2) सामान्यतः विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने पर, पेयजल व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी विद्युत मण्डल के अधिकारियों से सम्पर्क कर विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाने के प्रयास करते हैं। जहां विद्युत व्यवस्था में सुधार स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर सम्भव नहीं होता, वहां उच्च स्तर पर उपाय किये जाकर एवं स्थायी कार्य कर, इस व्यवस्था में सुधार किया जाता है। बीकानेर, चुरू एवं नागौर जिलों के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में बार-बार व्यवधान एवं कम वोल्टेज की समस्या है।

(3) विभाग द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को समस्याग्रस्त पेयजल योजनाओं पर सामान्य विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु सूचित किया गया था। इसके पश्चात् राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को समुचित विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इन आदेशों के क्रम में मण्डल के सदस्य (प्रवाह एवं वितरण) द्वारा भी अपने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं। विद्युत मण्डल द्वारा इन निर्देशों जारी करने के पश्चात् स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

तहसील खण्डार (सवाई माधोपुर) को प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं

520. श्री हरिनाराय बैरवा (खण्डार) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में चम्बल नदी से बृहत् इंदिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना एवं पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से? दोनों योजनाओं में अब तक क्या प्रगति हुई एवं इनमें कितना-कितना व्यय किया गया? वर्षवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सवाई माधोपुर में सर्वे एवं

(श्री हरिनारायण बैरवा)

अनुसंधान खण्ड कितने दिनों से कार्यरत हैं? आज तक इस खण्ड द्वारा कितनी योजनाएं बनायी गयीं ? उनमें से कितनी स्वीकृत हुयीं तथा प्रत्येक योजना पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सर्वे एवं अनुसंधान खण्ड सवाई माधोपुर के तरह चार जिले आते हैं, यदि हां, तो कौन-कौन से ? चारों जिलों में इस खण्ड द्वारा गत तीन वर्षों में किये गये सर्वे की प्रगति एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में चम्बल नदी से वृहत् इंदिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना एवं पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं जो क्रमशः वर्ष 1981 एवं 1980 से प्रस्तावित हैं। उक्त दोनों परियोजनाओं में अब तक हुई प्रगति एवं इन पर हुए वर्षवार व्यय का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" पर संलग्न हैं ।

(2) जिला सवाई माधोपुर में सर्वे एवं अनुसंधान खण्ड (सिंचाई) 16 वर्षों से कार्यरत हैं । इस खण्ड द्वारा आज तक इक्कीस सिंचाई परियोजनायें बनायी गयी हैं इनमें से चार सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है । प्रत्येक योजना पर अब तक किये गये व्यय की राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"स" के अनुसार हैं ।

(3) इस खण्ड के तहत चार जिले क्रमशः कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ आते हैं । इस खण्ड द्वारा गत तीन वर्षों में सभी जिलों की विभिन्न परियोजनाओं पर कुल 46.31 लाख रुपये खर्च किये गये हैं तथा इनमें इस अवधि में सर्वे की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-"द" पर संलग्न हैं ।

(आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें ।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला भीलवाड़ा के औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर

388. **श्री कालूलाल गूजर** (माण्डल) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत हुआ है ? यदि हां। तो कब व कहां ? अब इसे कहां लगाया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रोथ सेन्टर को लगाने का कृषकों द्वारा विरोध किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या ग्रोथ सेन्टर में आने वाली भूमि के काश्तकारों को मुआवजा दे दिया

(श्री कालूलाल गूजर)

गया है? यदि हां, तो किन-किन को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में एक औद्योगिक ग्रोथ सेंटर स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्व में भीलवाड़ा जिले में ग्रोथ सेन्टर का विकास माण्डलगढ़ के पास किया जाना प्रस्तावित था लेकिन वांछित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा इस केन्द्र के विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई। अतः राज्य सरकार द्वारा इस केन्द्र का विकास स्थल माण्डलगढ़ के स्थान पर हमीरगढ़ के पास चयन किया गया है एवं तद्नुसार संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 12.2.96 को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। परिवर्तित क्षेत्र हेतु ग्राम स्वरूपगंज बीलियाकला एवं गुवारड़ी, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की 1164 बीघा 17 बिस्वा निजी खातेदारी, चरागाह एवं राजकीय भूमि चयनित की गयी है।

(2) श्री देवेन्द्रसिंह, उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (आई) भीलवाड़ा ने उक्त स्थल का विरोध किया है। इसके विरुद्ध विधायक श्री रामरिछपाल नुवाल द्वारा ग्रोथ सेन्टर के लिए उक्त स्थल को उपयुक्त होना और कृषकों का विरोध नहीं होने सम्बन्धी ज्ञापन दिया है।

(3) चूंकि अभी तक ग्रोथ सेन्टर हेतु प्रस्तावित निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना ही जारी हुयी है। अतः भूमि के मुआवजा की राशि अधिनियम की धारा 6 की अधिसूचना प्रसारित करने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा प्रक्रिया अनुसार निर्धारित की जावेगी। इसलिए अभी मुआवजा की निर्धारित राशि एवं भुगतान करने का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री राम फाइबर्स लिमिटेड तिजारा में गैस रिसाव

389. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा स्थित श्री राम फाइबर्स लिमिटेड में वर्ष 1990 से 1996 तक कितनी बार जहरीली गैस का रिसाव हुआ ? गैस रिसाव के क्या कारण रहे ? सरकार ने उक्त इकाई के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इकाई से जहरीली गैस रिसाव से कितने व्यक्ति अब तक शारीरिक क्षमता से विकलांग एवं अस्थमा एवं फेफड़े के रोगों से पीड़ित हुए ? इन व्यक्तियों को सरकार द्वारा क्या कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई, यदि हां, तो क्या तथा कितने व्यक्तियों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब इन्हें कब तक मुआवजा प्रदान कर दिया जावेगा।

(श्री मदन मोहन)

(3) क्या यह सही है कि उक्त गैस के रिसाव से किसानों की फसलों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा था, क्या यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर किसानों को मुआवजा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने किसानों को कितना-कितना ?

उत्तर

(1) मै. श्री राम फाइबर्स लि., तिजारा में वर्ष 1990 से 1996 में केवल एक बार दिनांक 10-3-92 को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का स्पिलेज हुआ था। उक्त कारखाने में पूर्ण शटडाउन के दौरान पम्प रिपेयर करते समय पाइप लाइन से बचे हुए अम्ल का रिसाव हुआ। बिखरे एसिड पर हाइड्रेन्ट पाइन्ट से पानी की बौछार की गयी और फिर उस पर चूने का घोल डाला गया। उक्त घटना के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 व राजस्थान करखाना नियम, 1951 का कोई उल्लघंन नहीं पाया गया। अतः कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

(2) उपरोक्त हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिसाव के कारण कोई भी व्यक्ति कारखाने में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ और न ही कोई व्यक्ति शारीरिक क्षमता से विकलांग या अस्वस्थ या प्रभावित हुआ।

(3) दिनांक 10-3-92 को पाइप लाइन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्पिलेज हुआ था। उक्त स्पिलेज से आसपास की फसलों का नुकसान हुआ था। जिसके लिये जिला कलक्टर, अलवर के माध्यम से एक अवार्ड घोषित कर दिया गया था। जिसके अन्तर्गत प्रभावित किसानों को रुपये 81,489/– का मुआवजा दिया गया था। उक्त मुआवजा लोक दायित्व अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अलवर के माध्यम से दिया गया। जिन किसानों को मुआवजा दिया गया है उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजसमन्द जिले में प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना

390. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले तथा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में वर्ष 1995-96 में प्रधानमन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य था ?

(2) उक्त लक्ष्य के मुकाबले कितने–कितने व्यक्तियों को किस–किस पंचायत समिति में रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया ?

(3) किस–किस बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कितने–कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया और कितने व्यक्ति ऋण प्राप्त नहीं कर सके ?

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

(4) वर्ष 1996–97 के लिये उक्त जिले व पंचायत समितियों के क्या लक्ष्य हैं ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में वर्ष 1995-96 में प्रधानमन्त्री रोजगार योजनान्तर्गत 196 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य था । पंचायत समितिवार लक्ष्य परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये हैं । जो संलग्न हैं ।

(2) 196 के लक्ष्य के मुकाबले 105 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है तथा शेष को 31–3–97 तक ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही जारी रहेगी । पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गयी है ।

(3) विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	बैंक का नाम	लक्ष्य	ऋण स्वीकृत	ऋण वितरण	ऋण वितरण से शेष
1.	एस. बी. बी. जे.	96	98	53	45
2.	राजस्थान बैंक	58	61	25	36
3.	इलाहाबाद बैंक	7	6	2	4
4.	पंजाब नेशनल बैंक	5	1	1	×
5.	बैंक आफ बड़ौदा	20	21	18	3
6.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	10	8	5	3
7.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	×	1	1	×
	योग जिले का	196	196	105	91

इस प्रकार कुल 91 व्यक्ति ऋण प्राप्त नहीं कर सके ।

(4) वर्ष 1996–97 के लिये जिले का लक्ष्य 196 व पंचायत समितिवार लक्ष्य पूर्व वर्ष 1995–96 की भांति ही आबंटित किये गये हैं ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जयपुर, अजमेर एवं कोटा शहरों में आवारा पशुओं द्वारा दुर्घटना प्रकरण

391. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री विष्णु मोदी)

क्या यह सही है कि जयपुर, अजमेर, एवं कोटा शहरों में आवारा पशुओं के कारण वाहन चालक गम्भीर दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

आवारा पशुओं के कारण आम तौर पर दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। नगर निगम, जयपुर व कोटा तथा नगरपरिषद अजमेर अपने–अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़वा कर कांजी हाउस में बन्द करवा कर इस समस्या के निदान की निरन्तर व्यवस्था करती हैं।

नगरपालिका भीनमाल द्वारा अवैध अतिक्रमण

392. **श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिकाओं द्वारा अवैध अतिक्रमणों का नियमन करने के क्या प्रावधान हैं ? क्या आवासीय प्रयोजन के अलावा अतिक्रमण का नियमन किया जा सकता है ?

(2) क्या कब्जा शुदा बाड़ा जो खाली पड़ा हो, का नियमन किया जा सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका भीनमाल द्वारा पत्रावली से पांच, छह, दस, 1994 का नियमन आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अवैध दुकानों का निर्माण होते हुए भी नगरपालिका भीनमाल के अधिशाषी अधिकारी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन किया गया है ?

(5) क्या भी सही है कि अवैध दुकानों का निर्माण रोकने के लिये अधिशाषी अधिकारी ने पुलिस थाना भीनमाल को पत्र लिखा था ?

(6) क्या यह भी सही है कि ऐसी भूमि जिन पर दुकानें बनी हुई हों, का नियमन नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो किस प्रकार नगरपालिका भीनमाल द्वारा अवैध रूप से नियमन किया जाकर विक्रय विलेख संख्या 231, 232, 233 जारी किये गये ?

(7) क्या सरकार उपरोक्त विक्रय विलेख निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 21-8-71 तक हुए अवैध अतिक्रमणों को नियमन के लिये परिपत्र दिनांक 9-5-77 द्वारा एवं 1-1-81 तक हुए अतिक्रमणों को आदेश दिनांक 21-1-82 द्वारा नियमित करने का प्रावधान है। आवासीय प्रयोजनार्थ के अलावा अतिक्रमण का नियमन नहीं किया जा सकता है।

(2) जी नहीं। खाली भूखण्ड के नियमन का प्रावधान नहीं है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) नगरपालिका भीनमाल की पत्रावली संख्या 5/94 एवं 10/1994 में आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हुआ है। पत्रावली संख्या 6/94 का नियमन नहीं किया गया है।

(4) यह नियमन प्रशासनिक समिति द्वारा समझौता शुल्क लेते हुए किया गया था।

(5) अवैध निर्माण को रोकने के लिये अधिशासी अधिकारी ने पुलिस थाना को पत्र लिखा था, बाद में कमेटी द्वारा अनाधिकृत निर्माण को कपाउंड शुल्क लेकर निर्माण की आज्ञा दी गई है।

(6) जी हां। नगरपालिका, भीनमाल द्वारा अनधिकृत निर्माण जो समझौता शुल्क (कंपाउण्ड शुल्क) एवं व्यवसायिक रूपान्तरण शुल्क लेकर निर्माण की आज्ञा दी गई है।

(7) विधिक परीक्षण के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

नगरपालिका कानोड़ एवं भीण्डर (उदयपुर) में चुंगी चोरी एवं मारपीट प्रकरण

393. श्री शंकरलाल अहारी (चोरासी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में जिला उदयपुर की नगरपालिका कानोड़ एवं भीण्डर में कितनी–कितनी चुंगी चोरी एवं नगरपालिका कर्मचारियों के साथ मारपीट के प्रकरण पंजीबद्ध हुए तथा प्रत्येक में कितनी–कितनी शास्ति (जुर्माना) एवं चुंगी वसूली की गई तथा किन–किन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मामलों में नगरपालिका के निर्वाचित पार्षद एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी परिवाद पंजीबद्ध हुए हैं ? यदि हां, तो किन–किन के विरुद्ध क्या–क्या प्रकरण पंजीबद्ध हुए ? पार्षद का नाम, पारिवारिक सदस्य के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पार्षदों एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किन–किनके विरुद्ध क्या–क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अभी भी दोषी पार्षदों एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में नगरपालिका कानोड़ एवं भीण्डर में चुंगी चोरी, नगरपालिका कर्मचारियों के साथ मारपीट के पंजीबद्ध प्रकरण, चुंगी एवं जुर्माना वसूली की राशि तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के मामलों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(५०)

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नगरपालिका कानोड़ के उपसभापति श्री परसरामजी स्वर्णकार के पुत्र श्री शिवप्रसाद के विरुद्ध दिनांक 5-11-95 को उनकी दुकान के पास बिना चुंगी चुकाये आयात की गई चांदी प्रकरण में युगलकिशोर ठेका प्रथा पर कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट करने एवं आयातकर्ता को मय माल के भगा देने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 161/95 धारा 332, 353 एवं 341 के तहत दर्ज कराई गई थी।

(4) नगरपालिका कानोड़ का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगरपालिका हिण्डोन (सवाईमाधोपुर) में नालों की सफाई

394. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर की नगरपालिका हिण्डोन के गन्दे नाले की सफाई सरकार द्वारा करा दी गई है ? यदि हां, तो वर्ष 1992 से 1996 तक कुल कितनी राशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गन्दे नाले की सफाई के लिए सरकार द्वारा अब तक कितनी बार घोषणा की गई ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, हिण्डोन में गन्दे नाले की सफाई का कार्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगरपालिका के माध्यम से करवाया जा रहा है, अधिकांश कार्य सम्पन्न हो चुका है। वर्ष 1992 से 1996 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त गन्दे नाले की सफाई के लिये कोई घोषणा नहीं की गयी है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नगर परिषद् श्री गंगानगर द्वारा दुकानों के जारी पट्टे प्रकरण

395. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद् श्रीगंगानगर ने गोल बाजार की पुरानी सब्जी मण्डी थड़े पर स्थित 25 दुकानों के आवंटियों में से दुकान नम्बर 2 व 3 के आवंटियों को छोड़कर शेष सभी को पट्टे दे दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त बाजार में दुकान नं. 2 व 3 के आवंटियों द्वारा नगर परिषद् कार्यालय में दुकानों की राशि रजिस्टर्ड स्टाम्प सहित जमा करवा दी गई है ? यदि हां, तो उक्त को अब भी पट्टा न दिये जाने के कारणों का विवरण

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सदन की मेज पर रखें। अब उक्त को पट्टे कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पट्टे दिये जाने में हुये विलम्ब के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर परिषद, श्रीगंगानगर में गोल बाजार की पुरानी सब्जी मण्डी पर स्थित 26 दुकानों के आवंटियों में से केवल दुकान नं. 4 व 6 को छोड़कर किसी को भी पट्टे नहीं दिये गये हैं, क्योंकि शेष आवंटी नियमानुसार लीज पर पट्टा नहीं लेना चाहते हैं।

(2) जी हां। दुकान नं. 2 व 3 के आबंटियों को भी पट्टा नियमानुसार लीज पर नहीं लेने के कारण अभी नहीं दिया गया है। जैसे ही आबंटियों द्वारा लीज पर पट्टा लेने की सहमति प्राप्त होगी, पट्टा नियमानुसार जारी कर दिया जावेगा।

(3) पट्टे दिये जाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है, अतः यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जयपुर शहर का बरामदा प्रकरण

396. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 1532/84 में जयपुर शहर के मुख्य बाजारों के बरामदों के पब्लिक थोरोफेयर से अतिक्रमण हटाने हेतु 28 फरवरी, 1985 को आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त आदेश की पालना करवाने के लिए वांछित पुलिस सहायता नहीं देने तथा जिला प्रशासन द्वारा समुचित ध्यान नहीं देने के कारण 12 वर्ष बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाये गये हैं ?

(3) उच्च न्यायालय के आदेश की पालना अब कब तक करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। नगर निगम जयपुर द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध कानून के तहत नोटिसेज जारी किये व अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये। राज्य सरकार द्वारा बरामदा प्रकरण पर श्री पी. के. वी. कुरूप की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जिसके निर्णय के पश्चात् आयुक्तों को अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन समुचित पुलिस फोर्स के अभाव में तत्समय अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना शीघ्र करवा दी जायेगी।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

५१.

पुरानी बस्ती, जयपुर की राजकीय भूमि पर निर्माण की स्वीकृति के प्रकरण

397. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) एवं **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर चौकड़ी पुरानी बस्ती के वार्ड नम्बर 59 में जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1994 तक किसी सरकारी भूमि, रास्ता आमद रफ्त आदि पर निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई है अथवा सरकारी भूमि रास्ता आमद रफ्त आदि पर अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो मय खसरा नम्बर विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वार्ड में उक्त अवधि में किसी सरकारी भूमि या आमद रफ्त की भूमि को क्रय करने हेतु निगम में आवेदन पत्र अथवा नक्शा प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने ? निगम ने इनमें से किन-किन व्यक्तियों को सरकारी भूमि अथवा रास्ता आमद रफ्त का विक्रय किया। तथा अभी तक कितने मामले विचाराधीन हैं ? नक्शे एवं आवेदन पत्र की प्रतियां मय खसरा नम्बर के सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, सरकारी भूमि एवं रास्ता आमद-रफ्त आदि पर निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं दी जाती है और ना ही नियमितीकरण किया गया है।

(2) जी हां, उक्त अवधि में सरकारी भूमि जो कि आमद रफ्त की श्रेणी में नहीं आती है एवं भू-पट्टी की श्रेणी में आती है, को क्रय करने हेतु निगम में 11 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी सूची संलग्न है। नगर निगम द्वारा तीन प्रकरणों में भू-पट्टी का विक्रय नियमानुसार किया गया है तथा 2 प्रकरण अस्वीकृत किये गये हैं। शेष 6 प्रकरण विचाराधीन हैं। आवेदन पत्र व नक्शे की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद् (बीकानेर) द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास प्रकरण

398. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में नगर विकास न्यास या नगर परिषद् द्वारा कोई नया व्यावसायिक बाजार विकसित नहीं किये जाने से रिहायशी क्षेत्रों में बाजार विकसित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ने एवं अन्य समस्याएं पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है ?

(2) क्या सरकार को नए व्यावसायिक परिसर विकसित करने हेतु नागरिकों द्वारा कोई सुझाव दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन सुझावों को क्रियान्वित कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा वर्तमान में निम्नांकित विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक बाजार विकसित किये जा रहे हैं :—

1. (इन्दिरा मार्केट) पी.बी एम. अस्पताल रोड
2. (राव बीकाजी व्यावसायिक केन्द्र) गंगानगर रोड
3. ट्रान्सपोर्ट नगर (बीछवाल)
4. रामपुरा (लालगढ़ रेल्वे रेस्ट हाउस के समीप)
5. लिंक रोड करणीनगर योजना से गंगानगर रोड
6. जय नारायण व्यास नगर योजना :– 1. स्टेचू सर्किल, 2. सेक्टर नं. 1 शिव बाड़ी, 3. सेक्टर न 4, सेक्टर नं. 5, सेक्टर नं. 6 (सब्जी फल विक्रेताओं)
7. मुरलीधर व्यास, नगर (लालीबाई व्यापारिक केन्द्र)
8. पंचसति सर्किल सादुलगंज
9. नागनेची जी योजना
10. स्टोन मण्डी (नोखा रोड)

प्रत्येक आवासीय योजना में व्यावसायिक केन्द्र विकसित करने का प्रावधान रखा जाता है इससे पर्यावरण सन्तुलन न बिगड़ने एवं अन्य समस्यायें पैदा न होने का ध्यान रखा जाता है।

(2) नगर विकास न्यास, बीकानेर में वर्तमान में कोई सुझाव नागरिकों से इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुए हैं।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा डिपोजिट एलाटमेंट स्कीम

399. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 में नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा डिपोजिट एलाटमेंट स्कीम के अन्तर्गत भू-खण्ड हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदनकर्ताओं को भू-खण्डों का आबंटन किया गया ?

(2) भू–खण्ड आबंटियों द्वारा समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर क्या आबंटन निरस्त किये गये, यदि हां, तो किस–किस के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निरस्त किये गये आबंटित भूखण्ड पुनः आबंटियों को आबंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किये गये आबंटनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) न्यास द्वारा वर्ष 1990 से आज तक अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में कितनी प्राथमिकी पुलिस थानों में दर्ज करवाई गई व इन पर क्या कार्यवाहियां हो रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980 में नगर सुधार न्यास द्वारा डिपोजिट अलाटमेंट स्कीम के तहत गोविन्द तालाब योजना में 96 सामान्य 278 अनुसूचित जाति व जनजाति व्यक्तियों के, 83 विकलांगों के कुल 457 आवेदन

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

प्राप्त हुए। भूमि के स्वामित्व का विवाद हो जाने के कारण किसी भी आवेदनकर्ता को भूखण्ड आबंटन नहीं हो सका।

(2) आबंटन नहीं होने के कारण आबंटन निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार किसी भी आवेदनकर्ता को भूखण्ड आबंटन निरस्त करके पुनः आबंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) 1990 से आज तक अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में नौ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

उप खण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु प्रेषित प्रकरण

400. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा नगर नियोजक कार्यालय, अजमेर को विगत 6 माह में कितनी कालोनियों के प्रकरण वास्ते अनापत्ति हेतु भेजे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कालोनियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र आज तक भी नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार है ? यदि हां, तो अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देने से कालोनियों का रूपान्तरण सम्भव है ?

उत्तर

(1) उपखण्ड अधिकारी ब्यावर से विभाग के नगर नियोजन कार्यालय अजमेर को विगत छह माह में कुल दस आवासीय कालोनियों के प्रकरण राय हेतु प्राप्त हुये। (सूची संलग्न है)

(2) उक्त दस आवासीय कालोनियों में से नौ कालोनियों को स्वीकृत कर दिया गया एवं एक को अस्वीकृत कर दिया। इस प्रकार नगर नियोजन कार्यालय अजमेर में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

जिला जयपुर की भूमियों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्ति प्रकरण

401. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम गोपालपुरा, तहसील जयपुर की खसरा नम्बर 331 व 333 से 355, 355/367 एवं 355/368 को अवाप्त किये जाने की कार्यवाही किस प्रयोजन से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किस तिथि को प्रारम्भ की गयी और अवाप्ति के नोटिस कानून की भिन्न-भिन्न धाराओं के

45

(श्री कुबेर सिंह)

अन्तर्गत कब-कब जारी किये गये ? सभी नोटिसेज की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन खसरा नम्बरान की भूमि का कब्जा नहीं लेने के आदेश नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने किन-किन कारणों के आधार पर कब-कब दिये और सरकार इन आदेशों को किन कारणों से सही मानती है ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि पैसे के दबाव में आकर सरकार ने कब्जा नहीं लेने के आदेश पूंजीपति के पक्ष में दिया ?

(4) क्या यह भी सही है कि कब्जा नहीं लेने के आदेश दिए जाने का परिणाम यह हुआ कि अवाप्ति की अधिसूचना जो इस कृषि भूमि के लिए जारी की गई थी वह 2 वर्ष पश्चात् स्वतः निरस्त हो गई ?

(5) नगरीय विकास विभाग के उपरोक्त आदेशों से अवाप्ति की कार्यवाही में जो बाधा हुई और कार्यवाही अन्त में शून्य हो गई, उसको सरकार किन आधारों पर उचित मानती है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों को कब तक क्या दण्ड देने का सरकार विचार रखती है ?

(6) जयपुर नगर के लगभग मध्य में इस कृषि भूमि को सरकार द्वारा तुरन्त अवाप्त न किए जाने तथा पूंजीपति के पास अरबों रुपयों की भूमि छोड़ने के क्या कारण हैं ?

(7) जयपुर विकास प्राधिकरण इस भूमि में 80 फीट की सैक्टर रोड कब तक बना देगा और अब तक सड़क में अनावश्यक विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 331, 333 से 355, 355/367, 355/368 की अवाप्ति राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के तहत जयपुर नगर के योजनाबद्ध विकास हेतु सैक्टर नम्बर 1 पार्ट बी के तहत की गई थी । अवाप्ति की अन्तिम अधिसूचना धारा 52 (1) के तहत दिनांक 20-4-84 को राजपत्र में प्रकाशित हुई है जिसकी प्रति संलग्न है । परिशिष्ट "ब"

(2) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के तहत उक्त खसरा नम्बरों की भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा कमजोर तबके के आवासीय क्वाटर्स के निर्माण हेतु छूट दी गई थी, छूट की अवधि के दौरान क्या ऐसी भूमि को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम के तहत अवाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है । इस बिन्दु के परिक्षण एवं निर्णय तक नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 11-4-84, 12-9-84 एवं 21-3-85 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी को खसरा नम्बर 331, 333 से 355 एवं 355/367, 355/368 का कब्जा लेने पर रोक लगाई गई थी । उक्त आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "स" संलग्न है ।

(3) जी, नहीं ।

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

(4) जी नहीं। राज्य सरकार ने केवल कब्जा लेने पर रोक लगाई थी। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं थी लेकिन एन. ई. आई. द्वारा किसी अन्य विषयक याचिका में उसके पक्ष में पारित स्थगन आदेश को अवाप्ति पर स्थगन आदेश मानकर अवाप्ति की कार्यवाही रोकी रखी गई एवं विधि विभाग द्वारा यह राय दी गई थी कि अरबन अधिनियम के तहत छूट दी गई भूमि को अवाप्ति नहीं किया जा सकता।

(5) अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने का कारण जवाब के बिन्दु सं. 4 में अंकित कर दिया गया है। नगर सुधार अधिनियम में अवाप्त की कार्यवाही पूर्ण करने के लिये कोई समय अवधि निर्धारित नहीं थी लेकिन केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 राज्य में लागू होने से दिनांक 30-7-89 तक अवार्ड पारित नहीं होने के कारण अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त हो गई। जिसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(6) बिन्दु संख्या 4 एवं 5 के उत्तर के अनुरूप।

(7) प्राधिकरण के सैक्टर प्लान में एन. ई. आई. की भूमि पर 80 फीट चौड़ी सड़क प्लान में नहीं बनायी गई है। सैक्टर प्लान में सभी 5 रोड 60 फीट चौड़ी बताई गई है। एन. ई. आई. द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अभी अनुमोदित नहीं है। भूमि एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही सड़क कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जयपुर नगर में व्यावसायिक एवं आवासीय काम्पलेक्सों का निर्माण

402. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में व्यावसायिक एवं आवासीय काम्पलेक्स आदि निरन्तर निर्मित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उनके निर्माताओं के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्मित काम्पलेक्सों में से अधिकतर बिना स्वीकृति के तथा स्वीकृति के विपरीत निर्मित हुए हैं ? यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या–क्या कदम अब तक उठाये गये हैं ? ऐसे सभी काम्पलेक्सों एवं नाम मालिकों के नाम पतों सहित विवरण तथा की गयी कार्यवाही सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अल्प या मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा ऐसे काम्पलेक्स निर्मित किये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची (अ) संलग्न है।

(2) स्वीकृति के विपरीत निर्मित आवासीय तथा व्यवसायिक काम्पलेक्स की सूची (ब) संलग्न है। प्राधिकरण द्वारा बिना स्वीकृति के निर्माण पर रोक लगाये जाने की दृष्टि से जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 1996 बनाये गये हैं जो दिनांक 28-6-96 से प्रभावी हो गये हैं। जिनमें रखे गये प्रावधानों मे बिना स्वीकृति निर्मित किये गये/किये जा रहे आवासीय तथा व्यवसायिक काम्पलेक्स में अवैध निर्माण को रोके जाने में सफलता प्राप्त होना सम्मावित है। नगर निगम द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा मानजी का हत्था योजना में कार्मशियल काम्पलेक्स हेतु भू-खण्ड नीलामी प्रकरण

403. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा मानजी का हत्था योजना में पिछले दो वर्षों में कामर्शियल काम्पलेक्स हेतु भू-खण्ड की नीलामी की गयी थी?

(2) यदि हां, तो उक्त भू-खण्डों हेतु अधिकतम बोली की दर क्या थी एवं भू-खण्ड की बोली किसके द्वारा लगायी गयी?

(3) उक्त भू-खण्ड की बोली जिस व्यक्ति/फर्म के नाम से स्वीकृत की गई ने भूखण्ड की राशि कब-कब न्यास में जमा करायी? क्या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुयी है?

(4) क्या भूखण्ड के बोलीदाता ने न्यास में मालिकाना हक हेतु नाम परिवर्तन का आवेदन किया था? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुयी एवं क्या इस कार्यवाही से राजस्व की कोई हानि हुयी?

(5) उक्त भूखण्ड की नीलामी हेतु जो शर्तें रखी गयी वे क्या थी? क्या वे नियमानुसार थी व क्या किसी शर्त विशेष से न्यास को हानि हुयी?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा मानजी का हत्था योजना में दिनांक 17-1-95 को कार्मशियल काम्पलेक्स बनाने हेतु 2978.21 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड की सार्वजनिक नीलामी की गयी।

(2) उक्त भूखण्ड की बोली मैसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम उम्मेद भवन पैलेस रोड के लिये श्री आर. के. सिंघल

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पार्टनर द्वारा 7100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम बोली लगायी गयी है।

(3) उक्त भूखण्ड की बोली अन्तिम बोलीदाता फर्म मैसर्स राजस्थान आर्ट एम्पोरियम के नाम से स्वीकृत हुई। इस बोली के पेटे बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट "अ" के अनुसार राशि जमा करायी गयी। राशि जमा कराने में कोई अनियमितता नहीं हुयी।

(4) बोलीदाता फर्म की ओर से मालिकाना हक हेतु नाम परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र न्यास में बोलीदाता फर्म द्वारा दिनांक 27-1-95 को पेश किया गया किन्तु उनका यह आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया। इस कार्यवाही में कोई राजस्व हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) इस भूखण्ड की नीलामी हेतु जो शर्तें निर्धारित की गयी थी उसकी प्रति संलग्न है। नीलामी की किसी भी शर्त से न्यास को कोई भी हानि नहीं हुयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

आवासन मण्डल की विशिष्ट पंजीकरण योजना

404. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) एवं **श्री सुखलाल सैणचा** (रायपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल द्वारा विशिष्ट पंजीकरण योजनान्तर्गत विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिये वर्ष 1995-96 में कोई योजना स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो उसमें अब तक पंजीकृत लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में पंजीकृत लोगों को कब तक और किन-किन शर्तों पर मकान आवंटित कर दिये जायेंगे ?

(3) क्या आवासन मण्डल सांगानेर के अलावा भी उक्त श्रेणी के लोगों के लिये, कहीं अन्य स्थान पर योजना बना रहा है ? यदि हां, तो कहां ?

उत्तर

(1) मण्डल द्वारा विशिष्ट पंजीकरण योजना, 1994 प्रारम्भ की गयी थी तथा उक्त योजना दिनांक 31-10-95 तक प्रभावित थी, उक्त अवधि में जिन विधायकों/सांसदों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों ने पंजीकरण करवाया था, उनकी सूची संलग्न है।

(2) उक्त योजना में सांगानेर के लिए पंजीकृत लोगों को आरक्षण पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा आरक्षण पत्र जारी करने के एक वर्ष की अवधि में उन्हें मकान पंजीकरण योजना हेतु प्रकाशित की गयी पुस्तिका में वर्णित शर्तों, नियमों के अनुसार तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित आवंटन प्रक्रियानुसार मकान आवंटित किये जावेंगे।

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

(3) मण्डल द्वारा जयपुर में केवल सांगानेर योजना में ही उक्त श्रेणी के लोगों के लिए मकान आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी।)

सूरजपोल अनाज मण्डी (जयपुर) में ई. डब्ल्यू. एस. क्वार्टर्स में सड़क प्रकरण

405. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सूरजपोल अनाज मण्डी में बनाये गये ई. डब्ल्यू. एस क्वार्टर्स के लिए 20 फुट का अनुमोदित रोड सात वर्ष बाद भी नहीं बनाया गया है एवं एक भी परिवार सर्वेधारी न होने के उपरान्त भी उनको बेदखल कर इतने वर्षों के पश्चात् भी रोड न बनाने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(2) क्या वर्तमान वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त है ? यदि नहीं तो क्या स्थानीय 171 परिवारों की कठिनाइयों की ओर प्राधिकरण ने ध्यान दिया है ? क्या सरकार उक्त परिवारों के लिये कोई साइड रोड या अनुमोदित रोड निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या प्राधिकरण इस आवासीय कालोनी को सीवरेज लाइन से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि समीप बसी कच्ची बस्ती के निवासियों के गटर सुविधा नहीं होने के कारण वहां के निवासियों ने नाले में लाइनें छोड़ रखी हैं ?

(5) क्या सरकार सीवरेज लाइन नाले के अन्दर सूरजपोल दरवाजे तक लाकर मैन लाइन में मिलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या क्षेत्रीय निवासियों के लिये सीवरेज लाइन डाले जाने का अब तक भौतिक निरीक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूरजपोल अनाज मण्डी में निर्मित ई. डब्ल्यू. एस. क्वार्टर्स के लिए 20 फुट की अनुमोदित सड़क मौके पर बसी कच्ची बस्ती में बैठे लोगों के कारण निर्मित नहीं करवायी जा सकी। कच्ची बस्ती को हटाये जाना नीतिगत है।

(2) जी हां, वर्तमान में पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था है। ई. डब्ल्यू. एस. निवासियों हेतु समस्त आन्तरिक सड़कें, नाली, विद्युत, पेयजल आदि की व्यवस्था उपलब्ध करवादी गयी है। क्योंकि साइड रोड पर विद्यमान कच्ची बस्ती को हटाया जाना नीतिगत है, अतः वर्तमान में साइड रोड का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

(3) प्राधिकरण क्षेत्र की आवासीय कालोनियों में सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु सहभागी नगर विकास योजना अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां।

(5) वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(6) जी हां। क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण कर लिया गया है।

जयपुर नगर सीमा में कच्ची बस्तियां

406. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की सीमा में कितनी कच्ची बस्तियां कब से बसी हुयी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कौनसी कच्ची बस्तियां अवैध रूप से बसी हुयी हैं तथा कौन–कौन सी कच्ची बस्तियों को नियमित कर बसा दिया गया है ?

(3) क्या वर्ष 1990 से 1996 तक जयपुर में कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाया गया ? यदि हां, तो कब ? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जयपुर में कच्ची बस्तियों का अब सर्वे करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में 142 एवं नगर निगम क्षेत्र में 27 कच्ची बस्तियां हैं ये कच्ची बस्तियां कब से बसी इसकी जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि ये बस्तियां शनैः शनैः बसी हैं। प्राधिकरण की सूची "अ" संलग्न है।

(2) सभी कच्ची बस्तियां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से ही बसी हैं सर्वेक्षित बस्तियों में से अब प्राधिकरण क्षेत्र में 33 कच्ची बस्तियां रही हैं (सूची "ब" संलग्न है) संलग्न सूची में नियमित की गयी कच्ची बस्तियों को दर्शा दिया गया है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1990 से 1996 तक जयपुर में कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(4) राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में दिनांक 1–1–91 तक के अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये मकानों के नियमन का सिद्धान्ततः निर्णय ले लिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नाहरी का नाका शास्त्री नगर (जयपुर) में भू–खण्डों का आबंटन

407. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रघुवीर सिंह)

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका (पूर्व) योजना, शास्त्री नगर, जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाया गया था ? यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत आवंटित सभी भू-खण्डधारियों द्वारा भवन निर्मित कराये जा चुके हैं ?

(2) भू–खण्ड आबटित किये जाने के पश्चात् कितने समय के अन्दर भवन निर्माण कराये जाने का नियमों में प्रावधान है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई भू-खण्ड-धारियों द्वारा भू-खण्ड पर चार दीवारी बना कर खाली छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे भू-खण्डधारियों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भू–खण्ड पर निर्माण नहीं होने से इनका उपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा एवं गन्दगी आदि डालने के काम में किया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार ऐसे भूखण्डों का आबंटन निरस्त करने अथवा भू-खण्डधारियों को भवन निर्मित करवाये जाने हेतु निर्देश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नाहरी का नाका पूर्व योजना शास्त्री नगर को जयपुर विकास न्यास द्वारा बसाया गया था। जी नहीं, इस योजना में सभी भू-खण्डधारियों द्वारा अभी तक भवन निर्माण नहीं करवाये गये हैं।

(2) भू-खण्ड आबंटन के पश्चात् 2 वर्ष के अन्दर भवन निर्माण कराये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। यह सही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। भवन निर्माण समिति के समक्ष प्रकरण रखा जाकर निर्णय अनुसार छह माह की अवधि में कार्यवाही की जायेगी।

(नियमों की प्रति एवं सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

जिला नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जल योजना

408. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जल योजना कब से शुरू की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील डेगाना जिला नागौर में वर्तमान में विभाग की कितनी जनता जल योजनायें कार्यरत हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राशि की अनुपलब्धता के कारण अधिकांश जनता जल योजनाएं बंद पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन योजनाओं को राशि उपलब्ध

(श्री रिछपाल सिंह)

कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनता का जल योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धित परिपत्र 28 मार्च, 1994 को जारी किया गया था ।

(2) उल्लेखित तहसील में वर्तमान में दो योजनाएं, चकढाणी व बिचपुड़ी जनता जल योजना के अन्तर्गत कार्यरत हैं ।

(3) जी हां । इस वर्ष अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर इन योजनाओं को चालू कराना प्रस्तावित है ।

उप खण्ड भोपालगढ़ को प्राप्त राजस्व

409. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी उप खण्ड भोपालगढ़ को कितना राजस्व मिल रहा है ? पिछले पांच वर्षों से प्राप्त राजस्व के योजनावार लेखा की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

वर्तमान में सन्दर्भित उपखण्ड के लगभग 5 लाख रुपये वार्षिक राजस्व प्राप्त हो रहा है । गत 5 वर्षों योजनावार राजस्व लेखों की राशियों का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें ।)

राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल के मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय का भौतिक सत्यापन व अंकेक्षण

410. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल के मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय के अंकेक्षण व भौतिक सत्यापन का कार्य काफी लम्बे समय से नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य लेखाधिकारी द्वारा विभाग के समस्त खण्डों, उप खण्डों तथा अनुभागों में राशि की वसूली एवं गबन के प्रकरणों की आंतरिक जाँच प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में दस्तावेजात सहित शिकायतें प्राप्त हुयी थीं ? यदि हाँ, तो कब और उक्त शिकायतों की जाँच करने का कार्य कब और किस अधिकारी को दिया गया ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय में सरकार से बिना अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र हासिल किये मंत्रालयिक कर्मचारियों को कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर पदोन्नत किया

(श्री विष्णु मोदी)

गया है ? यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों को ?

(4) क्या यह सही है कि महालेखाकार ने उक्त पदोन्नति प्रकरणों को नियम विरुद्ध मानते हुए पदोन्नत लोगों को वापस मूल पदों पर किये जाने तथा पदोन्नति की समयावधि में बढ़े हुए वेतन की वसूली करने की बात अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख की है ? यदि हाँ, तो सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । उल्लेखित कार्यालय का अंकेक्षण वर्ष 1985-86 से 1995-96 की अवधि का महालेखाकार द्वारा किया गया है । सिविल कार्यालय होने के कारण कार्यालय फर्नीचर, टाइपराइटर इत्यादि वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मई 1985, फरवरी 1995 एवं जून 96 में किया गया है।

(2) प्राप्त शिकायत तथ्यों पर आधारित नहीं है एवं उनके साथ दस्तावेज संलग्न नहीं है । जांच की आवश्यकता नहीं है । शिकायत की वांछित प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें ।)

जिला भीलवाड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प

411. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाडा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाये हुये हैं ? यदि हाँ, तो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प कहां-कहां स्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त वर्णित हैण्डपम्प जून 1996 तक कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से ? कौन-कौन से कब से नकारा है नाकारा के स्थान पर कब तक नये हैण्डपंप स्थापित किये जाएंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अनेक हैण्डपंपों का जल स्तर नीचा जाने से वे कभी पानी देते हैं और कभी हवा निकालते हैं ? यदि हाँ, तो इनका सर्वेक्षण करा उनमें कब तक पाइप बढ़ाये जाने का सरकार का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(4) क्या यह सही है कि विभाग ने स्थापित हैण्डपम्पों में से कई को तकनीकी कारणों से नकारा माना है और मौके से हटाये गये हैं ? यदि हाँ, तो उनके स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाये गये ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(5) हैण्डपम्प ज्यादा समय तक ठीक नहीं रहने की सूचना के अभाव में जनता को कष्ट होता है इसके लिए क्या सरकार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्व पटवारियों, ग्राम पंचायतों से प्रति माह बैठकों में तहसील अथवा पंचायत समिति में स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता करने पर विचार करेगी।

उत्तर

(1) जी हाँ। भीलवाड़ा जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 1365 एवं 7066 स्थापित हैण्डपम्पों की शहर एवं तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रगतिरत हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान शहरी क्षेत्र में 1365 में से खराब पाये गये 890 हैण्डपंपों में से 855 को ठीक कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित 7066 हैण्डपम्पों में से 3846 खराब पाये गये हैण्डपम्पों में से 3726 हैण्डपम्प ठीक किये जा चुके हैं। परित्यक्त हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प आवश्यकतानुसार स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान जल स्तर नीचे चले जाने वाले कुछ हैण्डपम्पों के पाइपों की लम्बाई बढ़ाई गयी है। सर्वेक्षण के दौरान शहरी क्षेत्र में 11 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 206 हैण्डपम्प सूखे पाये गये।

(4) जी हाँ। तकनीकी कारणों से परित्यक्त कुछ हैण्डपम्पों को हटा दिया गया है एवं मापदण्डों के अनुसार नये हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

(5) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात हैण्डपम्प मिस्त्री पंचायत समितियों के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। पंचायत समिति द्वारा जो भी व्यवस्था उपयुक्त समझी जाये, उसके अनुसार सूचना मँगवाई जा सकती है। हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान पंचायत के प्रतिनिधि एवं राजस्व विभाग सर्वेक्षण कर जैसा उपयुक्त समझते हैं, सूचना मंगवायी जाकर मरम्मत का कार्य किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र शिव के ग्रामों/ढाणियों में पेयजल व्यवस्था

412. श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में ऐसे कितने राजस्व ग्राम व ढाणिया हैं जिनमें सरकार द्वारा किसी प्रकार की पेयजल व्यवस्था नहीं की गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन ग्रामों व ढाणियों में पेयजल व्यवस्था नहीं है, उनमें पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में 89 राजस्व ग्राम एवं 502 ढाणियों में पेयजल व्यवस्था करना शेष है। (सूची परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हाँ। राजस्व में चिह्नित 45311 ढाणियों में से अब 12248 ढाणियों में पेयजल व्यवस्था किया जाना शेष है, जिन्हें

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

भूजल की उपलब्धता तथा धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष पूरे राजस्थान में 5000 हैबीटेशन को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

हाउसिंग बोर्ड कालोनी देवीपुरा (सीकर) का सीवरेज प्रकरण

413. **श्री अमराराम** (धोद): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर नगर में स्थित हाऊसिंग कालोनी देवीपुरा में सीवरेज लाइन डाली हुई है ? यदि हाँ, तो इसके नाले को कहां छोड़ा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि हाउसिंग बोर्ड सीकर के सीवरेज लाइन को बस स्टेण्ड (रोडवेज) सीकर के पास खुला छोड़ दिया गया है, जहाँ गन्दे नाले का पानी आकर इकट्ठा होता है ?

(3) क्या आबादी के मध्य गन्दा पानी इकट्ठा होना एवं इसी में सीवरेज का गन्दा नाला छोड़ने से वहां निवास करने वाली जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

(4) क्या यह सही है कि इस गन्दगी एवं गन्दे पानी के इकट्ठे होने से कभी भी किसी भी मौसमी बीमारी के फैलने का अंदेशा बना हुआ है ? यदि हाँ, तो सरकार इसके समाधान की क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। इस सीवर लाइन का पानी सैप्टिक टैंक के माध्यम से रोडवेज बस स्टेण्ड के पास छोड़ा जा रहा है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) सीवर लाइन का पानी सैप्टिक टैंक के माध्यम से आता है परन्तु इसमें आस-पास की कई कालोनियों का अशोधित पानी भी आकर मिलने से प्रदूषण की समस्या है।

(4) समस्या का निदान शहर की सीवरेज योजना के क्रियान्वयन के पश्चात ही हो सकेगा जो आवश्यक धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार सम्भव है।

पंचायत समिति नादोती के ग्राम गुढ़ाचन्द्रजी में नल योजना

414. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति नादोती के ग्राम गुढ़ाचन्द्रजी में क्या कोई नल योजना की टंकी स्वीकृत हुई थी? यदि हाँ, तो उसको कब तक बना दिया जायेगा ?

(2) क्या उक्त टंकी का ठेका हो चुका है ? यदि हाँ, तो अब तक कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ ? क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त टंकी कौन से स्थान पर बनाई जावेगी और उसकी नाप क्या होगी?

उत्तर

(1) जी हां। उल्लेखित ग्राम हेतु स्वीकृत उच्च जलाशय का निर्माण वर्ष 1997 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(2) जी हां। ठेकेदार द्वारा ड्राइंग एव डिजाइन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दी गयी है, जिसके अनुमोदन के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जावेगा तथा वर्ष 1997 तक निर्माण को पूर्ण किया जाने का लक्ष्य है।

(3) उक्त जलाशय का निर्माण ग्राम में स्थित विभागीय परिसर में प्रस्तावित है। इसकी क्षमता 2.00 लाख लीटर एवं ऊंचाई 15 मीटर होगी।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में हैण्डपम्पों की स्वीकृति

415. **श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी):** क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1990 से अब तक कौन-कौन से गांवों में, किस-किस स्थान पर, कितने-कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये? उनमें से कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत स्थान पर लगाये जा चुके हैं कितने हैण्डपम्प अभी तक नहीं लगाये गये हैं तथा नहीं लगाये जाने के क्या कारण रहें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कौन-कौन से गांवों में पेयजल योजना किस-किस योजना के तहत कब-कब स्वीकृत हुयी? क्या स्वीकृत शुदा पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?? सरकार अब कब तक यह कार्य कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ऐसी अनेक ढाणियां हैं जिनकी आबादी 200 या इससे भी अधिक है? क्या वहां पर न तो कोई हैण्डपम्प लगाने गये हैं और ना ही पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या सरकार उक्त स्थानों पर हैण्डपम्प या पाइप लाइन द्वारा पानी सुलभ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र में स्वीकृत एवं स्थापित हैण्डपम्पों का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। शेष बचे हुए हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति में है जिसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया जा रहा है।

(2) गत तीन वर्षों में स्वीकृति एवं क्रियान्विति सम्बन्धित योजनाओं (हैण्डपम्पों के अतिरिक्त) का वांछित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है अपूर्ण योजनाओं के कार्य प्रगति में है एवं इन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया जा रहा है।

(3) जी हां। क्षेत्र में ऐसी 6 ढाणियों को लाभान्वित कर दिया गया है एवं 9 अन्य

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

का कार्य प्रगति में है। क्षेत्र में स्थित सभी ढाणियों की समस्या सम्बन्धित सर्वेक्षण करवाया जा रहा है जिसके पश्चात् मापदण्डों के अनुसार इन्हें लाभान्वित किया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति जमवारामगढ़ एवं झोटवाड़ा की पंचायतों में हैण्ड पम्प

416. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति जमवारामगढ़ और पंचायत समिति झोटवाड़ा की निम्नांकित पंचायतों में हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु सर्वे करवाया जा चुका है :–झोटवाड़ा पंचायत समिति :– 1. पंचायत विजयपुरा और उसके गांव 2. पंचायत सुनेल और उसके गांव।

जमवारामगढ़ पंचायत समिति :–

1. पंचायत नायला और उसके गांव, ढाणियां व मजरे।
2. पंचायत रोहारी। ,,
3. पंचायत लगडियावास ,,
4. पंचायत रूपवास और उसके गांव ढाणियां और उसके मजरे
5. पंचायत पापड़ और उसके गांव
6. पंचायत जमवारामगढ़ ,,
7. पंचायत इन्द्रगढ़ ,,
8. पंचायत नटाटा ,,
9. पंचायत मानपुर कलां ,,
10. पंचायत बासना ,,
11. पंचायत शाहपुरा ,,

(2) यदि हां, तो उक्त गांवों में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब सरकार कब तक उक्त गांवों का सर्वे करवाकर हैण्ड पम्प लगवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पंचायत समिति झोटवाड़ा एवं जमवारामगढ़ की वर्णित ग्राम पंचायतों में क्रमश: 5 व 58 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं।

(3) सर्वेक्षण के पश्चात् झोटवाड़ा पंचायत समिति के पांचों एवं जमवारामगढ़ के 55 में 44 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। शेष 11 हैण्ड पम्प बोल्डर भूमि होने के कारण लगाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पंचायत समिति आभानेरी के ग्राम जैस्या की ढाणी (दौसा) में हैण्डपम्प स्वीकृति

417. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की आभानेरी पंचायत के ग्राम जैस्या की

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

ढाणी हेतु हैण्ड पम्प की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत हैण्डपम्प को उक्त ग्राम जैस्या की ढाणी के स्थान पर दूसरी जगह लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कहां व किस स्थान पर एवं किसके आदेश से ?

(3) क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही कर ग्राम जैस्या की ढाणी में अब अविलम्ब हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) स्वीकृत न होने के कारण अन्य जगह लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है । ढाणी में हैण्ड पम्प आवश्यकतानुसार स्वीकृत कर लगाया जाना सम्भव होगा ।

नये पेयजल कनेक्शन हेतु अमानत राशि में बढ़ोतरी

418. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नया जल कनेक्शन देने हेतु अमानत राशि 100/– रुपये से बढ़ाकर 1,000/– रुपये करदी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय आवासों में निवास करने वाले कर्मचारियों से भी बढ़ी हुई अमानत राशि ही ली जाकर कनेक्शन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन राज्यकर्मियों जो राजकीय आवासों में जल सम्बन्ध लेना चाहते हैं, से पूर्ववत अमानत राशि 100/– रुपये लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) पेयजल की खपत के बढ़ते हुए अनुपात के परिपेक्ष्य में नये जल सम्बन्धों हेतु अमानत राशि घरेलू कनेक्शन के लिए कम से कम 32/– रुपये से बढ़ाकर कम से कम 500/– रुपये कर दी गई है । आदेश की प्रति संलग्न है ।

(2) जी हां । नियमों में राजकीय आवासों में निवास करने वाले जल सम्बन्धों के आवेदकों से भी उपरोक्तानुसार ही राशि लिये जाने का प्रावधान है एवं इसमें कमी करने का विचार नहीं है । यह राशि सितम्बर, 1994 से वसूल की जा रही है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र भवानी मण्डी में जल प्रदाय योजना

419. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(1) भवानी मण्डी में स्वीकृत शहरी जल प्रदाय योजना कब स्वीकृत की गयी है ? विवरण मय लागत राशि, योजना पूरी होने की दिनांक के सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दिनांक से विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं ? सभी निविदाओं की स्वीकृति दिनांक, फर्म के नाम जिसके पक्ष में निविदाएं स्वीकृत की गयी हैं एवं इन फर्मों द्वारा पूरे किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना को पूरा करने हेतु हुड़को द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है एवं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली भागीदारी राशि कितनी है ? हुड़को द्वारा ऋण किश्त राशि कब-कब कितनी रिलीज की गयी है एवं विभाग द्वारा हुड़को को ऋण अदायगी पर मय ब्याज के कितनी-कितनी राशि कब अदा की गयी ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित शहरी जलप्रदाय योजना की संशोधित स्वीकृति दिनांक 3–11–93 को 352.32 लाख रु. की राशि की जारी की गई है। योजना का कार्य प्रगति में है एवं बजट की उपलब्धतानुसार इसे पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) इस योजना को पूर्ण किये जाने हेतु हुडको द्वारा 166.82 लाख रु. का ऋण प्रदान किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा भी 185.91 लाख रु. की राशि आबंटित की जा चुकी है। ऋण तथा ब्याज का वांछित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मालवीय नगर जयपुर में स्थापित राशन की दुकान के संचालक के कार्य-कलाप

420 **श्री सुखलाल सेणचा** (रामपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मालवीय नगर, जयपुर में राशन की दुकान नं. 542 किसके नाम से आवंटित है तथा इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ? क्या इसका आबंटन जिसके नाम से है वह व्यक्ति जयपुर में नहीं रहता है ? यदि हां, तो अब तक बिना मालिक के इस दुकान को कौन चला रहा है ? आवेदन पत्र एवं उपभोक्ता संघ में किसके हस्ताक्षर हैं ?

(2) क्या इस दुकान पर 3000 से 5000 लीटर प्रतिमाह कैरोसिन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उसका वितरण राशन कार्डों पर किया जाना होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बिक्री रजिस्टर में फर्जी राशन कार्डों का इन्द्राज करना तथा फर्जी

(श्री सुखलाल सेणचा)

व्यक्ति द्वारा राशन सामग्री का वितरण करना एक संगीन जुर्म है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके खिलाफ धारा 317 के तहत कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रकरण की जानकारी पूर्व प्रवर्तन निरीक्षक को थी ? यदि हां, तो क्या सरकारी सामग्री को ब्लैक करने वाले उक्त दुकानदार की सरकार दुकान रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मालवीय नगर, जयपुर में उचित मूल्य की दुकान 542 श्री करणी सिंह पुत्र श्री कानसिंह, निवासी झालाना ग्राम (मालवीयनगर) के नाम आबंटित है। इसका संचालन स्वयं दुकानदार द्वारा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से उक्त दुकान आबंटन है वह व्यक्ति जयपुर में ही रहता है। स्वयं मालिक ही उक्त दुकान को चला रहा है। आवेदन–पत्र एवं उपभोक्ता संघ से लेवी चीनी आदि प्राप्त करने के हस्ताक्षर श्री करणी सिंह के हैं।

(2) जी नहीं। दुकान नं. 542 को प्रति माह 3500 लीटर कैरोसिन तेल दिया जाता है, जिसका वितरण राशन कार्डों पर किया जाता है।

(3) जी हां। बिक्री रजिस्टर में फर्जी राशन कार्डों का इन्द्राज एवं फर्जी व्यक्ति द्वारा राशन वितरण करने पर उसके विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

(4) जी नहीं। उक्त दुकान नं. 542 पर सरकारी सामग्री को ब्लैक करने का कोई मामला है ही नहीं, तो रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीकर जिले के राशन सामग्री विक्रेता

421. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में किस ग्राम पंचायत की राशन की कौन–कौनसी सामग्री उसकी पंचायत सीमा के बाहर वितरित की जाती है ? पंचायत की सीमा से बाहर वितरण वाले स्थान की पंचायत मुख्यालय से कितनी–कितनी दूरी पर सामग्री का वितरण होता है ?

(2) किन–किन ग्राम पंचायतों में राशन सामग्री वितरण हेतु स्थाई राशन विक्रेता व कब से व क्यों नियुक्त नहीं किये गये है ?

(3) क्या यह सही है कि स्थाई विक्रेता नियुक्त नहीं कर अस्थाई विक्रेताओं के माध्यम से सामग्री की वितरण व्यवस्था चल रही है ? यदि हां, तो उन अस्थाई विक्रेताओं की नियुक्ति का मानदण्ड क्या है ?

(4) अस्थाई विक्रेता की नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा कब–कब की गई ?

उत्तर

(1) सीकर जिले की ग्राम पंचायत भासपुर जुमराजपुरा एवं हथोरा में उनकी सीमा में राशन सामग्री का वितरण नहीं होता है। शेष पंचायतों को केरोसिन तेल के अलावा सभी नियंत्रित वस्तुएं सम्बन्धित पंचायत की सीमा में वितरित कराई जाती है। कतिपयायतों के अलावा अधिकांश पंचायतों को केरोसिन तेल का वितरण उनकी सीमा से बाहर कराया जाता है। विवरण की सूची संलग्न है।

(2) सीकर जिले में 37 ग्राम पंचायतों में स्थाई विक्रेता नियुक्त नहीं है इसका विवरण कारण सहित सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। विभागीय मानदण्ड के अनुसार किसी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के निलम्बन/निरस्तीकरण की स्थिति में वितरण व्यवस्था के लिये प्रतिक्षा सूची में से नयी दुकान आवंटित की जायेगी।

(4) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान फ्लोर मिल (जयपुर) में हुई अनियमितताएं

422. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान फ्लोर मिल बगरू, जिला जयपुर में अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या एवं कब ?

(2) क्या उक्त प्रकरण में जांच की गयी ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त फ्लोर मिल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों एवं कब ?

(4) उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी तथा अब क्या कार्यवाही होनी शेष है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान फ्लोर मिल; बगरू, जिला जयपुर का निरीक्षण दिनांक 18–5–96 को किया गया, जिसके दौरान अनियमितताएं पाई गई। उक्त फर्म को जारी लाइसेन्स संख्या 158, दिनांक 31–3–96 तक वैध था इसके पश्चात् लाइसेन्सी ने नवीनीकरण शुल्क व प्रार्थना-पत्र अथोरिटी को प्रस्तुत नहीं किया। फर्म के स्वामित्व में वर्ष 1993 में परिवर्तन हुआ, परन्तु इसकी सूचना सक्षम अधिकारी को नहीं दी गई, रिटर्न भी प्रस्तुत नहीं की गई, विक्रय बिल भी विलम्ब से जारी किया गया, मिल की अधिकतम भण्डारण क्षमता बाबत कोई जानकारी जांच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गयी।

(2) जी हां। दिनांक 18–5–96 को फर्म का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान राजस्थान ट्रेड आर्टिकल (अनुज्ञापन

(राज्य मन्त्री, खाद्य एवं नागरिक ग्रापूर्ति)

एवं नियंत्रण) ग्रादेश, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर सरसों 839 बोरी वजन 71.32 मै. टन, सरसों तेल 23.936 मै. टन जब्त किया गया। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जांच में पाई गई ग्रनियमितता के सम्बन्ध में राजस्थान फ्लोर मिल को कारण बताग्रो नोटिस जारी किया गया है। जब्त माल के निस्तारण बाबत धारा 6–ए के ग्रन्तर्गत जिलाधीश के न्यायालय में वाद दायर कराया गया। उपरोक्त दोनों कार्यवाहियों में लाइसेन्सी को नियमानुसार सुनवाई की जाकर ग्रन्तिम निर्णय दिया जाना शेष है।

(जांच प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रामगंज मण्डी (कोटा) क्षेत्र के ग्रामों के तालाबों का निर्माण

423. **श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990–91, से 1995–96 तक कोटा जिले की रामगंजमण्डी तहसील के गांव उण्डवा तालाब के निर्माण कार्य पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई तथा तालाब के निर्माण होने से कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने का ग्रनुमान लगाया गया था ?

(2) उक्त ग्रवधि में तालाब का निर्माण कार्य किस–किस ठेकेदार से कब–कब करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार से उक्त तालाब का निर्माण कार्य करवाया गया उसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त नहीं होने से तालाब में पानी नहीं ठहर सका है जिसके कारण ग्रपेक्षित सिंचाई सुविधा बड़ी राशि व्यय होने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार की ग्रौर कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रामगंजमण्डी तहसील के ग्राम पंचायत का उण्डवा तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि के ग्रन्तर्गत करवाया गया था। कार्य में व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रुपये लाख में
1990–91	—
1992–93	4.85
1994–95	0 25
1995–96	2.77

यह पंचायत का तालाब है। उक्त तालाब के जीर्णोद्धार होने पर इससे होने वाली सिंचाई का ग्रनुमान नहीं लगाया गया था क्योंकि यह तालाब मवेशियों के

(सिंचाई मन्त्री)

पानी एवं कुओं में जल स्तर बनाए रखने के काम आता रहा है। इससे सिंचाई नहीं होती। इस तालाब की कोई नहर नहीं है तथा उपरोक्त किया गया कार्य भी इसका आंशिक जीर्णोद्धार ही है।

(2) उक्त अवधि में वर्षवार किये गये निर्माण कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 1990-91	कोई कार्य नहीं किया गया।
वर्ष 1992-93	मैसर्स आत्माराम, ठेकेदार न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा, कोटा से करवाया गया।
वर्ष 1994-95	ग्राम पंचायत के माध्यम से यूजर्स कमेटी द्वारा निर्माण कार्य सम्पादित करवाया गया।
वर्ष 1995-96	ग्राम पंचायत के माध्यम से यूजर्स कमेटी द्वारा निर्माण कार्य सम्पादित करवाया गया।

(3) यह सही नहीं है। कार्य की आवश्यकतानुसार अनुभवी ठेकेदार द्वारा कार्य करवाया गया है। उक्त तालाब का केवल जीर्णोद्धार का कार्य ही विभाग द्वारा करवाया गया है, जिसका उद्देश्य रिसाव कम करना था, जिसके अन्तर्गत तालाब के बैंक का रिपेयरिंग का कार्य ब्लैकेट का कार्य एवं कट ऑफ ट्रेन्च का कार्य करवाया गया है। चूंकि भराव में नीचे की सतह में भिकरा की परते हैं जिसकी वजह से पानी का रिसाव होता है, तालाब का पानी धीरे-धीरे पैंदे में से निकल जाता है। उपरोक्त कार्य करवाने से तालाब की भराव क्षमता बढ़ी है तथा रिसाव में कमी आई है। तालाब के बचे हुए हिस्से में भी कट ऑफ ट्रेन्च एवं ब्लैंकिट्स के कार्य की आवश्यकता है। इस कार्य के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है।

पार्वती बांध के निर्माण कार्य में अनियमितताएं

424. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पार्वती बांध के निर्माण कार्य में तकनीकी विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कलक्टर, धौलपुर द्वारा सरकार से मांग की गयी थी ? यदि हां, तो कब-कब और क्या सरकार द्वारा यह सेवा उपलब्ध करवा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त बांध की दीवारों के ग्राउटिंग कार्य का ठेका किस कम्पनी/ठेकेदार को कितनी राशि का, किन-किन शर्तों पर और कब दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ठेके की शर्तों के अनुसार ग्राउटिंग के कार्य हेतु किये गये गड्ढों को सीमेंट से भरा जाना था ?

(4) क्या यह सही है कि कम्पनी/ठेकेदार द्वारा निर्मित की गयी बांध की दीवार सितम्बर, 1995 में तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थी ?

(64)

(श्री विष्णु मोदी)

(5) क्या यह सही है कि उक्त बांध के निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुयी थीं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकम्मल कार्यवाही अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिलाधीश, धौलपुर द्वारा पार्वती बांध के निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु मांग नहीं की गई है।

(2) बांध की चुनाई में ग्राउटिंग कार्य हेतु मैसर्स स्थू कन्स्ट्रक्शन लि. हैदराबाद को 161.67 लाख रुपये का ठेका दिनांक 25–8–93 को आवंटित किया गया था। ठेके की शर्तों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। बांध की दीवार डिजाइन से अधिक पानी के निस्तारण से क्षतिग्रस्त हुई थी।

(5) जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर किसी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उपखण्ड सलुम्बर (उदयपुर) के सिचाई विस्तार हेतु सर्वेक्षण

425. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या उदयपुर जिले के उपखण्ड सलुम्बर क्षेत्र का सिंचाई विस्तार हेतु कोई मास्टर प्लान बनाने के लिए सर्वे किया गया है ? यदि हाँ, तो सर्वे के आधार पर कौन-कौन सी सिंचाई योजना है, जो प्रमाणित की गयी हैं इन योजनाओं में से वर्ष 1996–97 में कौन-कौन सी योजनाएं पूरी करने का बजट में प्रावधान किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वृहद्, लघु एवं एनीकट योजनाएं जो अभी अपूर्ण हैं उन पर अब तक कितनी राशि खर्च की गयी तथा अब इन्हें अन्तिम रूप से कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ। सलूम्बर उपखण्ड क्षेत्र में सिंचाई विस्तार हेतु वर्ष 1987–88 में मास्टर प्लान बनाया गया। इस मास्टर में कुछ परियोजनाओं को चिह्नित किया गया सूची-"अ" पर संलग्न है। परन्तु विस्तृत सर्वे कर अधिकांश परियोजनाओं की उपादेयता नहीं परखी गयी। अतः यह चिह्नित परियोजना प्रमाणित नहीं है। खैरवाड़ा तहसील की बूफड़ा परियोजना पर कार्य प्रगति पर है एवं वर्ष 1996–97 में 12-43 लाख का बजट प्रावधान कर परियोजना पूर्ण करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त खैरवाड़ा तहसील की दो नदी परियोजना

(सिंचाई मंत्री)

एवं झांझरी परियोजना तथा सलूम्बर तहसील की ग्राम्बा माता परियोजना की उपादेयता जांची जा रही है।

(2) विभिन्न वृहद्, लघु एवं एनीकट अपूर्ण है। उन पर अब तक व्यय की गयी राशि एवं अन्तिम रूप से पूर्ण करने के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार परिशिष्ट-"ब" में दर्शाया गया है। प्लान मद के अतिरिक्त अन्य मदों के अधूरे कार्य पूर्ण करने का कार्यक्रम विशिष्ट योजनाओं में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा)

पंचायत समिति भीम व देवगढ़ (राजसमंद) के अपूर्ण बांध

426. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमंद जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के कौन-कौन से बांध उनकी प्रारम्भिक योजना के अनुसार अभी तक अपूर्ण हैं ?

(2) उनके अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ?

(3) उक्त बांधों को सरकार कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के अन्तर्गत देवगढ़ एवं भीम पंचायत समिति के निम्नलिखित बन्धों का कार्य प्रारम्भिक योजना के अनुसार अपूर्ण है।

1. सांगावास' पंचायत समिति देवगढ़
2. मौसम सागर, पंचायत समिति देवगढ़
3. थाना का मण्ड, पंचायत समिति देवगढ़
4. राव पंचायत समिति भीम

(2) उपरोक्त बांधों के पानी प्रावक क्षेत्र बीसलपुर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में नयी परियोजनाओं के निर्माण पर विभाग द्वारा रोक लगाने के कारण अपूर्ण है।

(3) बीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में नये बांधों को बनाने पर रोक होने के कारण पूर्ण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद अजमेर द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

427. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के नियुक्ति अधिकार पंचायत समितियों को हैं ? यदि हां, तो जिला परिषद अजमेर द्वारा सीधे ही अपने स्तर पर अध्यापकों को किस आधार पर नियुक्ति दी गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि चालू वर्ष व गत वर्ष में जिला परिषद अजमेर द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति और स्थानान्तरण

(श्री हरजीराम बुरड़क)

किये गये हैं ? यदि हाँ, तो किन-किन को किस-किस स्कूल में कब-कब तथा किन-किन का स्थानान्तरण किया गया ? नियुक्तियों व स्थानान्तरणों के आदेशों की प्रतियों सहित सूचना पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार के ध्यान में यह कानून विरुद्ध कार्यवाही का मामला आया था ? यदि हाँ, तो कब तथा इस सम्बन्ध में किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जिला परिषद अजमेर द्वारा अध्यापकों का चयन कर पंचायत समितियों को नियुक्ति हेतु आवंटन कर दिया गया है। नियुक्ति विकास अधिकारी द्वारा दी गई है।

(2) अध्यापकों को नियुक्तियां नहीं की गयी बल्कि अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये। स्थानान्तरण आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हाँ। दिनांक 15 अप्रेल 96 को प्रधान, पंचायत समिति जवाजा से कानून विरुद्ध कार्यवाही होने की शिकायत प्राप्त हुयी। जिसकी जिला कलेक्टर अजमेर से जांच करवायी जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत मण्डावरा (झुन्झुनूं) के सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

428. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुन्झुनूं द्वारा ग्राम पंचायत मण्डावरा, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं के सरपंच के खिलाफ मण्डावरा ग्राम के हरिजन परिवारों को अलाट की गयी व कब्जा दी गयी आबादी भूमि प्लाटों के पट्टों पर हस्ताक्षर नहीं करने तथा पट्टे नहीं देने की बाबत कोई कार्यवाही पंचायत कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत चालू की गयी है ? यदि हां, तो कब से यह कार्यवाही चालू है तथा इस वक्त किस स्टेज पर है ?

(2) क्या सरकार इस कार्यवाई को जल्द करवाकर सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरा के खिलाफ कोई कार्यवाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झुन्झुनूं द्वारा ग्राम पंचायत मण्डावरा पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं के विरुद्ध हरिजन परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टों पर हस्ताक्षर नहीं करने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु कोई प्रस्तावित प्रेषित नहीं किये गये हैं। अतः पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(2) चूंकि सरपंच के विरुद्ध अनियमितता/अवैधानिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये गये हैं। अतः फिलहाल कोई कार्यवाही किया जाना वांछित नहीं है।

पंचायत समितियों में ग्रुप सचिवों का पदस्थापन प्रकरण

429. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में ग्रुप सचिव पंचायतवार नहीं हैं व व्यवस्था के लिये पंचायतों में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को लगाने का प्रावधान है ?

(2) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में इस प्रकार के अध्यापकों का पदस्थापन किन–किन पंचायतों में किया हुआ है ? ऐसे कितने अध्यापक कनिष्ठ होते हुए एक पंचायत के गांव के न लगाकर दूसरे गांव के लगाये गये हैं ?

उत्तर

(1) ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें ग्राम सेवक का पद रिक्त है और वह स्थान कृषि पर्यवेक्षक का मुख्यालय भी नहीं है तो उस ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार उस स्थान पर कार्यरत स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा किया जाना है।

(2) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में ग्राम पंचायत चवाड़िया शेखावास, मुसालिया, चौकाडिया, निम्बली, मापड़ा, बान्ता, गुढा केसरसिंह, सिरियारी, चिरपटिया, हेमलियावास खुर्द, दूदोड़, सिमला, जादुन्दा, धलना, गुढाशूरसिंह, पाचेटिया में इस प्रकार के अध्यापकों को लगाया गया है। किसी भी कनिष्ट अध्यापक को सचिव, ग्राम पंचायत का चार्ज नहीं दिलाया गया है।

ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक ग्राम सेवकों का पद स्थापन प्रकरण

430. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की अयानी ग्राम पंचायत में गत एक वर्ष में 8 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को बदला गया है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव न होने से विकास कार्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या का निराकरण कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) विकास कार्यों का भुगतान सामान्यतया समय पर किया जाता है। समय पर भुगतान न होने सम्बन्धी कोई विशेष प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर आवश्यक निराकरण किया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

431. **श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली में ऐसे कितने ग्राम व ढाणियाँ हैं, जिनमें अभी तक प्राथमिक शाला नहीं है ?

(2) क्या सरकार इन सभी ग्रामों में इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली में 15 ग्राम व ढाणियां हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में ही प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं।

(2) वर्ष 1991 की जनगणना में शामिल किये गये ऐसे राजस्व ग्राम जो विद्यालय विहीन है, उनमें वित्तीय संसाधनों के अनुसार ही प्राथमिक शाला खोलने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

अध्यापकों के स्थानान्तरण के मानदण्ड

432. **श्री गोपीराम जाट (आमेर) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति आमेर और झोटवाड़ा (जयपुर) के कौन–कौन से प्राथमिक विद्यालय नगर निगम सीमा में आये ? विद्यालयों व कार्यरत अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर निगम जयपुर के अन्दर जो विद्यालय आये उनमें कार्यरत अध्यापकों को किस मानदण्ड के अनुसार स्थानान्तरित किया गया ? मानदण्डों और स्थानान्तरित अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि स्थानान्तरित अध्यापकों को वापिस उन्हीं पंचायत समितियों में ले लिया गया है ? यदि हां, तो किन मानदण्डों के अनुसार ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इन दोनों पंचायत समितियों में मानदण्डों में आने पर भी उनको स्थानान्तरण पर नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकायें थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीराम जाट)

(5) नीति विरुद्ध और मानदण्डों में आने पर भी अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण न करने पर कौन दोषी है और उनके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति आमेर और झोटवाड़ा (जयपुर) से जो प्राथमिक विद्यालय नगर निगम सीमा में आये उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर कनिष्ठतम अध्यापकों का जयपुर जिले की अन्य पंचायत समितियों के रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजन किया गया था। पंचायत समिति आमेर से किसी भी अध्यापक का समायोजन अन्य पंचायत समिति में नहीं किया गया था। झोटवाड़ा से स्थानान्तरित अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में उन सभी अध्यापकों को जिन्होंने वापस पंचायत समिति, झोटवाड़ा में आने के लिये विकल्प पत्र दिया था पुनः पंचायत समिति झोटवाड़ा में स्थानान्तरित किया जा चुका है। स्थानान्तरित अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई अध्यापक नहीं था।

(5) जी नहीं। ऐसा कोई अध्यापक का बिन्दु ही नहीं था इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विकास अधिकारियों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की सीमा

433. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विकास अधिकारी को बिना पंचायत समिति व स्थाई समिति की अनुमति के पंचायत समिति कोष से कितनी राशि एक मामले में खर्च करने का अधिकार है ? क्या इस सम्बन्ध में नियमों में कोई व्यवस्था है अथवा सरकार ने कोई आदेश जारी कर रखे हैं ? नियमों व सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर ने 1 जनवरी, 1995 से अब तक कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में पंचायत समिति व स्थाई समिति की स्वीकृत के बिना खर्च की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विकास अधिकारी को पंचायत समिति व स्थाई समिति की अनुमति के बिना पंचायत समिति कोष से वेतन भत्तों

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) के अलावा कोई राशि व्यय करने का अधिकार नहीं है। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(आदेश की प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति बामनवास के कार्यालय का स्थानान्तरण प्रकरण

434. **श्रीहीरालाल मीणा** (बामनवास): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास का कार्यालय कर्मचारियों अधिकारियों व जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम पीपलाई में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कब ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निर्णय के अनुसार पंचायत समिति बामनवास का कार्यालय ग्राम पीपलाई में स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना दिनांक 15-3-91 जारी कर पंचायत समिति बामनवास का मुख्यालय बामनवास से पीपलाई मोड धर्मशाला में स्थानान्तरित किया गया था। अधिसूचना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 15-3-91 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1973/91 प्रस्तुत हुई थी जिसके अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 8-4-91 जारी किया हुआ था। अब उक्त रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-11-95 के द्वारा खारिज हो चुकी है। अतः विभागीय अधिसूचना दिनांक 15-3-91 पुनः स्वतः ही प्रभावी हो जाती है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पंचायत समिति रेवदर में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद

435. **श्री जयन्तिलाल कोली** (रेवदर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति रेवदर में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के कितने पद सृजित हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

(2) पंचायत समिति रेवदर में पंचायत प्रसार अधिकारियों के कितने पद सृजित हैं उनमें से कितने कार्यरत व कितने रिक्त पद हैं ? क्या उक्त रिक्त पदों को सरकार भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति रेवदर में शिक्षा प्रसार अधिकारी के 2 पद सृजित हैं। तथा दोनों पद रिक्त हैं।

शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। शिक्षा विभाग बीकानेर को प्रतिनियुक्ति हेतु चयनित शिक्षा प्रसार अधिकारियों के नाम भेजने का लिखा गया है। नाम प्राप्त होते ही रिक्त पद भर दिये जायेंगे।

(2) पंचायत समिति रेवदर (सिरोही) में पंचायत प्रसार अधिकारियों का एक पद सृजित है। यह पद दिनांक 1-1-96 से रिक्त है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पदों को भरा जाता है जो एक निरन्तर प्रक्रिया है।

जिला प्रमुखों/प्रधानों के मानदेय

436. श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जिला प्रमुखों/प्रधानों का मानदेय भत्ता (वेतन) कौन से वर्ष में लागू किया गया तथा उसमें कब-कब कितनी-कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई ? तथा वर्तमान में प्रमुख एवं प्रधानों को मासिक मानदेय राशि कितनी-कितनी दी जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अन्य राज्यों यथा; मध्यप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की तरह इन पदों पर आसीन प्रमुखों एवं प्रधानों की मासिक मानदेय राशि (वेतन) बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी राशि ?

(3) क्या प्रमुख तथा प्रधानों की ओर से लगातार इस विषय पर सरकार को निवेदन किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक अन्य राज्यों के समकक्ष राशि की बढ़ोतरी न किए जाने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) राज्य में जिला प्रमुखों/प्रधानों को मानदेय भत्ता अप्रेल, 1961 से लागू किया गया। समय-समय पर मानदेय राशि में निम्न प्रकार से बढ़ोतरी की गई है :—

1. जिला प्रमुखों को मानदेय

250/- रु. प्रति माह दिनांक 1-4-61 (विज्ञप्ति दिनांक 19-6-61 के अनुसार)

400/- रु. प्रति माह (अधिसूचना क्र. 820 दि. 25-11-75)

600/- रु. प्रति माह (अधिसूचना क्र. 144 दिनांक 27-2-82 के अनुसार)

1500/- रु. प्रति माह (अधिसूचना क्रमांक 586 दिनांक 28-4-87 के अनुसार)

वर्तमान में प्रमुखों को 1500/- रु. प्रति माह की दर से मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है।

2. प्रधानों को मानदेय

150/- रु. प्रति माह (गजट नोटिफिकेशन दिनांक 17-10-61 के अनुसार)

300/- रु. प्रति माह (अधिसूचना क्र. 821 दिनांक 25-11-75 के अनुसार)

(राज्य मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

400/- रु. प्रति माह (अधिसूचना क्र. 145 दिनांक 27-2-82 के अनुसार)

1000/- रु. प्रति माह (अधिसूचना क्र. 585 दिनांक 28-4-87 के अनुसार)

वर्तमान में प्रधानों को 1000/- रुपये प्रति माह की दर से मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(2) ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर निर्भर करता है।

ग्राम सूपेरा (बीकानेर) का क्षतिग्रस्त शाला भवन

437. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक शाला ग्राम सूपेरा पंचायत समिति, बीकानेर के भवन के दो कमरे, स्टोर व बरामदा क्षतिग्रस्त है तथा वर्षा से उनके गिरने का खतरा है ? यदि हां, तो उक्त भवन की मरम्मत हेतु तत्काल क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जी हां। उक्त भवन की मरम्मत हेतु आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर जिला ग्रामीण विकास, अभिकरण, बीकानेर को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

सरपंच ग्राम पंचायत बेडवा द्वारा इकरारनामें पर मकान बनाने की अनुमति से हो रही राजस्व की हानि प्रकरण

438. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायत बेडवा के सरपंच द्वारा दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर किये गये इकरारनामें पर मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है एवं उक्त पंजीयन नहीं करवाया जा रहा ? यदि हां, तो क्यों ? इससे अब तक सरकार को कितनी राजस्व हानि हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा जिला कलक्टर को इस मामले में शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा से जांच करवाई जा रही है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को सदस्य ग्राम पंचायत बेडवा द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिनांक 25-6-96 को प्रस्तुत किया गया था शिकायत की जांच करने के लिये उप खण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र मकराना के राहत कार्य

439. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 1996 में कहां-कहां क्या-क्या राहत कार्य प्रारम्भ किये गये प्रत्येक कार्य पर स्वीकृत राशि एवं मजदूरों की संख्या कितनी-कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–'1") .

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले के अकाल राहत कार्य

440. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले में माह मई में नये अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं करने का जिला प्रशासन ने अथवा सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो मई में आये प्रस्तावों पर किन-किन पर स्वीकृति दी गई व किन-किन पर नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही स्वीकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य दिशा-निर्देश के विरुद्ध स्वीकार किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या अकाल राहत में गत वर्षों के अधूरे कार्यों को पूरा करने के सरकार ने निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पूरे जिले में अकाल राहत के अधूरे कार्य स्वीकृत कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से अधूरे कार्य रहे ? कार्य स्वीकृत नहीं करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या जून, 1996 तक भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य किस-किस विभाग के अन्तर्गत अधूरे रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों पर सामग्री, राशि पर्याप्त एवं समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो इस कारण अधूरे रहे कार्यों को सरकार किस तरह पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर द्वारा मई माह में नये कार्य स्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया गया था । मई में स्वीकृत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जिला कलक्टर की सूचना के अनुसार भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही स्वीकृत किया गया है ।

(राज्य मन्त्री, अकाल सहायता)

(3) जी हां। जिन अभिकरणों के द्वारा अधूरे कार्य प्रस्तुत किये उनकी स्वीकृतियां जिला कलक्टर द्वारा जारी की गई।

(4) अधूरे कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं। स्वीकृत कार्यों पर यथोचित मात्रा में राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या 441

(स्थगित)

लालसोट (दौसा) में घटित अग्नि काण्ड से प्रभावित परिवार

442. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील लालसोट जिला दौसा में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में अग्नि काण्ड की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं ? घटित घटनाओं की सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा अग्नि-काण्ड से प्रभावित परिवारों को आर्थिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवा दी गई है ?

(3) क्या सरकार अग्नि काण्ड से पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

(4) अग्नि-काण्ड में पीड़ित परिवारों को सहायता राशि देने का क्या मानदण्ड है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) सहायता मापदण्डों के आने वाले परिवारों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है।

(3) जी हां।

(4) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"ब")

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ितों को सहायता

443. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित भरतपुर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर आदि जिलों के क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों तथा नष्ट हुए कुओं और जमीन के स्वामी किसानों को राहत पहुंचाने हेतु सर्वेक्षण करा रही है ?

(2) सरकार उक्त पीड़ित मकान मालिकों व किसानों को कब तक राहत प्रदान कर देगी।

उत्तर

(1) क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता देने का प्रावधान है।

(2) यथाशीघ्र।

जिला उदयपुर की परिवहन व्यवस्था

444. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के सरकार के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या मानदण्डानुसार उदयपुर जिले में परिवहन हेतु व्यवस्था है? यदि हां, तो उपलब्ध व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार परिवहन की वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त मानती है? यदि नहीं, तो इस हेतु भावी योजना क्या है? इस योजना की क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2 व 3) यातायात व्यवस्था हेतु निर्धारित मार्गों पर निगम और निजी वाहन स्वामियों को परमिट जारी करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 70, 71 व 72 के अन्तर्गत आवेदन करने पर अनुज्ञापत्र निर्धारित मोडल की वाहन पर स्वीकृत किए जाते हैं। उदयपुर जिले में निजी वाहनों को 141 मार्गों पर 351 अनुज्ञापत्र जारी किये हुये हैं। परिवहन निगम द्वारा उदयपुर में 446 दैनिक परिचक्रों की सेवा वर्तमान में प्रदान की जा रही है।

जिला उदयपुर में सड़क दुर्घटनाएं

445. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में कितनी बस एवं ट्रक दुर्घटनाएं हुई? इन दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या कितनी थी? प्रत्येक दुर्घटना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दुर्घटना किन कारणों से हुई एवं उसमें हुई जन हानि से राज्य कोष पर कितना वित्तीय भार पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण किया गया एवं विश्लेषण के आधार पर भविष्य में दुर्घटना को रोकने के क्या–क्या उपाय किये गये?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में आलोच्य अवधि में 185 बसों और 556 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुए। इन दुर्घटनाओं में 272 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण वाहन के चालक द्वारा लापरवाही तरीके से

(राज्य मन्त्री, यातायात)

वाहन का संचालन, सड़कों पर क्षमता से वाहनों का सचालन, खराब मौसम, वाहनों की यान्त्रिक खराबियां आदि हैं। चूंकि वाहनों का बीमा कानूनन अनिवार्य है, अतः प्रत्यक्ष रूप से राज्य कोष पर कोई सीधा वित्तीय भार नहीं पड़ता है।

(3) राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर विचार–विमर्श कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय तय किये गये हैं, यथा वाहनों की सघन चैकिंग, ड्राईविंग लाईसेन्स प्रक्रिया में सुधार, ड्राईविंग स्कूल एवं ट्रैक का निर्माण, राज मार्गों से अतिक्रमण हटाना, सड़क चिन्हों का नवीनीकरण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन के प्रस्ताव आदि।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर की रात्रिकालीन बस सेवा

446. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रात्रिकालीन सेवा के लिये नगर बस सेवा, जयपुर में प्रारम्भ की गई थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त रात्रिकालीन बस सेवा को कब से बन्द किया गया और क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त सेवा को जनता की सुविधा हेतु पुनः चालू किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। परिवहन निगम द्वारा जयपुर शहर के कुछ चुने हुए लम्बी दूरी के मार्गों पर रात्रिकालीन सेवा प्रारम्भ की गई थी।

(2) इन रात्रिकालीन बस सेवाओं की आय काफी कम रहने के कारण माह जून, 94 से इनका संचालन बन्द कर दिया गया।

(3) जी नहीं। जयपुर शहर की रात्रि बस सेवाओं में पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं होने से इनका संचालन अनार्थिक रहता है।

मण्डावा–मुकन्दगढ़ मार्ग पर बस सेवा

447. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं के मण्डावा से मुकन्दगढ़ तक के मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जाकर उस मार्ग पर निगम की नियमित बस सेवा चालू की गयी थी ? यदि हां, तो यह बस सेवा अब किन कारणों से बन्द कर दी गई ?

(2) क्या निगम अब पुनः उक्त मार्ग पर बसें चलाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डावा से मुकन्दगढ़ बस सेवा लगातार अनार्थिक रहने से बन्द कर दी गई।

(2) जी नहीं। वर्तमान में जयपुर से मुकन्दगढ़ होते हुए मण्डावा के लिये एवं जयपुर से मुकन्दगढ़–मण्डावा होकर बिसाऊ के लिये 4 परिचक्र दैनिक संचालित हैं। इनको औसत यात्रीभार 66 प्रतिशत उपलब्ध हो रहा है, जिसे देखते हुए पूर्व में मण्डावा से मुकन्दगढ़ के बीच संचालित बस सेवा को पुन: प्रारम्भ किये जाने का विचार नहीं है।

अग्रवाल फार्म (जयपुर) से संचालित सी. टी. एस. बसें

448. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अग्रवाल फार्म एस. एफ. एस. (जयपुर) से सी. टी. एस. बसों का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा कहां–कहां से कितनी बसें संचालित की जा रही हैं ? संचालित की जा रही बसों की समय सारणी मय किराये के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अग्रवाल फार्म एस. एफ. एस. से सायं 7 बजे बाद कोई सी. टी. एस. बस नहीं चलती है ? क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर यात्रियों का काफी संख्या में आवागमन होने के कारण इस मार्ग पर और बसें चलाने के सुझाव समय–समय पर नागरिकों द्वारा विभाग को दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान में इस मार्ग पर और बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, कहां से कहां तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निगम द्वारा संचालित सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। निजी वाहन स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। नगरीय सेवाओं के लिये परिवहन विभाग द्वारा समय सारिणी जारी नहीं की जाती है। नगरीय सीमा में संचालित वाहनों हेतु निर्धारित किराये की सूचना परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सांगानेर से चांदपोल के लिए वाया अग्रवाल फार्म एस. एफ. एस. रात्रि 21.28 बजे अन्तिम सेवा प्रस्थान करती है।

(3) वर्तमान यात्री भार को देखते हुए निगम द्वारा बसों की संख्या में वृद्धि की जाने का कोई विचार नहीं है। निजी बस सेवाओं के लिये परमिटों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(विवरण एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 1996)

उपखण्ड डीडवाना (नागौर) की ग्राम पंचायतों में अकाल राहत कार्य

63. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपखण्ड डीडवाना, जिला नागौर के अन्तर्गत कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के क्षेत्र अकालग्रस्त हैं तथा अकालग्रस्त पंचायतों में कौन–कौन से राहत कार्य कब–कब स्वीकृत किये गये, कब–कब चालू हुए तथा इन पर कितने–कितने श्रमिक लगाये गये ? विवरण पंचायतवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त पंचायतों द्वारा संचालित कार्यों पर लगे हुये श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कब–कब, किस–किस प्रकार से किया गया तथा अब तक कुल कितना भुगतान किया जा चुका है ? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में अकाल राहत कार्य स्वीकृत करने व संचालित करने के लिये सरकार ने जिला कलक्टरों को निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो कब–कब, क्या–क्या तथा इनकी पालना जिला कलक्टर, नागौर ने कहाँ तक की ? विवरण मय जारी निर्देशों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत आसोटा पंचायत समिति लाडनूं में दो कार्य अकाल राहत के तहत स्वीकृत किये हैं जिसमें एक आसोटा गांव के लिये दूसरा पदमपुरा गांव के लिये ? यदि हां, तो इस ग्राम पंचायत में कौन–कौन से गांव हैं तथा उनकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार कितनी–कितनी है तथा पंचायत मुख्यालय में सम्मिलित गांवों की दूरी कितनी-कितनी है तथा ग्राम आसोटा और पदमपुरा के बीच दूरी क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट-"I, II")

(2) पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट–"I, II")

(3) जी हां । दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट-"III")

(4) जी हां । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–"IV" आसोटा और पदमपुरा के बीच की दूरी 200 मीटर की है ।

(विवरण, सूचना एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

(सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 1996)

राज्य के अकालग्रस्त ग्राम

65. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में जनवरी से मार्च, 1996 के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलों के गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक जिले की तहसील एवं ग्रामों की सूची उन तहसीलों, गांवों की जनसंख्या के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में अकाल राहत कार्यों पर विभाग द्वारा दिशा-निर्देश, आदेश, नियम, परिपत्र एवं विज्ञप्ति आदि जारी की गई थी ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या प्रदेश के अकाल राहत कार्य निर्धारित नियम, दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही सम्पादित हुए और इनकी समीक्षा/पर्यवेक्षण आदि बराबर किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके विपरीत क्या कहीं कुछ कार्य हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकारी एजेन्सी मानकर उनके अन्तर्गत कार्य स्वीकार कर क्रियान्वित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या भीलवाड़ा तथा अजमेर जिले में पंचायतों के स्थान पर स्थानीय लोगों की समितियां गठित कर कार्य कराने के भी आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो पंचायतवार कार्यों के नाम विवरण, इस सम्बन्ध में दिये आदेश, निर्देश सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या ऐसे आदेश न्यायालयों तथा उच्च अधिकारियों ने अवैध मानकर निरस्त किये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । संवत् 2052 में 29 जिलों के 25,478 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है । घोषित तहसील, गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "अ")

(2) जी, हां । आदेश, निर्देशों आदि की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "ब")

(3) जी, हां । जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार अकाल राहत कार्य सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही सम्पादित किये गये हैं ।

(4) जी, हां । भीलवाड़ा तथा अजमेर जिले में यह कार्य पंचायतों से हटा कर निम्नलिखित स्थानों पर पंचायत समितियों द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की कमेटी के माध्यम से कार्य कराने की स्वीकृति जारी की गई :—

(राज्य मन्त्री, अकाल सहायता)

क्र सं.	नाम जिला	नाम पं समिति	नाम पंचायत
1.	भीलवाड़ा	1. शाहपुरा	डाबला, चांदा
		2. जहाजपुर	गन्धेर
2.	अजमेर	1. श्रीनगर	श्रीनगर
		2 अराई	भगवानपुरा अराई लाम्बा ढसकू, खोरियां

ऐसी पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर किया गया। तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह कार्य कमेटियों के स्थान पर पंचायत समितियों के माध्यम से करवाने के निर्देश दिये।

(5) ऐसे कोई आदेश न्यायालयों तथा उच्च अधिकारियों ने अवैध मानकर निरस्त नहीं किये हैं।

जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक 135 दिनांक 22.5.96 में पंचायत समिति से कार्य कराने के लिए अधिकृत किया था। पंचायत समिति अराई के द्वारा आदेश क्रमांक 2069-82 दिनांक 25.5.96 जारी कर समिति का गठन कर दिया। समिति के गठन को मान्यता नहीं दी जाकर बाहरी व्यक्तियों को समिति से हटाने एवं सरपंच को कमेटी में सम्मिलित करने के निर्देश जिला अजमेर कार्यालय के पत्र क्रमांक 9587 दिनांक 3.6.96 के द्वारा पंचायत समिति के माध्यम से ही कार्य कराने के निर्देश दिये गये एवं जिला अजमेर कार्यालय के वितन्तु सन्देश क्रमांक 11084-85 दिनांक 20.6.96 के द्वारा अराई, लाम्बा, ढसूक, खोरिया, भगवानपुरा के लिए गठित कमेटियों को निरस्त करने एवं पंचायत समिति के स्तर पर कार्य सम्पदित करने के निर्देश दिये गये।

(सूची एवं आदेश, निर्देशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 1996)

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों का नियोजन

126. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अकाल संहिता (फेमिन कोड) लागू है? यदि हां, तो अकाल ग्रस्त अथवा अभावग्रस्त घोषित जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को राहत कार्यों पर लगाने का मानदण्ड है एवं इसका आधार क्या है?

(2) सरकार ने वर्ष 1995-96 में प्रदेश में कितने-कितने जिलों में कितने-कितने गांव, जनसंख्या, को अभावग्रस्त घोषित किया है? प्रत्येक जिले के गांवों की संख्या तथा जनसंख्या का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न जिलों के ग्रामों की प्रभावित जन-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

संख्या को पर्याप्त राहत कार्य पर नियोजित नहीं किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि विभिन्न रोजगारोन्मुख योजनाओं के अन्तर्गत लगे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 में किन-किन जिलों में विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर कितने-कितने श्रमिक तथा राहत कार्यों पर कितने-कितने श्रमिक जिलेवार लगाये गये ? प्रत्येक जिलों की जनसंख्या तथा घोषित ग्रामों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर पहले से ही नियमित कार्य चल रहे थे ? यदि हां, तो अकालग्रस्त घोषित गांवों के बाद किन-किन जिलों में कितने नये लोगों को अतिरिक्त रोजगार विभिन्न योजनाओं पर उपलब्ध कराया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । अभावग्रस्त क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा संवत 2052 में 29 जिलों के 25,478 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है । जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–"अ")

(3) जी, नहीं ।

(4) अभावग्रस्त घोषित गांव एवं लगाये गये श्रमिकों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–"अ", "ब", "स")

(5) विभिन्न योजना/गैर योजना अन्तर्गत विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं में विभागों द्वारा कार्य स्वीकृत किये जाते हैं । अभाव घोषणा होने के पश्चात लगाये गये श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

(शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 1996)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11

221. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 को आदर्श राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) आदर्श राष्ट्रीय राजमार्ग के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 निर्धारित सभी आदर्श राष्ट्रीय राज मार्ग के मानदण्डों को पूरा करता है ।

(4) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 पर हो रहे सभी अतिक्रमणों को हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री आर. पी. शर्मा)

(5) राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 पर विगत 6 माह में कितनी दुर्घटनाएं हुयीं तथा दुर्घटनाएं रोकने के लिए विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 से 3) जी नहीं। आदर्श राष्ट्रीय राजमार्ग के मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। यातायात की सुगमता और दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के जयपुर—दौसा—महुआ खण्ड को एक आदर्श मार्ग के रूप में विकसित करने का निर्णय जून 1995 में लिया गया था। इसके अन्तर्गत सडक का उन्नयन, सड़क चिन्हों का नवीनीकरण, सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाना, आबादी क्षेत्र में सड़क को चौड़ा करना, चौराहों का सुधार, अनाधिकृत शराब की दुकान हटाना, वाहनों की जांच हेतु सघन जांच अभियान चलाने आदि कदम उठाने के निर्णय लिये गये थे।

(4) राजमार्गों पर समय-समय पर अतिक्रमण हटाये जाते हैं। अभी हाल जून माह में हुए संयुक्त अभियान के दौरान ही राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 से 280 अतिक्रमण हटाये गये।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 पर दिनांक 1.12 95 से 31.5.96 तक कुल 684 सड़क दुर्घटनाएं हुयीं, जिनमें 264 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी और 976 व्यक्ति घायल हुए। राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर विचार-विमर्श कर सड़क दुर्घटनाओं की रोक-थाम हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय किये हैं, यथा, वाहनों की सघन चैकिंग, ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार, ड्राइविंग स्कूलों व ड्राइविंग ट्रेकों का निर्माण, राजमार्गों से अतिक्रमण हटाना, सड़क चिन्हों का नवीनीकरण, मोटर यान अधिनियम, 1966 में संशोधन के प्रस्ताव आदि।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को नियुक्तियों, पदोन्नतियों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोविन्दसिंह एवं दो अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से जिला नागौर की तहसील मेड़ता के ग्राम पून्दले व घनापा के 50 किलोमीटर क्षेत्र में लाइम स्टोन हेतु जारी खनन पट्टे की पहाड़ी भूमि पर राजस्व अधिकारियों द्वारा कथित अवैध कब्जा कराकर उसे खेती के लिये आबंटित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं :—

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की पंचायत समिति उमरेण के कार्यकलापों में कथित अनधिकृत हस्तक्षेप करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की पंचायतों में कार्यरत सहायक सचिवों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट पंचायत के ग्राम सहलपुरा में प्राथमिक विद्यालय भवन की स्वीकृति होने के बावजूद विद्यालय भवन नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

आज सामुदायिक विकास की मांग पर चर्चा के समय प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यों को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर बोलने की अनुमति होगी।

(4) श्री दीपेन्द्र सिंह व 15 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में मच्छर मारने हेतु नगर निगम द्वारा की गयी फोगिंग से अनेक व्यक्तियों के रोगग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। आज इस विषय पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाएगा तत्समय माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

(5) श्री एमादुद्दीन अहमद खान एवं 13 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से वक्फ एक्ट 1996 राज्य में अभी तक भी लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री मोतीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रूपवास के कस्बा उच्चैन की पेयजल टंकी 4 वर्ष से बन्द पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री कालूलाल गुजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति माण्डल एवं माण्डलगढ़ में वर्ष 1988 में लगाए गये अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियमित सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामेश्वर लाल भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़ के दुलियां में पम्प हाउस पूर्व निर्धारित स्थान पर न बना कर प्राथमिक विद्यालय मैदान में बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की नर्सरी श्रेणी कृषि कनेक्शन

(श्री अध्यक्ष)

योजना की सैंकड़ों पत्रावलियां प्रतीक्षा सूची में पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा की चावण्ड नदी पर सिंगोडी एनीकट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार में सड़कों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री शम्भूदयाल बडगूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से केकड़ी उपखण्ड की गरीब जनता को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु उपखण्ड मुख्यालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़, जिला चूरू में अकाल राहत कार्यक्रमों के तहत किये गये निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में।

(10) श्री कमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन में चल रहे अवैध वाहनों के सम्बन्ध में।

(11) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं के सेठ मोतीलाल कालेज के द्वितीय वर्ष वाणिज्य के वित्त प्रबन्ध तत्व प्रश्न पत्र की परीक्षा में बैठे 73 विद्यार्थियों में से केवल 9 विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की जांच करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की मुख्य फल सब्जी मण्डी यार्ड (लालकोठी) में छायादार प्लेटफार्म के अभाव में किसानों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय श्री धनखड़ साहब ने....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, बरसात नहीं हुई है. (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : हमारे क्षेत्र में अकाल की विभीषिका है (व्यवधान) बरसात न आने के कारण से (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मेवाड़ सम्भाग में बरसात नहीं हुई है (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उदयपुर सम्भाग में बरसात न होने से आज चारे की....

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत कार्य 15 जुलाई तक चलाने के राज्य सरकार के आदेश हैं .. (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अकाल राहत के कार्य बढ़ाए जाएं यह ध्यानाकर्षण मैं चाहूंगा। (व्यवधान) ...

श्री शांतिलाल खोईवाल : 15 तारीख तक समाप्त हो रहे हैं (व्यवधान).... 15 तारीख तक की ही स्वीकृति दी हुई है....

श्री रतनलाल ताम्बी : आज 15 तारीख हो गयी (व्यवधान) ...

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अकाल राहत कार्य और बढ़ा दिये जाएं (व्यवधान)....

श्री नाथूराम अहारी : मेवाड़, उदयपुर डिवीजन में बरसात नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत कार्य चालू करवाओ।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह मामला बहुत गम्भीर है। सरकार सो रही है। इस मामले में घोषणा करवाएं....(व्यवधान)....

श्री शांतिलाल खोईवाल : एक-एक काश्तकार से 20–20 हजार रुपये लिये जा रहे हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ में लोगों की माली हालत बहुत खराब है। उनको परेशानी हो रही है। (व्यवधान) राहत मन्त्रीजी विराजे हुए हैं। मजदूरों की संख्या बहुत कम है... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सरकार सोई हुई है बिलकुल, इस मामले में निद्रा में.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य। (व्यवधान) मन्त्रीजी कोई बात कह रहे हैं। एक मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी : समस्या बहुत गम्भीर हो रही है और सरकार सो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें-विराजें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के अन्दर एक अकाल तो अभी खतम हुआ ही नहीं है और दूसरा अकाल.... (व्यवधान) बिजली मिल नहीं रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मन्त्रीजी से घोषणा करवाएं अकाल राहत कार्य बढ़ाने की। बरसात नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें आप। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अकाल की भयंकर स्थिति है, मंत्रीजी से घोषणा करवाएं आप।

श्रीमती कमला : (व्यवधान) न राज्य सरकार के अकाल राहत कार्य चल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) मंत्रीजी से घोषणा करवाएं आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : इस मामले में सरकार अन्याय पर तुली हुई है। दो लाख मजदूर लगाने चाहिये थे, लगाये नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी की घोषणा सुन लीजिए मेहरबानी करके।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सुनें। सभी सदस्यों से निवेदन है कि यह गम्भीर बात

(श्री अध्यक्ष)

हो रही है, मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं, आप कृपया सुनें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर जिले को मत भूल जाना आप... (व्यवधान)...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्व की बात है। अकाल तो हो ही रहा है लेकिन आज पीलिया भयंकर है, जयपुर में भयंकर पीलिया फैल रहा है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ सम्भाग की हालत बहुत खराब हो रही है, बारिश नहीं हुई है .. (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : फोगिंग की तो अभी जांच ही नहीं हुई थी कि पीलिया फैल गया। बजाज नगर में एम. एल. ए. क्वार्टर के बहुत पास है और मैं भी आठ दिन से बुखार में थी, वहां भी बीमारी फैल रही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। जयपुर में विषैला पानी पीने से यह हालत हो रही है और उसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं करवाएं... (व्यवधान).

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जहां बरसात नहीं हुई है, किसानों की फसल पकी नहीं है। जहां बरसात हुई है वहां भी फसल नहीं पकी है। अधूरे काम अकाल के पूरे करवाए जाएं। मन्त्रीजी आपने बरसात होते ही काम बन्द कर दिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। मन्त्रीजी कोई बात कह रहे हैं आपको अवसर मिलेगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसके बारे में चर्चा का समय दें आप। चर्चा का अवसर दें .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी बैठिये, मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। आपको पूरा उत्तर मिलेगा, विराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अवसर देंगे आप चर्चा का, बस।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में राजस्थान के लिए बड़ी चिन्ता की बात है कि जहां एक ओर अपनी जनता बाढ़ से ग्रस्त हो रही है, प्रभावित हो रही है दूसरी तरफ बरसात नहीं होने से जहां अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, कुछ जगह पर वहां पर भी स्थिति काफी चिन्ताजनक बनी हुई है। माननीय सदस्यों की चिन्ता से सरकार भी वाकिफ है और मैं आश्वस्त करता हूं कि जहां-जहां पर अभी राहत कार्य चल रहे हैं वहां पर 31 जुलाई तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चोईवाल आप घोषणा क्यों नहीं करते ? आप घोषणा करें।

श्रीमती कमला : (व्यवधान) आपने जिन जिलों में राहत कार्य बन्द कर दिये हैं. (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : लेबर कम कर दी, लेबर बढ़ायी जाए .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी आवाज से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहने जा रहे हैं . (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जिन जिलों में आपने बन्द कर दिये हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मजदूरों की संख्या बढ़ायी जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। कृपया पूरी बात सुनें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मुद्दा है। अकाल राहत के कामों की आज अन्तिम तारीख है। फिर मन्त्री महोदय फरमा रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। प्रयास वाला मामला नहीं है... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिलों में तो पहले ही बन्द कर दिये हैं (व्यवधान) वापस शुरू करवाएं। डेट खतम हो रही है .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। आप सब यही तो बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की संख्या और घटा दी है (व्यवधान) मजदूरों की संख्या भी बढ़ाएं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, फेमिन मंत्रीजी से स्टेटमेन्ट दिलवा दीजिए। कल या परसों आप स्टेटमेन्ट दे दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मंत्री महोदय, आज काम बन्द हो जाएगा और फिर प्रयास से क्या मतलब निकलेगा. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आज ही आदेश जारी करा दें मन्त्री महोदय से। आप अनुरोध करें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। रामस्वरूप जी विराजें। एक मिनट कृपया सुनें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कहते हैं, प्रयास करेंगे। आज शाम को काम बन्द हो जाएंगे .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया अभी आप सुनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब विराजें आप।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तत्काल काम जारी रखने के आदेश प्रसारित करें। चारा उपलब्ध करवाएं। पीने के पानी की समस्या का समाधान कराएं और मन्त्रीजी को कहें कि इस पर स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जिन जिलों में आप बन्द कर चुके हैं, जहां जारी नहीं हैं वहां पर अकाल की स्थिति बन गयी है क्योंकि बारिश नहीं आ रही है, बिजली भी नहीं मिल रही है, उनमें वापस से शुरू कराएं। जयपुर, दौसा वगैरह जहां आपने बन्द कर दिये हैं, वापस शुरू कराएं। हालत बहुत खराब हो रही है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप। एक सैकण्ड मंत्रीजी की बात सुनें।

श्री परसादीलाल मीणा : बरसात का एक बूंद पानी नहीं पड़ा। आपने एक तारीख से काम बन्द कर दिये.... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : मजदूरों की संख्या बढ़ाएं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विराजें।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाली में भी यही हालत है। पाली जिले में बरसात नहीं हुई है (व्यवधान)।

श्री अमराराम चौधरी : जो कार्य आपने बन्द किये हैं उनको भी प्रारम्भ करें फसल तबाह नहीं हो.... (व्यवधान) इसको पकने में दो या तीन महीने लगेंगे (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शांति बनाये रखें। बैठें आप।

श्री अमराराम चौधरी : जो काम आपने बन्द किये हैं उनको प्रारम्भ किया जाए।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में भी बरसात नहीं हुई है। वहां पर भी हालत बहुत खराब हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह सभी जिलों की बात हो रही है। माननीय उप मुख्यमन्त्री जी अभी बात कह रहे हैं, आप सुनें। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जालोर और पाली ऐसे जिले हैं जहां पहले भी बरसात कम हुई थी उसके बावजूद भी अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये थे, वहां स्थिति और भी ज्यादा गम्भीर हो गयी, इसलिये कृपया वहां दुबारा कार्य चालू करवाएं।

श्री अध्यक्ष : वह सभी जगहों की बात है। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अभी लोग मजदूरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उप मुख्य मन्त्री जी सभी के बारे में कह रहे हैं, आप सुनें तो सही।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। निवेदन यह करना था कि बरसात के मामले में जो स्थिति है वह आप सबके सामने हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि.... (व्यवधान) अभी तक पंचायतों के कामकाज चल रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में ही नहीं, सारे मेवाड़ सम्भाग में हालत खराब है.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सारे के सारे काम अधूरे हैं पंचायतें कर्जदार हो रही हैं--- (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय मन्त्री महोदय से आप निवेदन करिये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया पहले उप मुख्य मन्त्रीजी की बात सुन लें उसके बाद कोई बात हो तो बताएं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मन्त्रीजी जगे हुए नहीं हैं इसलिए यह दिक्कतें आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी भी बैठे हुए हैं,

(श्री अध्यक्ष)

उप मुख्य मन्त्री जी भी बैठे हैं। उप मुख्य मन्त्री जी बोल रहे हैं, एक मिनट आप सुने।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर आग्रह किया है कि आज 15 तारीख को जिन अकाल राहत कार्यों को बन्द करने की सरकार ने घोषणा की थी उस बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है उनको 31 तारीख तक चालू रहने के आर्डर जारी कर दिये हैं। इंस्ट्रक्शंस दे दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उनके बारे में भी कहिये यह जारी है उनका नहीं है ... (व्यवधान)।

श्री हरिशंकर भामड़ा : बात सुनिये। आप सुनना नहीं चाहते तो मुझे नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरी बात सुनने का कष्ट करें। माननीय सदस्य यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान) हां, वही तो सुनें। पूरी बात ही नहीं हुई।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, हमारे झालावाड़ जिले के बारे में भी निर्णय कराओ.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनें.... (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर मवेशियों के खाने के लिए घास नहीं है। घास की व्यवस्था तो कृपया करिये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में बात कर लेना आप, पूरी बात तो सुन लेने दो।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मवेशी मर रहे हैं। ना पीने का पानी मिल रहा है, ना मवेशियों के लिए खाने के लिए घास मिल रही है (व्यवधान) सरकार कोई नि:शुल्क व्यवस्था करे (व्यवधान) उदयपुर सम्भाग में घास पहुंचाएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आप पूरी बात कृपा करके सुनें।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, हमारे झालावाड़ जिले के बारे में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं (व्यवधान) बड़ा मुश्किल है सुनना। सुनाई ही नहीं पड़ रहा है कि क्या कह रहे हैं आप... (व्यवधान)।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं। वहां बरसात नहीं हुई है। वहां बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया यह सुनें तो सही आप।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मन्त्री, अकाल राहत) : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान में जो विचित्र स्थिति हो रही है वह वास्तव में चिन्ताजनक है। जहां अकाल राहत कार्य चालू हैं, मैंने स्वयं यह कहा है कि वह 31 तारीख तक चालू रहेंगे। बारे की जहां

(श्री सांवरलाल जाट)

समस्या है वहां राज्य सरकार ने सब्सिडी के आधार पर चारा उपलब्ध करवाने के लिए बहुत पहले आदेश जारी कर दिये हैं। चारे में फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं चारा नहीं लाया जा रहा हो तो आप बताएं, मैं व्यक्तिगत रूप से देखकर व्यवस्था करवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात तो सुनें आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उदयपुर जिले में चारा बिलकुल उपलब्ध नहीं है। उदयपुर जिले में घास की व्यवस्था नहीं हो रही है (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : नहीं, घास की व्यवस्था हो रही है (व्यवधान)।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक तारीख को बन्द (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में भी चारे की बहुत भयंकर समस्या हो रही है। दौसा जिले के अन्दर आप अकाल राहत कार्य (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दौसा जिले (व्यवधान)।

श्री अमराराम (धोद) : चारे की निःशुल्क व्यवस्था की जाए (व्यवधान) काश्तकारों के पास पैसा नहीं है उनके मवेशियों को जिन्दा रखने के लिए चारे की व्यवस्था की जाए (व्यवधान) निःशुल्क घास की व्यवस्था करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना है कि वर्तमान में जो काम चल रहे हैं, पिछले एक महीने से सामग्री और राशि पंचायतों को मुहैया नहीं हुई है, पंचायतें कर्जदार हैं, कामों की गति शिथिल हो गयी। यह पैसा नहीं दिया जाएगा तो कई जगह सामग्री होगी तो खराब हो जाएगी। इसके अलावा पक्के कामों पर (व्यवधान) आधे से कम करने से उन गांवों की हालत बहुत खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए प्रयास करें। पक्के कामों की राशि तत्काल मुहैया नहीं की जाएगी तो करोड़ों रुपयों के काम अधूरे रहेंगे। जो लगा है वह पैसा बेकार जाएगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। अब आपकी क्या बात रह गयी ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह सभी जिलों में हो रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : एक बूंद पानी की नहीं पड़ी है। आपने एक तारीख को काम बन्द कर दिये उनके बारे में आपको क्या कहना है ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय मन्त्रीजी अधूरी बात बोल रहे हैं। पूरी बात बोलें.... (व्यवधान) उनके बारे में आपकी क्या नीति है वह बताएं।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य सभी जिलों में चालू कराया जा रहा है ? ... (व्यवधान)

श्री श्रमराराम (धोद) : एक तारीख को बन्द कर दिये गये हैं उनको पुनः चालू किया जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर जिले में बन्द कर दिये श्रापने। अब कब चालू कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रध्यक्ष जी, अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये हैं दौसा जिले के श्रन्दर (व्यवधान)

श्री श्रध्यक्ष : श्रब आपकी कोई बात श्रंकित नहीं हो पाएगी। यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जो श्रकाल राहत कार्य बन्द कर दिये उनको पुनः चालू करवाया जाए (व्यवधान)।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुख्य मन्त्रीजी श्रौर वित्त मन्त्रीजी का समन्वय नहीं हो रहा है इस मामले में। पैसा ही रिलीज नहीं हो रहा है। काम ही नहीं हो रहा है।

श्री श्रध्यक्ष : श्रब श्राप विराजें। मन्त्रीजी कोई बात कहने को खड़े होते हैं, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : हालत पंचायतों की बहुत खराब है। मन्त्रीजी मामूली बात कर देते हैं। टरकाऊ बात कर देते हैं.... (व्यवधान) एक-एक पाइन्ट का जवाब दिलवाया जाए... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : श्रधूरे हैं तो पूरे करवा लीजिए हर बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : झालावाड़ जिले का स्पष्टीकरण करवाए....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : वह अनुभव भी तो हो (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में श्रकाल राहत कार्य एक तारीख को बन्द कर दिये गये हैं। वहां बिलकुल बरसात नहीं हुई है। न ही खेत बोये गये हैं एक तारीख को जो श्रकाल राहत कार्य बन्द किये गये हैं वे इस जिले में वापस चालू कराए जाएं....(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : झालावाड़ का स्पष्टीकरण करवाए।

श्री श्रध्यक्ष : एक सैकण्ड। विराजें आप। श्राप बात तो पूरी सुनें। अरुण सिंहजी आपको क्या कहना है ? आप कहिये ना फिर।

श्री श्ररुण सिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री सोमराज माटी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रापकी मार्फत अकाल राहत मन्त्री जी से... (व्यवधान)

श्री श्रध्यक्ष : अरुण सिंह जी कोई बात कह रहे हैं, एक सैकण्ड, श्राप उनकी बात सुनिये।

श्री परसादी लाल मीणा : एक तारीख से अकाल राहत कार्य बन्द करा दिये उनके बारे में स्पष्टीकरण दें, क्या वहां दुबारा काम श्राप चालू करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जहां बरसात

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नहीं हुई वहां भी बन्द करा दिये। एक तारीख को ...(व्यवधान) जन विरोधी निर्णय लेकर राजस्थान के करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ है। यह मामला गम्भीर है। इसके खिलाफ पूरी जांच करवाई जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करवाई जाए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री किशनाराम नाई : अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन है कि वह जल्दी से जल्दी चूरू जिले में कार्य शुरू करवाएं।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मेरे झालावाड़ जिले के लिए मंत्री जी से घोषणा कराएं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दौसा जिले के अन्दर एक तारीख को अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये हैं। वहां एक बूंद भी बरसात नहीं हुई है। न ही अभी खेतों में बुवाई हुई है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि दौसा जिले के अन्दर पुनः अकाल राहत कार्य शुरू करवाए जाए ... (व्यवधान) दौसा जिले में पशुओं के चारे के लिए बहुत भयंकर स्थिति हो गयी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : बरसात तो हुई नहीं... (व्यवधान) यह भी जानकारी नहीं है सरकार के पास। सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ना। आप बहुत बार बोल चुके हैं। आप थक गये होंगे। माननीय ताम्बी साहब, अरुणसिंह जी को बोलने दें। अरुणसिंह जी।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी....

श्री मगराज चौधरी : जब तक मन्त्री महोदय इस बारे में वक्तव्य जारी नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बैठें ?

श्री अध्यक्ष : अरुण सिंह जी, एक मिनट। आप विराजें।

श्री मगराज चौधरी :··· के बावजूद भी इन जिलों में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये थे। पाली, जालौर व झालावाड़ वगैर (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दौसा के बारे में मन्त्री महोदय को स्पष्टीकरण देना चाहिए (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में एक तारीख को अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं। एक बूंद बरसात नहीं हुयी है वहां पर न ही खेतों में बुवाई हुई है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : तीस तारीख को जिन जिलों में काम बन्द कर दिया, बारिश न होने के बावजूद.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा जिले की बात मैंने कही है। वहां बरसात न होने के बावजूद अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में एक तारीख से अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये।

श्री अध्यक्ष आपकी भावना अवगत करा दी गयी है, अब आप आगे चलें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जयपुर और दौसा जिले में ...

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, एक तारीख से काम बन्द हैं। हमारे जिले में एक तारीख से काम बंद पड़े हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : सामग्री का रुपया नहीं दिया, पंचायत काम कैसे करें ? मजदूर कम कर दिये, सारे काम अधूरे हैं कौन जिम्मेदार है इसके लिये ?

श्रीमती कमला : जहां पहले भी भयंकर अकाल था वहां आज वापस भयंकर अकाल पड़ने की स्थिति हो रही है। आपने अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये। इस बात का कोई जवाब भी आप नहीं दे रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, उसका मन्त्री जी सही जवाब नहीं दे रहे हैं ...

श्री रामस्वरूप : हमारे जिले में एक तारीख से काम बन्द हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : रुपया आपने नहीं दिया, पंचायतों में काम कैसे करेंगे और काम अधूरे बन्द कर दिये गये। पैसा नहीं दिया, मजदूरों का ढाई-ढाई तीन महीने का पैसा उन पर चढ़ गया है।

श्रीमती कमला : पहले आप बताएं कि काम शुरू करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री सांवरलाल जाट : परसादीलालजी, थोड़ा सुन लीजिए।

श्री रामस्वरूप : सवाई माधोपुर में कब चालू कर रहे हैं अकाल राहत कार्य, यह बताएं आप तो और हमको कुछ नहीं चाहिए। जवाब दो सवाई माधोपुर के बारे में।

श्री रतनलाल ताम्बी : जिन मजदूरों को पहले 30 जून को हटाया गया था उनको वापस रखा जाए। इन्होंने एक जुलाई से आधे कर दिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें तो सही। मन्त्रीजी कोई बात कहना चाहते हैं, उनकी पूरी बात होती ही नहीं और उसके पहले आप खड़े होकर अपनी बात कहने लग जाते हैं, उनकी बात ही रह जाती है और समय भी जाया हो रहा है।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि हमारे अकाल राहत के काम अधूरे रह गये हैं इसलिए उनको पूरा कराया जाए। क्यों कि अकाल राहत कार्य... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : किसने कह दिया बन्द कर दिये। भेदभावपूर्ण तरीके से अकाल राहत कार्य 30 जून को बन्द कर दिये गये। बरसात नहीं हुयी। यह दुर्भावना है सरकार की.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष

(श्रीमती कमला)

महोदय, मन्त्री महोदय माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ में ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले पूरी बात सुन लो। पूरी बात सुनें।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, गैर जिम्मेदाराना उत्तर है। अकाल राहत कार्य में लगे मजदूर बन्द कर दिये गये। मानसून के आने के तीन दिन बाद ही बन्द कर दिये गये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी कह रहे हैं कि बरसात ही नहीं हुयी है, हालात खराब है इसलिए उन अकाल राहत कार्यों को चालू रखें ...

श्री अध्यक्ष : भरतसिंह जी, विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : एक तारीख के आस-पास जहां पर बरसात हुयी वहां पर अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये ...

श्री अध्यक्ष : रामनारायणजी, विराजें आप। रामनारायणजी, कृपया आप विराजें, आप थक गये होंगे। आप विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : जो काम जून के आखिर सप्ताह में शुरू किये थे वही काम इन्होंने बन्द कर दिये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज आप 12 बार खड़े हो गये, ताम्बी साहब, मैं गिन रहा हूं बराबर। यह कोई बात कह रहे हैं, पहले आप पूरी बात तो सुनें (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : पहले मेरी बात सुन लें। पूरी बात सुनने में तकलीफ हो रही है। आप पूरी सुनिये पहले।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनें। आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो, बीच में पहले ही बोल लेते हो।

श्री रामनारायण मीणा : आप कृपया सही जवाब दें, कृपा करके इसे दूसरे ढंग से मत सोचिये। आप माननीय दृष्टिकोण अपनाएं।

श्री अध्यक्ष : रामनारायणजी, अध्यक्ष खड़े होते हैं तो कई बार बैठ जाया करते हैं, रोज-रोज खड़े नहीं रहते। आप विराजें। पूरी बात सुनें। मन्त्रीजी कोई बात कह रहे हैं उनकी बात तो पूरी आने दें। उसके बाद किसी प्रकार की बात हो तो बाद में आप कह दें। वह बोले ही नहीं। उन्होंने कहा था कि आप अधूरा काम पूरा करवाना चाहते हैं और इतने में आप सबने खड़े होकर बात चालू कर दी। आप विराजें। कृपया दो मिनट इनकी बात तसल्ली से सुनिये और उसमें कोई टोका-टाकी नहीं हो।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से थोड़ा यह अनुरोध है, मैं भी आपकी सारी बात सुन रहा हूं तो कम से कम मैं बोलूं तो पूरी बात तो मेरी सुनिये। यह आपकी चिन्ता बिलकुल ठीक है कि अधूरे काम पूरे होने चाहिये। (व्यवधान) यह नहीं होने चाहिये

(श्री सांवरलाल जाट)

तो आप बता दो, आप नहीं करना चाहते क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात। पहले सुनो तो सही, फिर खड़े हो गये आप। पूरी बात तो सुनें।

एक माननीय सदस्य : हमने कहा कि रोजगार मिलना चाहिये।

श्री रामनारायण मीणा : हमें रोजगार चाहिये। अधूरे काम पूरे करने की बात नहीं है, रोजगार चाहिये। (व्यवधान) बूंदी जिले की नैनवां तहसील में बारिश नहीं हुई, कोटा में बारिश नहीं हुई।

श्रीमती कमला : एक तारीख से अकाल राहत के कार्य बन्द कर दिये, वहां पहले भी भयंकर अकाल था और अब वापस अकाल पड़ रहा है क्योंकि बरसात लौटकर नहीं आई, न बिजली मिल रही है। इसलिए अकाल राहत के कार्य जिन जिलों में बन्द कर दिये उन्हें वापस शुरू करिये।

श्री सांवरलाल जाट : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते और आपकी सुनाना चाहते हो।

श्रीमती कमला : गलत इण्टरप्रिटेशन मत करिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरी बात सुनें। यह कौनसा तरीका हो गया ? अपने को थोड़ी बहुत तो सहिष्णुता रखनी चाहिये।

श्री सांवरलाल जाट : मैं एक सैंटेंस बोला नहीं कि आप बोलने लग जाते हैं, यह कोई बात हुई ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था कि बाढ़ से राजस्थान प्रभावित है, अकाल की स्थिति भी बनी हुई है। अकाल की स्थिति निकल जानी चाहिये थी पर पर्याप्त वर्षा कई जगह नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। पहले हमने समीक्षा की थी कि जहां पर ज्यादा चिन्ताजनक स्थिति थी वहां पर 8 जिलों के अन्दर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं और अभी मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि यह कार्य 31 जुलाई तक चलेंगे। अब काम अधूरे रह गये, यह पूरे होने चाहिये, यह आपकी चिन्ता है।

श्रीमती कमला : यह अधूरा जवाब है।

श्री सांवरलाल जाट : और मैं आपको यह आश्वस्त करूं कि पुराने जमाने के अन्दर भी फेमिन चलता था, वहां पर काम ही ऐसे होते थे इसलिए कोई मांग ही नहीं करता था कि इनको पूरा करो। मिट्टी वगैरह डलवा ली, मस्टर रोल भर लिया, यह सारी चीजें होती थीं, किसी से छिपी हुई नहीं हैं। (व्यवधान) आप पूरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात आप सुनें।

श्री सांवरलाल जाट : आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्रीमती कमला : गलतबयानी कर रहे हैं। बहुत गलतबयानी कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिये कि अगस्त के महीने में जब जब भी (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जगह–जगह समिति बनाकर लोगों को काम सौंप दिया, वहां भ्रष्टाचार, घोटाला सभी जगह हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं हैं। राजस्थान में करोड़ों रुपयों का हो रहा है। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : यदि आप विषय के प्रति गम्भीर हैं तो पहले सारी बात तो सुनें।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पार्टी के सदस्य वही चाहते हैं जो इनके जमाने में होता था। वैसा ही चाहते हैं आप।

श्रीमती कमला : यह जो अधूरे काम रह गये हैं उनके बाद हम आपका....

श्री रतनलाल ताम्बी : यह कोई आपका जवाब नहीं हैं।

श्रीमती कमला : हम आपका स्पष्टीकरण चाहते हैं कि जयपुर, दौसा में काम प्रारम्भ करेंगे या नहीं करेंगे जहां अकाल था और अब भी अकाल हो रहा है ?

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तारीख से काम बन्द कर दिये आपने।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है इनका। गांवों में जाकर देखिये, गांवों में लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न ... (व्यवधान)।

श्री रतनलाल ताम्बी : सारे काम बन्द कर दिये। शुरू में थोड़ी बरसात आई। और इन्होंने अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये। यह कोई सरकार है क्या जो बरसात से पहले काम बन्द कर दे। इसको सरकार कहते हो क्या आप लोग ? पहले जितने भी काम चलते थे वह बरसात बन्द होने के बाद भी होते थे। आपने नयी-नयी नीतियाँ बना रखी हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : अकाल की चिन्ता नहीं है।

श्री नरपतसिंह राजवी : परसादीलाल जी, एक मिनट, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री परसादीलाल मीणा : व्यवस्था का प्रश्न जीरो आवर में नहीं होता है, आप पूछिये पहले। नहीं होता है व्यवस्था का प्रश्न।

श्री नरपतसिंह राजवी : सुन तो लें।

श्री परसादीलाल मीणा : बीच में मत आइये आप। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : बीच में आने की नहीं है, परसादीलालजी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी देर से हम लोग

(श्री नरपतसिंह राजवी)

आराम से, शांति से सुनते आ रहे। क्या अकाल सिर्फ एक सैक्टर में ही पड़ा है ? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के नाते सब माननीय सदस्य चुप बैठे रहेंगे ? हम आपसे एक व्यवस्था चाहते हैं, आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं कि माननीय मन्त्रीजी कोई वक्तव्य दें तो उस वक्तव्य को सुन लें उसके बाद में गम्भीरता से बात कहना चाहें, कह दें।

श्री परसादीलाल मीणा : गलतबयानी कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं मन्त्रीजी।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षा नहीं होने की वजह से अकाल की स्थिति सभी जगह पर है।

श्री नरपतसिंह राजवी : बात कह रहे हैं उस बात को तो सुन लें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कमलाजी हमारी सीनियर मैम्बर हैं वह जो कुछ बोल रही हैं उस पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय का जवाब दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : क्या जवाब सुनना ही नहीं चाहते हो ? (व्यवधान) अपने विचारों का आदर करवाना चाहते हो तो हमेशा दूसरे के विचारों को पूरा सुनें।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप सुनाइये, हम सुनने को तैयार बैठे हैं। बार-बार खड़े होकर जवाब ऐसा दे रहे हैं क्या सुनें ऐसे जवाब को ? यह कोई जवाब है क्या ? (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष : आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न है, मेरे सामने अव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष के थ्रू सदन को बात कहनी चाहिये वह नहीं कह कर सीधे ही मन्त्रीजी पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसलिये इनके प्रति गम्भीर चार्ज है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनसे पहले व्यवस्था का प्रश्न यह उठा रही हूं....

श्री अध्यक्ष : अब कोई अंकित नहीं हो। कोई अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री नरपतसिंह राजवी : × × ×

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दें आराम से, कोई अंकित नहीं करें।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं धरना)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय भाभड़ा साहब। उप मुख्य मन्त्रीजी कोई बात कह रहे हैं, कृपया सुनें। मैं आपसे निवेदन करूंगा अब आप यहां पर भी बैठ गये, जो एक्स्ट्रीम क्रियेट की, वह तो आपने पहले ले ली अब तो सुनने की कृपा करें। उप मुख्य मन्त्रीजी बात कह रहे हैं वह सुनें तो सही आप।... (व्यवधान).....

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य....

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय विराजें। अब आप सुनें। (व्यवधान) जिस काम के लिये धरना दिया जा रहा है उसकी बात तो पूरी सुनिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अकाल के सम्बन्ध में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया पूरी बात सुनें। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। आप बात सुनना ही नहीं चाहते। कमलाजी, आप बैठिये (व्यवधान) आप पूरी बात सुनें तो सही।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं और इनकी समस्या समाधान में कोई रूचि भी नहीं है और केवल हंगामा करना है, करिये आप। गो एण्ड डू।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब आप यदि बात ही सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं ?

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : × × ×

श्री मदन मोहन (खैरथल) : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुनने को तैयार हैं तो बैठिये। समस्या का समाधान शांति से होगा, इस तरह से नहीं। राज्य सरकार ने पूरी समस्या का सोच-समझकर समाधान करने की व्यवस्था कर ली है। अब आप सुनना ही नहीं चाहते तो न सुनें, आपकी मर्जी है। अन्यथा अकाल का जहां तक प्रश्न है, राजस्थान में अकाल पड़ता रहा है। उसके सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं। राज्य सरकार ने यह घोषणा कर दी कि अकाल

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

राहत कार्य जहां 15 तारीख को समाप्त होने वाले थे उनकी तारीख बढा दी है 31 जुलाई तक। अब एक तारीख को जो अकाल राहत काम बन्द हुए हैं उन कामों को भिन्न-भिन्न योजनाओं में चालू रखा जाएगा। (व्यवधान).... कोई भी नया अकाल राहत काम... (व्यवधान) मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगा... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : × × ×

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : × × ×

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : × × ×

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डल-गढ़) : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्रीमती बीना काक : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपने स्थानों पर बैठें। अपने प्रक्रिया नियमों में बहुत सारे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अन्तर्गत आप अपना कोई प्रस्ताव लाएं। अभी अपन बात कर लेंगे। सरकार को कोई वक्तव्य देना आवश्यक हो तो वह बात कर लें, आप सदन को तो चलने दें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री महावीरप्रसाद जैन : आखिर हम राजस्थान में किस प्रकार की परम्पराएं निर्मित करना चाहते हैं ? क्या हम संदेश देना चाहते हैं ? समस्याएं अपनी जगह हैं और उन समस्याओं का समाधान कोई भी प्रस्ताव लाकर किया जा सकता है लेकिन इस प्रकार हम सदन के समय को बरबाद करें, यह उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपने सरकार में रहकर भी कई परम्पराओं का निर्वहन किया है, उन परम्पराओं के अन्तर्गत आप अपना कोई भी प्रस्ताव ला सकते हैं। आपस में बात कर सकते हैं और उसके द्वारा उसका समाधान हो सकता हो फिर जैसा आप चाहें, आपकी मर्जी है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री सांवरलाल जाट : अगर आप सुनना चाहें तो बोलूं ? (व्यवधान)।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(100)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें पहले। हाउस एडजोर्न करने से क्या होगा, आपका मतलब तो अकाल राहत से है। (व्यवधान) पांच मिनट बात सुन लो तो पता लग जायेगा। कृपया बात सुनें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान) कृपया बोलें आप।

श्री सांवरलाल जाट : मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरी बात सुनें उसके बाद कोई आपत्ति हो तो मेरे समझ में आती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) आप तो बहुत सिद्ध पुरुष हो गये और दूसरे सब नकारा हो गये ? कैसी बातें करते हो आप ? बात सुनो आप। (व्यवधान) आप कह रहे हैं कि पहले मेरी बात सुनो फिर कोई बात हो तो करो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री सांवरलाल जाट : आप बात तो सुनो (व्यवधान)

श्रीमती कमला : × × ×

श्री अध्यक्ष : एडजोर्न हो जाने से क्या सारी समस्या हल हो जाएगी ? आपके धमकाने से कुछ नहीं होना है। (व्यवधान) मैं आपसे विनम्र शब्दों में कह रहा हूं। (व्यवधान) पूरी बात तो सुनो। कोई बात कह रहे हैं वह सुनो। (व्यवधान) अकाल मन्त्रीजी से सुनना चाहते नहीं, उप मुख्य मन्त्रीजी से सुनना चाहते नहीं। (व्यवधान) कम से कम बात तो पूरी सुनो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

(प्रतिपक्ष द्वारा निरन्तर नारेबाजी)

(13 00)

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री रूपाराम : × × ×

श्री शिवनाथ सिंह : × × × (व्यवधान)

श्रीमती कमला : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत कार्य अकाल राहत मन्त्रीजी को चलाना है और उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं आप। (व्यवधान) अकाल राहत मन्त्रीजी की बात तो पूरी सुन लें। उप मुख्य मन्त्रीजी बात कह रहे थे,

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

उनकी बात भी सुन लें। बात ही नहीं सुनना चाहते आप और फिर आप कह रहे हैं कि ..

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री महावीरप्रसाद जैन : × × ×

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। बहुत देर हो गयी है। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : × × ×

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

श्री महावीरप्रसाद जैन : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री किशनाराम नाई : × × ×

(13.20)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री परसराम मदेरणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित हो।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे दीजिये, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके दल के माननीय सदस्य यदि यथास्थान विराजें, तब आप कुछ कहें तो वह ज्यादा प्रभावी चीज होगी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, उस स्थिति को लाने के लिये भी मैं आसन के सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष ने इस बात की मांग राज्य सरकार के सम्मुख रखी है कि साइक्लोन अरेबियन सी में आने के फलस्वरूप जो बरसात अनएक्स्पेक्टेड, अनटाइमली

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष ने रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं, बैठिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : सत्ता पक्ष का कोई भी माननीय सदस्य जिसकी गरीब आदमी के प्रति सहानुभूति है, निश्चित तौर

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(१०२)

(श्री परसराम मदेरणा)

पर कहूंगा, राहत कार्य चलने चाहिये जब तक उसके जीवनयापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है। उसका यह दायित्व भी बन जाता है और इलेक्ट्रोरेट के प्रति उसका कर्त्तव्य भी।

मैं निवेदन यह कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, due to cyclone the rains were not only uneven but they were erratic. किसी जगह पर बरसात खूब हो गयी और किसी जगह पर बरसात बिलकुल ही नहीं हुई। यह हर जगह की स्थिति है। जैसा कि मुझे यह जानकारी मिली, मैं क्षमा चाहता हूं मैं सदन में उपस्थित नहीं था, राज्य सरकार का ऐसा अभिमत है कि जुलाई के माह में रिलीफ्स के काम, राहत के काम बन्द कर दिये जाते हैं, माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी, मेरा यह दुर्भाग्य रहा है कि जिस वक्त सदन में आप पधारे यहां पर विधान सभा के सदस्य बनकर के....

I am in possession of the floor of the House ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : गलत, गलत सूचना दी है। मैंने यह कहा है कि जुलाई में नये काम बाढ़-अकाल राहत के कभी शुरू नहीं हुए। यह कहा है मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : अभी आप बैठे थे (व्यवधान) अब मुझे बोलने दीजिये। आप और मुख्य मन्त्रीजी दो बोलते है तब मैं खड़ा नहीं होता हूं बाकि + + + कोई बोलेगा तो मैं खड़ा हो भी जाता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रिसिडेंट नहीं है, कई प्रिसिडेंट्स हैं उसके जो विवाद का प्रश्न आज अपने सामने है। यहां तक सरकार ने निर्णय लिये हैं ईवन फेमिन छोड़िये आप, स्केयरसिटी डिक्लेयर नहीं करने के बाद में भी ट्राइब्ल एरिया में करोड़ो रुपये के काम प्रारम्भ किये गये हैं इसलिये कि वो लोग भूखे मर रहे हैं और ऐसी ही बरसात हुई थी 1981 में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर 400 लोग पानी में बह गये, उनकी मौत हो गयी, उस साल जयपुर में एक्सेसिव रेन थी। एक्सेसिव नहीं थी एबनार्मल थी। रेन पांच प्रकार की होती है, उपाध्यक्ष महोदय,– एबनार्मल रेन, एक्सेस रेन, नार्मल रेन, बिलो नार्मल रेन और स्कैंटी रेन। पांच प्रकार की होती है।

एक माननीय सदस्य : और ड्राट।

श्री परसराम मदेरणा : फिर रेन कहां है, वो तो दूसरी स्थिति है। जब कभी भी हम भारत सरकार को फाइनेंस कमीशन को मेमोरेंडम तैयार करते हैं, और देते हैं, नेचरल केलेमिटी में फ्लड आने के बाद में मेमोरेंडम देती है सरकार, अकाल पड़ने की वजह से भी मेमोरेंडम देते हैं, भारत सरकार से गाडगिल फार्मूले में ज्यादा एड देने के लिए जो हम हमारे आरग्यूमेंट्स एडवांस करते हैं, एक ही मुख्य मुद्दा होता है कि इकानामिकली ड्राट अफेक्टेड स्टेट है और हिन्दुस्तान का दो-तिहाई रेगिस्तान जियाग्राफिकली राजस्थान में है और पानी का पर्सेंटेज, परसों में एक पर्सेन्ट कह रहा था,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए यहां स्कैंटी रेन फाल होती है जो एवरेज से 50 फीसदी कम है। यह तो ईश्वर की कुदरत है। अभी विश्नोईजी विराजमान नहीं है, पिछले वर्ष उनके स्कैंटी रेन थी एक तहसील में ग्राउट ग्राफ 192,77 मिली-मीटर ग्रोनली। एक तहसील ऐसी रह गयी थी जिसमें बरसात 50 फीसदी एवरेज थी। इसमें तो एक दफा ज्यादा हो गयी और इस फसल में न मालूम कुछ एटमास्फियरिक फैक्टर्स वर्क कर गये। इस वक्त जिस बुआई की आप बात कर रहे हो, फसलें बिलकुल पीली पड़ी हुयी हैं। क्योंकि यह साइक्लोन ग्ररेबियन सी से आया है और ग्ररेबियन सी की दूसरी बरसात में तो फसल को इतना नुकसान नहीं होता, पहली बरसात में ब्लेकिस पानी होता है ज्यादा। गेहूं बंगाल में नहीं होता। फसल कुछ जर्मीनेट भी नहीं होतीं। कई जगह तो फसल क्या है कि घास की एक ब्लेड भी इस वक्त नहीं। इस साल बड़ी ग्रजीब स्थिति है। जिस बुग्राई की आप बात कर रहे हैं माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी, ग्रापकी कांस्टीट्यूएंसी चूरू जिले में है, सीकर डिस्ट्रिक्ट, चूरू डिस्ट्रिक्ट ग्रोर झुन्झुनूं डिस्ट्रिक्ट, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर कातरिया, जिसको ग्राप कातरा कहते हो, फसल बिलकुल साफ कर दी है। नागौर और बीकानेर के माननीय सदस्य कह रहे थे, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन तीन की तो मुझे ग्रच्छी तरह से जानकारी है कि उनमें बुआई दुबारा होनी है। न बाजरा रहा है, न मोठ रही है, जो फसल थी उसके पत्ते-पत्ते सब खा गये, इतना ज्यादा कातरा हो गया। इसलिए किसान जो संसार की दूसरे नम्बर की जनसंख्या वाले देश का पेट भरता है वो कुदरत के गेम्बल के ऊपर चल रहा है। बरसात हो गयी, बुग्राई हो गयी, फसल जो है, कीड़े इन्सेक्टिसाइट्स क्या कहते हैं उनको कातरा-वातरा कुछ ऐसे ही .. (व्यवधान) इन्सेक्ट नहीं उसका नाम है जो बता दूंगा, घबरा क्यों रहे हो, ग्रंग्रेजी में नाम है, मेरे पास लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। ग्राप से ज्यादा जानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये। जोधपुर डिवीजन के बहुत से इलाकों के अन्दर बुग्राई नहीं हुयी है, उदयपुर डिवीजन के बहुत से इलाकों में बग्राई नहीं हुयी है। ग्राप एक बात देख लीजिये, टोटल जो आपका खरीफ का क्राप्ड एरिया है। यह एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ग्राफिसर है हर पंचायत समिति में, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर भी है, बहुत बड़ा लवाजमा है। ग्रच्छी बरसात होती है और काश्तकार मेहनत करता है उसका तो तमाम श्रेय ये ग्रौर यह सरकार ले रही है कि अभी हमने तेल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। कीर्तिमान-वीतिमान कुछ नहीं है, दूसरी फसल के पैसे कम आते हैं तो काश्तकार खुद ही सरसों बो रहा है, तारामीरा बो रहा है। वो देखता है कि यह इकानामिकली वायबल नहीं है, इसलिए वो फसल को बो रहा है, मैं देख रहा हूं। हमने कीर्तिमान कर दिया है-ग्रापने तो कीर्तिमान वो तेल की मिलें थीं, जिनमें वो कौनसा संघ है, तिलम संघ उसमें 40 करोड़ का घोटाला है : यह कीर्तिमान है ग्रापका। यह बहुत सीरियस मैटर है ग्रोर उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि फेमिन की कंडीशन ग्रोर उसके टाइगर से, ग्रकाल पीड़ित ग्रौर प्रभावित जनता

(श्री परसराम मदेरणा)

बाहर नहीं निकल सकी है इस रेन से इसलिए प्रश्न यह है कि सरकार को रिलीफ के काम कंटीन्यू रखने चाहिये। यह सरकार ठेकेदारी देना चाहती है। हर काम ठेकेदारी पर देना चाहती है। यह अब देखती है कि यह फ्लड आ गया तो फ्लड के पेटे और ग्रोट के अन्दर कह दो, बरसात बहुत हो गयी है, एक्सेस रेन आ गयी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मैं इधर तो बैठकर आपके सम्पर्क में आया लेकिन जब-जब मैं ट्रेजरी बैंचेज में था तब आप अपोजीशन में नहीं थे इसलिये आपके और मेरे बीच में फासला बहुत लम्बा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 85 में सम्पर्क था।

श्री परसराम मदेरणा : 85 में मैं पराजित हो गया था और 85 से पहले, आप नहीं थे, आपसे पहले गाड़िया जी और वो कोटा वाले थे उनको भी भैरोंसिंह जी ने तैयार किया था और आपको भी तैयार किया था। गुरु तो गुड़ ही रह गये और चेले शक्कर बन गये। मैं देख रहा था लीडर ग्राफ अपोजीशन की अगुली उठी नहीं और चौमूं वाला विधायक उठा नहीं। तीन विधायक थे, दूसरों के नाम लेना नहीं चाहता लेकिन उनमें एक आप थे। अगुलियों पर चलते थे।

श्री अमराराम (धोद) : उस समय यह चौमूं से नहीं थे, सीकर से थे।

श्री परसराम मदेरणा : चौमूं का कोई फर्क नहीं पड़ता, चौमूं में विद्वान लोग भी हैं। ये कहावतें चल रही हैं, कई जगह चलती हैं। हमारे उधर मारवाड़ के अन्दर ज्यादा चलती हैं और उधर ब्रज नरेश भरतपुर के यहां। मुझे यह भाषा बहुत मीठी लगती है और हमारे यहां पर भरतपुर के लोटे की बात चलती है। तो अलग-अलग कहावतें हैं यों ही किसने बना दी हैं प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह मांग है कि विधान सभा सत्र एक सप्ताह के भीतर ही समाप्त होने जा रहा है, कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन के तहत 6 महीने में आप सदन का सत्र बुलायेंगे और मुझे दिखता है कि यह मौसम इस वक्त हमारे साथ में काफी दगेबाजी कर रहा है, एक तो कर दी इसने, बरसात के मौसम ने दगेबाजी, और थोड़ी देर बाद में आने वाले मौसम ने यहां जयपुर के लोगों के साथ में कुछ दगेबाजी की है, मौसम का परिवर्तन आ गया है, आप कुछ समय के लिये सदन को स्थगित कीजिये बैठकर बात कीजिये और इस सदन में प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष की बातचीत के बाद में कोई न कोई इस समस्या के सम्बन्ध में हल निकालने का प्रयास कीजिये। मुख्य मन्त्रीजी सम्भवत: आज यहां नहीं हैं तो यह सरकार की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है...

श्री राजेन्द्र पारीक : तभी इनके हाथ में नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : तो अपने हाथ में क्या है?

श्री राजेन्द्र पारीक : अपने हाथ में है वह तो कर ही रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अपने हाथ में नहीं है जब ही तो धरना दिया है। हमको

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां सदन के बीच में जनता की भावनाओं को रखना है, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके निवर्हन में हम किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। मैं अब एक-एक मांग यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं बात दूसरी कह रहा हूं। अभी कुछ चालू रख रहे हैं, कुछ बन्द कर दिये हैं। कहां चालू रख रहे हैं, कौनसे जिले में रख रहे हैं, कितने काम रख रहे हैं, इसकी जानकारी हमको जियाग्राफिकली और डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं है अभी। सरकार द्वारा यह पूरी विस्तृत जानकारी दी जाए। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र शब्दों में अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करके इस सदन में बातचीत होकर कोई न कोई समाधान निकालिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो कार्यसूची है उसका सभी माननीय सदस्यों को ध्यान है। जिस अकाल की आज चर्चा हो रही है वह भी आज अकस्मात नहीं है। वह स्थिति भी पिछले कई दिनों से चल रही है। अच्छा तो यह होता कि इस सम्बन्ध में प्रतिपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव आता और आज जो राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों में स्थिति है उसका आंकलन करके माननीय सदस्या अपने-अपने ज्ञान से हाउस में बताते और उस आधार पर सरकार कुछ निर्णय करती। लेकिन वह प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी और अचानक जब सत्ता पक्ष के लोगों ने आज 15 तारीख को जो अकाल राहत काम बन्द हो रहे हैं उनको चालू रखने की मांग की उस पर प्रतिपक्ष के लोगों के अचानक ध्यान में आया है कि इस इश्यू पर हम अपनी बात को.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उग्र तरीके से रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया। वैल के अन्दर बोला नहीं जाता है, चुपचाप शांत रहा जाता है। वैल का मतलब यही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष, और इसलिए उन्होंने आज यह दृश्य विधान सभा में पेश किया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता खुद इस बात को जानते हैं कि संसद और विधान सभा में एक फ्लोर अरेंजमेंट होता है और वह उसी पर चलती है। किसी की जिद पर या किसी के दुराग्रह पर नहीं चलती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, यह व्यवहार ठीक नहीं है आपस में। इस प्रकार का व्यवहार आपस में ठीक नहीं माना जाता। कृपया शांत रहें। उप मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप सुनें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। अभी-अभी पार्लियामेंट में पैट्रोलियम की कीमतों को बढ़ाने में एक एडजोर्नमेंट मोशन पेश हुआ। प्रतिपक्ष ने वहां उस एडजोर्नमेंट मोशन पर उस रूल में डिबेट करना चाहा.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार को सुनना चाहिए आपको।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह सुन लेंगे, आप सुनिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कर रहे हैं आप ? पहले सुनें, माननीय सदस्य ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और उसमें प्रतिपक्ष की इच्छा थी कि इस पर मतदान किया जाए । (व्यवधान) लेकिन, अध्यक्ष महोदय ने अपने चेम्बर में बुलाकर प्रतिपक्ष को कहा कि इससे सदन के जो अनेक दल हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी क्योंकि वे बाहर सब इसका विरोध कर रहे हैं और जब मतदान होगा तो उनकी स्थिति आकवर्ड हो जाएगी । तो हमारे प्रतिपक्ष ने, वहां बी. जे. पी- ने मान लिया कि हम इस तरह की स्थिति सदन में नहीं पैदा करना चाहते और इसलिए रूल 193 में उन्होंने बिना मतदान के स्वीकार कर लिया और उस पर बहस चालू हो गयी । इसी प्रकार से विधान सभाओं में भी इस तरह का फ्लोर अरेंजमेंट होता है । लेकिन आज उस बारे में भी चर्चा नहीं की गयी (व्यवधान) जब माननीय सदस्यों ने ..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, पारीक साहब, ... (व्यवधान) . आप सुनिये । सुन तो लें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : उप मुख्य मंत्रीजी यह बता दें कि वह हां या ना करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : पता नहीं वह हां करेंगे या ना करेंगे, सुनें तो सही ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जब माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया तो सरकार की ओर से कैटेगोरिकली यह जवाब दिया गया कि 8 जिले में, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक हैं जहां पर आज अकाल राहत काम बन्द होने की स्थिति थी वहां 31 जुलाई तक काम चालू रहेंगे । सरकार की ओर से यह भी घोषणा की गयी कि एक तारीख को जिन जिलों में अकाल राहत कार्य बन्द हो गये वहां पर जितने भी अकाल राहत के अधूरे काम हैं वो सारे अन्य योजनाओं के अन्तर्गत, चाहे वो जवाहर योजना हो, चालू रखकर पूरे किये जाएंगे । सरकार ने यह भी कहा कि अभी महीना आषाढ़ का चल रहा है, 15 दिन आषाढ़ के बाकी हैं और अभी बरसात का मौसम समाप्त नहीं हुआ और बरसात आने की सम्भावनाएं भी समाप्त नहीं हुई और अभी भी यदि बरसात आ सकती है तो उससे प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी, इसकी सम्भावना अभी नहीं बनायी जा सकती । इस सम्बन्ध में इसकी कोई सम्भावना नहीं कर सकते इसलिए हमें अभी उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । बन्द अकाल राहत कार्य को पूरा करना, जहां आज तक बन्द हो रहे हैं, उनको जुलाई तक चलाना यह किसानों के हित में राज्य सरकार ने निर्णय किया है, जिसमें किसी का दबाव नहीं है । जहां पर बाढ़ आयी है (व्यवधान) एक ओर बाढ़ राहत काम चल रहे हैं, दूसरी ओर अकाल राहत काम चल रहे हैं, तीसरी ओर जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने का काम चल रहा है । सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था की है । इसमें कोई लीपापोती नहीं है । इस सम्बन्ध में प्रतिपक्ष के माननीय नेता हमारी इस बात को मानेंगे, नये सिरे से अकाल राहत कार्य चालू करना, यह जुलाई में कभी सम्भव नही हुआ । इसलिये कामों को चालू रखना सम्भव है लेकिन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बन्द करने के बाद नये सिरे से काम चालू हो. इसके लिए बजट की जरूरत होती है, केन्द्र की सरकार को हमारी रिपोर्ट जाती है। अभी तो केन्द्र की सरकार से पिछले पिछले साल के 21 करोड़ रुपये थे वो भी हमें प्राप्त नहीं हुए और अभी जितना भी अकाल राहत काम सरकार कर रही है, 90 करोड़ रुपये लगाकर, अपने स्तर पर कर रही है ... (व्यवधान) फाइनेंस कमीशन अभी बैठा नहीं, ऐसी स्थिति में (व्यवधान) अधिकतम उपयोग के लिए और प्रदेश में किसानों को राहत देने का काम था, चाहे वो बाढ़ से राहत हो, चाहे अकाल से राहत हो और चाहे (व्यवधान) इस प्रकार अपने बजट के आधार पर कर रही है। ऐसी स्थिति में नहीं समझता (व्यवधान) कि हाउस को एडजोर्न किया जाए।

मान्यवर, जैसा मैंने आपको निवेदन किया हाउस कभी भी दबाव में नहीं चलता। आप वाजिब बात करिये, बहस करने के बाद में सरकार को आप लिख कर दीजिये, तैयारी के साथ आयेगी। अकाल राहत में जैसा प्रश्न खड़ा कर दिया, जिसके बारे में स्वयं प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि किस जिले में अभी क्या स्थिति है, कहीं पर बरसात हो गयी, बुवाई भी हो गयी, कहीं पर कातरा भी आ गया, कहीं बाढ़ आ गयी इसलिये भिन्न भिन्न जिलों में स्थिति क्या है, जब तक उसका आकलन नहीं हो जिसके बारे में प्रतिपक्ष के नेता भी कुछ नहीं बता सके, तो हमारी सरकार उसके बारे में अपना कोई निर्णय दे दे एसी हमारी परम्परा नहीं है ऐसा कभी हुआ नहीं है इसलिये मैं प्रतिपक्ष के नेता से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो चाहे तो इस सम्बन्ध में किसी और दिन विस्तार से इसकी चर्चा करें। माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जो स्थिति है उसका आकलन यहां पर रखें, सरकार को जानकारी दें और सरकार भी अपनी ओर से पूरी जानकारी प्राप्त करके और फिर प्रतिपक्ष के नेता के साथ बैठकर इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है, सरकार उसके लिये तैयार है। लेकिन सरकार दबाव में आकर हाउस को एडजोर्न करे, इसके लिये तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सारी बात सुन ली है, अब आप कृपया मेरी सुनिये, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सबको पता है आसन पैरों पर है। कृपया आप भी सुनें, आप भी शांत रहें। माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है अकाल के बारे में, करीब पौन दो घण्टे से यह मामला चल रहा है और सदन के अन्दर जिस प्रकार से मामला चल रहा है उससे लगता तो है कि वास्तव में स्थिति काफी चिन्ताजनक है। लेकिन जिस प्रकार से सदन में यह मामला आया और जिस प्रकार का सिलेबस आप लोगों ने अपने मुखासन से दिया है, सदन के अन्दर जो कुछ कहा है, जो व्यवस्थाएं हमारी रही हैं, जो परम्पराएं इस सदन की रही हैं, मैं उसको परम्पराओं के अनुकूल नहीं मानता। मैं यह चाहता हूं सदन के सभी माननीय सदस्य.... (व्यवधान) सुनिये आप, मेरी यह इच्छा है सदन सुचारू रूप से चले और जो हमारी कार्य सूची है, उसका काम पूरा हो। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस अकाल के सम्बन्ध में या तो आज ही कोई

(श्री उपाध्यक्ष)

वक्तव्य दे या कल कोई वक्तव्य दे अकाल मन्त्रीजी, जिससे इसके बारे में खुलकर चर्चा हो जाए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, माननीय पारीक साहब, आधा घण्टा हाउस एडजोर्न होने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार इस पर वक्तव्य दे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है मेरे पास। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : सरकार कल वक्तव्य देने के लिये तैयार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में मुझे भी करीब 25–27 साल रहने का अनुभव है और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मसलों पर अमूमन आधे घण्टे के लिये हाउस एडजोर्न होता रहा है। दोनों दल बैठकर बातचीत कर लेते हैं या तीन दल हों तो तीनों बैठकर बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद तय कर लेते हैं, आया कि स्टेटमेंट की आवश्यकता है या नहीं है, आया कि फेमिन वर्क्स में कौन से वर्क्स लिये जाएं। या कौन से नहीं लिये जाएं यह अन्दर ही बैठकर तय हो जाये और फिर लाबिज में आकर हम आम तौर पर कह देते हैं सभी सदस्यों को कि इस तरह से यह निर्णय हो गया है और सरकार यह काम करना चाहती है। आज आपने थोड़ा सा उनकी तरफ झुकाव ज्यादा रखा है। उन्होंने यह कह दिया जो बिलकुल गलत था।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा कोई झुकाव नहीं है। जो चर्चा आप अन्दर बैठकर करते वो चर्चा यहां हो चुकी है इसलिये मैंने यह व्यवस्था दे दी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, उन्होंने यह कहा कि हम दबाव में, अगर आप दबाव से काम नहीं करना चाहते हैं कि हम यहां दिन भर ही यूं बैठे रहें?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दबाव से काम नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह मैंने अपने विवेक से काम किया, दबाव से कोई काम नहीं किया। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ कह रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय। कुछ कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सरकार का व्यू-पाइंट सुनने के बाद व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था में आपने सदन की परम्पराओं का उल्लेख किया है। इस सदन में ये परम्पराएं रही हैं, मैं इस सदन के अन्दर कम से कम 30 साल से ज्यादा समय से सदस्य रहा हूं और तैंतीसवां साल मुझे चल रहा है, कम से कम यह सदन सौ दफा एडजोर्न हुआ होगा और एक-एक दिन में तीन-तीन दफा एडजोर्न हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने परम्परों का उल्लेख इसलिए किया कि हाउस के अन्दर जिस कदर चर्चा हुयी, मैं समझता हूं, वह ठीक नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तेजना में कई बातें हो जाती हैं। सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों में

(श्री परसराम मदेरणा)

आरोप-प्रत्यारोप, उसके प्रतिवाद से टेम्पर्स फ्लेग्रर-ग्रप हो जाता है। लेकिन Hon'ble Chair of this august House always keeps verv calm इस सत्र के प्रथम दिन मैंने लोकसभा के भूतपूर्व ग्रध्यक्ष को ग्रपनी शोकाभिव्यक्ति प्रकट करते हुए यह बात कही थी कि जिस तरह से वे सदन के सभी माननीय सदस्यों को सहजता के साथ संतोष दिलाते थे, सदन की कार्यवाही का प्रतिपादन ग्रौर संचालन सुचारू रूप मे करते थे, वह एक्सीलेंट ही नहीं सुपरलेटिव था। इसलिए, माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी, यह दबाव की बात जो है, मैं 1993 से इस सदन में देख रहा हूं, जिस तरह से बिना प्रतिपक्ष को साथ लिए हुए, 5–5 दिन का बिजनेस, घण्टे, 10–15 मिनट में निकलवा देते हैं, यह कौनसी परम्परा इस सदन में रही है ? House of Commons is mother of all Parliaments. कम्युनिकेशन के मामले को लेकर 12 दिन तक लोकसभा नहीं चलने दी। यह कौनसी परम्परा थी ? स्पीकर हाउस एडजोर्न करते थे। स्पीकर शिवराज पाटिल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, ज्यों ही देखा कि हाउस में नोइज हुयी, उन्होंने शान्ति स्थापित करने की काफी कोशिश की, शान्ति स्थापित नहीं हुयी तो हाउस को एक दफा एडजोर्न किया। दुबारा मिले लेकिन वही उत्तेजना का वातावरण रहा तो फिर सदन को उस दिन के लिए एडजोर्न कर दिया।

दबाव का प्रश्न नहीं है, उप मुख्य मंत्रीजी, ग्रौर ग्राप इसको दबाव मान कर के यह करना चाहते हैं तो यह इस सदन को राजस्थान की जनता के प्रति बहुत बड़ी डिस्सर्विस होगी जिसमें हम तो गुनहगार होंगे या नहीं होंगे लेकिन ग्राप उसमें ज्यादा गुनहगार होंगे। इसलिए होंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ग्रापको कसेन्सस से चलना पड़ता है, ग्रपोजिशन की बात को सुनकर चलना पड़ता है। डिमाण्ड ग्रब भी बाकी है तथा ग्रौर भी इम्पार्टेण्ट मामले लिये जाएंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें अन्य विषय जो राजस्थान की जनता से सम्बन्ध रखते हैं ग्रौर बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके सम्बन्ध में भी हम चाहेंगे कि सदन की कार्यवाही कुछ दिनों के लिए बढ़ाई जाए। ऐसा प्रतिपक्ष का मानना है ग्रौर ग्रन्य राजनीतिक दलों के लोगों के साथ मैंने बात की है, कुछ ऐसे मसले हैं, ग्रापको डिस्कस करना चाहिए कल की मीटिंग में।

मेरा ग्रापसे फिर विनम्र निवेदन यह है कि प्रश्न प्रिसीडेण्ट और परम्पराग्रों का नहीं है। एक सिचुएशन खड़ी है, पहले उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए ग्रौर ग्राज की इस इंपासी का सोल्युशन निकालने के लिए मैंने एक प्रस्ताव ग्रासन के सम्मुख रखा है। ग्रासन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह बात कह रहा था, ब्लजन तो कर दिया, दबाव में नहीं ग्राना चाहिए। दबाव कौन दे रहा है ग्रौर दबाव देने से होता क्या है। चतुर्वेदीजी हैल्थ मिनिस्टर रहे हुए हैं। मैंने उन पेशेण्ट्स को मरते हुए देखा है जिनको आप ग्रॉक्सीजन की मशीन लगा कर के दबाव देते हैं। ग्राधे-पौन घण्टे के बाद मे उसका सांस निकल जाता है और वह मशीन बजती रह जाती है। कोई भी दबाव नहीं दे रहा है ग्रौर दबाव के नाम पर ग्राप गलत

(श्री परसराम मदेरणा)

परम्परा मत डालिये। बहुत गलत परम्परा आप डालने जा रहे हैं। वह इसलिए डालने जा रहे हैं क्योंकि हम सोल्युशन तो चाहते थे लेकिन उस बात को बोलने के बाद में परम्पराओं और प्रिसीडेण्ट की बात आ गई। दबाव का मुद्दा लोगों को राहत देने से ऊपर उठकर आ गया, ऐसा प्रतीत होता है। इस सरकार में जनता पार्टी के बहुत सीनियर माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उन्होंने हाउस ऑफ कामंस, लोकसभा और इस सदन के सभी स्पीकर्स की रूलिंग्स पढ़ रखी है तथा उसका उल्लेख भी करते हैं। निर्दलीय भी काफी हैं, जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यह प्रश्न केवल प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं आया था कि राहत के काम चालू हों। उस ओर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात को उठाया था। This issue becomes the property of the House, अब इसमें बहाना लेना कि इसमें एडजोर्नमेंट नहीं था, कालिंग अटेंशन नहीं था, प्रापर नोटिस नहीं था, गवर्नमेंट सब इन्फार्मेशन कलेक्ट करके नहीं आयी। अभी कुछ कागज लेकर के इन्फार्मेशन कर दी। मैं किसी ओर को तो नहीं जानता, क्योंकि मैं आजकल अफसरों से बात ही नहीं करता लेकिन मुझे आफिसर्स गैलरी में रिलीफ सैक्रेटरी तो दिख रहे हैं, मुझे दिखता कम है, He has also for good three or four years, he has worked with me as Special Secretary-Planniag and for P. H. E. D. रिलीफ कमिश्नर वहां बैठे हुए हैं, इन्फार्मेशन तैयार कर देंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को साथ लेना पड़ेगा इन्फार्मेशन कलेक्ट करने के लिए। क्या यह अपने जैसे ही नहीं हैं, रियल्टी क्या है? इसलिए मैंने कहा था कि ये श्रेय तो ले लेते हैं लेकिन वहां बुवाई कितनी हुई है, वह फसल स्टर्ट हुई है कि नहीं हुयी है। वह जल गयी है और स्टर्ट हुयी है, वह पीली-पीली एक-एक, दो-दो अंगुल खड़ी हुयी है। ऐसी स्थिति में जहां राजस्थान में साढ़े तेइस हजार गांवों में अकाल हो और वह स्थिति फिर डिटेरियोरेट हुयी हो इसको आप रियलाइज नहीं करते हैं। बरसात से इतनी उपजाऊ भूमि नष्ट हो गयी है, उस पर न तो खरीफ की फसल और न रबी की फसल होने वाली है। 15–15, 20–20 फीट के खड्डे पड़ गये हैं। जहां एक–फसली इलाका था और बाढ़ आ गयी है वहां पर अगले 10 दिन तक बुवाई हो ही नहीं सकती है। जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको आप राशन दे रहे हैं, अभी तक तो दिया नहीं था, ये पुड़ियां डाल रहे थे, जिससे बीमार पड़ रहे थे। दिया है कि नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने बाढ़ के अन्दर 7 दिन की जगह 15 दिन दिया। जहां सिचुएशन खराब थी वहां 15 दिन की बजाय एक-एक महीने उनको राशन दिया है। नेचरल कैलमिटी मनुष्य

(14.00)

के बूते की बाहर की बात है, यह अचानक आती है। लोग 84–85 कह रहे हैं, अखबार 100 के आस-पास कह रहे हैं। अब शायद इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। मुझे यह बता रहे थे कि चार-पांच आइडेन्टी कार्ड नहीं हुए हैं। 84 को सरकार कन्फर्म कर रही है। वह भी कर लिया होगा। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो सरकार दबाव की बात कर रही है, आज दिन तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, जो मिनिस्टर इंचार्ज है, उसके सामने 300 करोड़ की जबानी बात कही

(श्री परसराम मदेरणा)

है । इन्होंने अभी तक भारत सरकार में मेमोरेण्डम नहीं दिया । They are inescapably responsible for this negligence. इनको पांच दिन के अन्दर मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में भी प्रश्न उठा और मैंने मिनिस्ट्री इंचार्ज का बयान पढ़ा । 300 करोड़ की आप मांग तो कर रहे हो । इसमें नुकसान हो गया और इसमें क्षति हुई है लेकिन इसका मेमोरेण्डम यहां पर नहीं दिया है राज्य सरकार ने । यह राज्य सरकार अभी तक तो बाढ़ का ज्ञापन भी नहीं दे रही है, जबकि प्रतिपक्ष का ज्ञापन यह है कि लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन-यापन के लिए उनकी मजदूरी बन्द नहीं की जाये । उनको पगार दी जाये ताकि वे जीवन-यापन कर सकें, प्रश्न यह है । डिटेल्ड इन्फार्मेशन लाई जा सकती है । हमारे चीफ-व्हिप ठीक बात बात कर रहे थे, बैठ जाएं । जब तक कम्पलीट रिप्लाई नहीं आती है और उस समय यह भी बातचीत का एक विषय हो सकता था । लेकिन बातचीत बिलकुल ही नहीं हो और दबाव में हम कुछ नहीं करना चाहते । मैं विनम्र बहुत हूं, लेकिन यह मत समझना कि विनम्रता का कोई दूसरा अर्थ ले लिया जाए । on certain occasions I am made of steel. मेरा फिर बहुत विनम्र अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार कर लीजिए और नहीं तो....

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में परम्पराओं का काफी जिक्र हुआ और मेरी मान्यता है कि सदन में सबसे बड़ी परम्परा यह है कि किसी भी माननीय सदस्य को अकेले किसी भी दल को, यहां तक कि आसन को भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । यह मैं सबसे बड़ी परम्परा मानता हूं । इस मुद्दे पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं । पहले भी मैंने निवेदन किया था कि जो सिचुएशन हाउस में इस वक्त हो चुकी है, दो घण्टे से कार्यवाही बिलकुल रुकी हुयी है. इस कार्यवाही को चालू किया जाये । इसमें प्रतिपक्ष आसन को पूरा सहयोग करना चाहता है, लेकिन उस सहयोग के लिए ऐसा वातावरण बनना चाहिए, जिसमें कि सहयोग करने की स्थिति बन पाए । आपने आसन से यह व्यवस्था तो नहीं दी, लेकिन अपना एक विचार व्यक्त किया कि इस प्रकार से सदन की कार्यवाही स्थगित करने का मैं औचित्य नहीं मानता हूं । ठीक है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जाये कि बिना स्थगित किए हुए और आपस में चर्चा किये बिना आगे सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती हो तो इसमें किसी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए बिना आसन यह व्यवस्था देखें । सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है, लेकिन आसन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है । आप देख रहे हैं कि दो घण्टे से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और आज जैसा वातावरण बना हुआ है, उसमें आगे भी नहीं चल पायेगी । क्यों ? आपके पास अधिकार है, आप प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को बाहर निकाल सकते हैं । आपके पास मार्शल है । वह सब कार्यवाही आप कर सकते हैं, लेकिन इससे इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं, घटेगी । इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जैसी बात कही, एक बार

(श्री शिवनाथ सिंह)

बैठकर यह जो चर्चा है, चर्चा का बहुत बड़ा विस्तार, जिस प्रकार से चर्चा की जाए, स्थगन प्रस्ताव लाया जाए और कोई मोशन लाया जाए, दोनों पक्ष बैठ जाएं, प्रतिपक्ष के नेता बैठ जाएं, हमारे उप मुख्य मन्त्री जी बैठ जाएं और दस-पन्द्रह, बीस मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित होकर ऐसा वातावरण बन जाए कि सदन की कार्यवाही चलती रहे। मैं आपसे आपकी व्यवस्था के लिए पुन: निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर फिर विचार कीजिए। सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाए और दोनों पक्षों को साथ बैठाकर बात करनी चाहिए. इतना ही मेरा निवेदन है वरना सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की माननीय नेता की इस बात से मेरी सहमति है कि हम बैठ करके बात करें। बात करने से कोई इन्कार नहीं है। अभी शून्यकाल चल रहा है और शून्यकाल में 295 है, आप 295 शुरू करिये, चाहे जो भी शून्यकाल का बिजनेस है वह चालू करिये। मैं प्रतिपक्ष के नेता के साथ बैठकर इस सम्बन्ध में जो भी विचार वे करें, करने को तैयार हैं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी समस्या है उसके बारे में उप मुख्य मन्त्रीजी ने यहां पर स्टेटमेंट दिया था, यहां पर विचार रखे थे कि यह समस्या कोई आज पैदा नहीं हुई। इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य यह नही चाहता कि राजस्थान में अकाल हो। जब 22 तारीख को अतिवृष्टि हुई उससे पहले जहां बरसात हुयी है वहां लोगों ने बुआई की थी और यहां अतिवृष्टि हुयी है, जहां अकालग्रस्त क्षेत्र था वहां तो डबल मार हुयी है। पहले अकाल था और उनके बोने के बाद जो अतिवृष्टि हुयी उससे उनके खेत बिलकुल बरबाद हो गये और रही सही जहां कहीं भी फसल बची थी, जैसा यहां पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि इस कातरे ने पूरे उसको पूरी तरह से बरबाद कर दिया। जहां अकालग्रस्त क्षेत्र था उनको तीन दफा तबाही का सामना करना पड़ा है। माननीय सदस्य चाहे प्रतिपक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो कोई नहीं चाहता था कि एक तारीख के बाद बरसात नही हो और आगे बुवाई नहीं हो और उसका काम सही नही हो। आज 15 जुलाई तक सामान्य स्थिति नहीं हुई है। जहां-जहां भी पहले जो कार्य बन्द कर दिये गये थे, उनके आज तक भी पेमेंट नहीं हुए हैं। आज 15 तारीख को इस बात की आवश्यकता बन गयी जहा अकाल राहत कार्य आज बन्द होने वाले थे वे अकाल राहत कार्य एक तारीख को बन्द हुए हैं, पूरे राजस्थान मे जो कार्य बन्द कर दिये हैं उन सभी को चालू किया जाये और जिनके बकाया पेमेंट है, उनको पेमेंट दिया जाए। इस सदन की स्वस्थ परम्पराओं के लिए. सही वातावरण के लिए, यहां सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष से सवाद नहीं करना चाहता, केवल अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये हुए है। यहां पर यह कह रहे हैं कि कानून मे नही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की गरीब से गरीब जनता के साथ में जो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है, उदयपुर मे उलटी और दस्त से लोगों की जान खतरे में है, यहां खाने के

(श्री अमराराम)

लिए नहीं है वहां इससे बड़ा प्रश्न नहीं हो सकता। इस कुर्सी पर बैठकर नियमों में शिथिलता दी जा सकती है। निश्चित रूप से सदन को स्थगित करके इस सदन को चलने की स्थिति में लाने के लिए पुनः सत्ता पक्ष इस पर विचार करे और सबके साथ बैठकर इस पर विचार करे, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि जब नेता से बात करने के लिये उप मुख्य मन्त्रीजी तैयार हो गये हैं तो नेता को भी तो पार्टी से पूछना पड़ेगा न ?

श्री किशनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अकेले तो नेता महोदय बात नहीं कर सकते। आप चाहें कि सब यहां हुजूम खड़ा हो जाए और बात करें, इसमें क्या शान की, इनकी क्या ऐसी (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने बिना पूछे कहा है आपको। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यहां दस–पन्द्रह मिनट हाउस को एडजोर्न कर लें। हम लॉबी में शामिल हो जाते हैं, वे अपनी लॉबी में शामिल हो जाएं। हमेशा इस तरह से बात होती रही है। यह नयी कौनसी परम्परा डाल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कल कर लें, वे पूछ लें। पूछ करके बातचीत कल कर लेंगे। किस तरीके से इस पर डिबेट हो, यह बात कल हो जाएगी। आप पार्टी से पूछ लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह क्या जिद है, साहब, इसमें ? मेरी समझ में नहीं आता। यह तो अब आप पर बात है। पन्द्रह मिनट के लिये आप हाउस को एडजोर्न कर दें (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह अकाल राहत पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि कल वक्तव्य देंगे।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, आपने जो फोगिंग के बारे में स्थगन प्रस्ताव लगाया उस पर आज सरकार वक्तव्य देगी और अकाल के मामले हैं वह, और आज सामुदायिक ग्रामीण विकास पर चर्चा होगी। तो मेरा निवेदन यह है कि काफी महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन हैं। ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा हो गयीं हों जिस पर हाउस को एडजोर्न करना आवश्यक हो तो आसन ने हाउस को एडजोर्न किया है। पर कभी भी ऐसी मांग नहीं आयी कि हाउस को एडजोर्न किया जाए। कोई विषय नहीं, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि हाउस इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रारम्भ करे और जो चर्चा की जानी है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, उप मुख्य मन्त्री महोदय और भी नेतागण महोदय मिल कर आपके और अध्यक्षजी के चैम्बर में बैठकर,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निश्चित रूप से विचार करें। (व्यवधान) और मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता यह चाहती है कि उनके महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा यहां पर हो।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Why is he holding the floor ? कोई काम की बात कह नहीं रहे हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा आपसे निवेदन है कि वह कार्यवाही यहां प्रारम्भ करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक जुलाई से काम शुरू कर दो बस, यह खतम हो मामला एक। दो, आपने काम बन्द किये हैं एक जुलाई को, वो वापस शुरू कर दो। बस यह खतम हो मामला। हम सब उठ जाते हैं.... (व्यवधान) हम अभी हट जाते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : और इस मामले में राजनीति को खतम कर दो.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : एक जुलाई को जहां अकाल राहत काम बंद हुए उन अधूरे कामों को पूरा करना हम चालू कर देंगे विभिन्न योजनाओं में। कह चुका हूं मैं आप को बार-बार।

श्री जगदीप धनखड़ : आपको अधिकार है क्या ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जिसको निर्णय लेने का अधिकार है वे यहां उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान) अधिकार डेलिगेट नहीं किये गये हैं। सामने बैठे हैं वे कह चुके हैं कि अधिकारियों के चंगुल में राज चल रहा है राजनीतिक नियंत्रण कमजोर हो गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जो अभी व्यवस्था दी, उसको सरकार ने, सरकारी पक्ष ने माना है। अकाल के सन्दर्भ में व्यवस्था दी है। अकाल के बारे में सरकार कल जवाब देगी। कल आप भी तैयार होकर आएं और सरकार भी तैयार होकर आए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इसके बारे में ही चर्चा होगी। माननीय सदस्य, इसके बारे में ही चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही भी चालू हो... (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, 15 मिनट, आधा घंटा हाउस एडजोर्न हो जाए ..(व्यवधान) सुनिये आप, पहले आप सुनिये। उस समय का कोई उपयोग नहीं है। जो आधा घंटा या 15 मिनट में चर्चा होनी थी वह चर्चा यहां हो चुकी। सरकार ने अकाल के संदर्भ में वक्तव्य देना स्वीकार कर लिया है। सरकार कल वक्तव्य देगी और उस आधार पर कार्यवाही होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने-अपने स्थानों पर पधारें। (व्यवधान) आप अपने-अपने स्थानों पर तो पधारें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमको वक्तव्य नहीं चाहिए (व्यवधान) हमको कोई वक्तव्य नहीं चाहिए। हम तो यह चाहते हैं कि एक तारीख से ये काम.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान) इस हाउस के संचालन में अकाल मत पड़ने दीजिये, हाउस को चलने दीजिये आप। कृपया आप विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिन कामों को एक तारीख को बन्द किये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि हाउस चले, इस प्रकार की व्यवस्था देने का कष्ट करें। इस प्रकार की व्यवस्था अपने माननीय को दें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप सत्ता पक्ष से कहिए कि लोगों की संकट की स्थिति में मदद करें, निर्णय लें। सत्ता पक्ष से अनुरोध कीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

श्री मोतीलाल। श्री कालूलाल गूजर।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कालूलाल गूजर।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत माननीय पंचायत राज मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति मांडल एवं मांडलगढ़ तथा अन्य पंचायत समितियों में 1988 में प्रशिक्षित अध्यापकों....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ कह रहे हैं। आप शांत रहें।

श्री परसराम मदेरणा : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय फ्रेक्शन आफ ए सैकण्ड स्क्वेंडर अवे नहीं किया जाना चाहिये मेरा यह सिद्धांत है। एक-एक मिनट सदन की कार्यवाही चलती है उस पर लाखों रुपये खर्च होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ध्यान से सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं हमेशा ध्यान से सुनता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी महती कृपा है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और कृतज्ञ भी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, समय जाया हो गया, अनेक बातें कहीं। हाउस में उत्तेजना हो गयी, एक माहौल बना, उस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करने के लिये तो तैयार हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही दबाव में स्थगित नहीं की जा सकती। मुझे ऐसा दिखता है कि आसन भी सरकार की इस अनुचित मांग से दबाव में है। मैं आपकी निष्पक्षता पर

(श्री परसराम मदेरणा)

कोई अंगुली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन 1993 के बाद में मुझे ऐसा करने को मजबूर होना पड़ रहा है और अगर सदन की कार्यवाही और कार्य का संचालन शांति से नहीं हो तो क्या आप बोले, मैंने नहीं सुना और प्रतिपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने भी नहीं सुना .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य । आदरणीय मुख्य सचेतक जी ।

श्री परसराम मदेरणा : चुपके-चुपके, गुपचुप में कोई कार्यवाही, कागज को देखकर, मैं क्या बोलता हूं, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो. ये तमाम चीज कर दो, इस तरह से सदन चलाना है तो यह आपका डिस्क्रिशन है लेकिन ऐसा किया नहीं जाना चाहिये । यह परम्परा बहुत गलत पड़ेगी ।

श्री देवीसिंह भाटी : 80–85 से होता था । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह गहराई से सोचने की बात है, भाटी साहब । आप जैसे विद्वान सलाहकार हैं सरकार के, तो सरकार को भी उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । मैं बहुत लो-प्रोफाइल में बोल रहा हूं और उसमें आप बात करने को तैयार हैं, जैसा कि आपने अभी अपने आखिरी मन्तव्य में बात कही थी लेकिन बात करने को तैयार हैं इस पर उन्होंने राइडर लगाया । प्रतिपक्ष के सदस्य सदन के प्रांगण में आ गये । सिचुएशन को डिफ्यूज करने के बाद में आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं, यह निर्णय कोई एक्जीक्यूटिव या सत्ता पक्ष के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं, यह निर्णय केवल आसन को लेना है और आसन ने अगर एक्स पार्टी और एक तरफा सदन को चलाने के लिये अभिमत बना लिया है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आप यह बता दें कि आप हाउस एडजोर्न क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है ? कोई उद्देश्य भी तो हो सामने । कोई बात तो हो सामने । (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री परसराम मदेरणा : बात क्रिस्टली क्लीयर है, उपाध्यक्ष महोदय, और वह स्पष्टतया यह है कि प्रतिपक्ष की मांग है कि जो कार्य एक जुलाई से बन्द कर दिये गये हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिये उनके काम बन्द नहीं किये जाएं । यह प्रश्न अभी अनुत्तरित है, इसका उत्तर नहीं आया है । बात करने को मैं भी बिलकुल तैयार हूं । अगर इस तरह आसन खुद ही यह निर्णय लेता है अपने विवेक पर, तो मेरा एक दफा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मैम्बर भीखा भाई इस सदन में सबसे ज्यादा आयु के हैं । 83–84 साल की आयु का कोई दूसरा सदस्य नहीं है । डेढ़ साल से लोग भूखे मर रहे हैं और ये भूख हड़ताल पर बैठ गये तो आप सदन के एक सदस्य को फिर भूखा मारेंगे । स्थिति विषम है । मामला बहुत महत्वपूर्ण है । राजस्थान के बेरोजगार और बेकार लोगों की रोजी का प्रश्न है । उनके प्रतिदिन के जीवन-यापन का प्रश्न है । उनके परिवार

(श्री परसराम मदेरणा)

और उनके बच्चों का लालन-पालन और पेट भरने का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, एक आम कहावत चलती है कि सब कुछ सीधे और उलटे धन्धे, परिश्रम और पुरूषार्थ करता है या नहीं करता है, लेकिन पेट पापी है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1973 की बात है, मेरा एक नाती करीब ढाई साल की उम्र का था, मैं जब थर्टिन नम्बर की कोठी में रहता था। वहां ट्यूबवेल था। उसके आस-पास बच्चा घूमते-घूमते चला जाता था। एक दिन मैं उसको लाने के लिये चला गया। मैंने देखा यह बच्चा गिर सकता है। वह देख रहा था कि पानी कितना गहरा है। सिविल लाइन के कई बंगलों में उस कुएं से पानी जाता है। वह वहां पर बैठा रहा। मैंने फिर पी. डब्ल्यू. डी. से कहा कि आप इसकी दो-तीन फीट की दीवार चिनवा दीजिये। वहां मजदूर और कारीगर काम कर रहे थे, वह वहां चला गया, उनको देखता रहा। वे खाना खा रहे थे, रोटी और मिर्ची का खाना। रोटी पर मिर्ची गोल बनाकर खाते हुए उसने उनको देखा। वह सीधा मैस में आया और कटोरदान से रोटी ली और रोटी लेकर गोल बनाकर अपने छोटे से मुद्दे पर बैठकर खाने लगा। उसकी नानी ने पूछा, तू ये क्या कर रहा है, मैंने तेरे लिये चूरमा बना दिया है। उनको उसने पूछा कि आपके पास सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है। उन्होंने कहा, हम गरीब आदमी हैं। उसको नानी ने पूछा, तू यह रोटी क्यों खा रहा है ? उसने कहा, मैं गरीब आदमी हूं। ढाई साल के बच्चे की इतनी वेदना हो सकती है कि मैं गरीब आदमी हूं। रात को मुझे बताया गया कि गरीब को देखकर उसने ऐसा किया। बच्चा भगवान का स्वरूप होता है।

ऐसे लोग हैं जिनको मिर्ची भी नहीं मिल रही है, तो रोटी अगर मिल जाए, भूखा आदमी है तो आप सब्जी की बात कहते हो, उसको रोटी मीठी लगती है। फाइव स्टार के जो भोजन हैं बीस-पच्चीस प्रकार के, उससे भी ज्यादा मीठी लगती है, क्योंकि पेट पापी है। क्वेश्चन लोगों को रोजी देने का है। (व्यवधान) बैठ जाओ पहले। बैंक बेंचर्स की हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़ी रेपुटेशन है। They Seldom speak, when They speak the House listen them in a rapt attention. इसलिये मैं आपको बैंक बैंच पर बिठाता हूं और फिर बोलने के लिये प्रेरित इसलिये करता हूं कि आप बहुत महत्वपूर्ण वक्ता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जो मैंने आपके सामने समाधान का प्रस्ताव रखा है, आपको भी और उप मुख्य मन्त्रीजी को भी उस पर विचार करना चाहिये। आप कह रहे हो कि सदन का टाइम पौने दो घण्टे चला गया। लेकिन अगर हमारी उचित मांग पर गौर नहीं होगा- Where there is a possibility that more time will be squendered away by entring into the futile arguments, this side or that side, such a situation should always be defused by the Ho'n. Speaker. The onus of taking a decision now at this stage when the things have come to such a pass entirely rests with the discretion of the Ho'n. Speaker. I have nothing to say.

श्री हरिशंकर मामड़ा : मैं भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता से भी नीची प्रोफाइल में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी-अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण मांग कर रहे हैं कि एक जुलाई से जो काम बन्द किये गये हैं वे चालू हो जाएं। मैं यह आश्वासन दे चुका हूं और फिर यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एक जुलाई को जिन-जिन जिलों में काम बन्द हो गये हैं या हो रहे हैं उन कामों को पूरा किया जायेगा। अब वह सरकार किस योजना में करती है उससे किसी को मतलब नहीं। लेकिन वे काम पूरे किये जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बहुत ही संजीदा हैं, अत्यन्त अनुभवी आदमी हैं और उनको संसदीय अनुभव हम सबसे ज्यादा है इसलिये मुझे विश्वास है कि वह कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो संसदीय परम्परा के प्रतिकूल हो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके विचार से (व्यवधान) हाउस एडजोर्न करें। किसी तरह की बात करने का कोई मुद्दा बचा नहीं और इसलिए यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे सरकारी काम को पूरा करें, प्रतिपक्ष को सुनें, उनकी वाजिब मांग पर ध्यान दें, उनको बोलने का अवसर दें, परन्तु किसी भी हालत में सरकारी काम-काज नहीं रुकना चाहिए। उपाध्यक्ष का यही बेलेंस है कि आपने उनको ढाई बजे तक बोलने का अवसर दिया और लगभग सारे हाउस के कार्य को स्टाल करने का मौका दिया और अब जो सत्ता पक्ष का बिजनेस है, सरकारी बिजनेस है, उसको भी पारित करवाया. यह कानूनी, संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी अध्यक्ष की है, उसके कर्त्तव्यों में है। आप इस बात को मेरे से ज्यादा समझते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है और प्रतिपक्षी के नेता भी इस बात को समझते हैं कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष में बेलेंस रखें और बेलेंस यही है कि आपकी बात जहां तक और जिस हद तक भी आपने कही हो उसे शान्ति से सुने। हमने भी शान्ति से सुनी। उसका जो उत्तर दे सकते थे, उत्तर दिया। अब बातचीत के लिए कोई मुद्दा नहीं है। केवल यह मोडिलिटी रहती है कि कल हम वक्तव्य देंगे तो किस तरीके से इस पर चर्चा की जाये। वह बाद में भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, वे जब चाहें कर सकते हैं। इसके सिवाय कोई चर्चा का मुद्दा नहीं रहा और इसलिए यह मुद्दा बनाना कि हाउस एडजोर्न किया जाए, मान्यवर, यह संसदीय परम्पराओं में नहीं है। हाउस एडजोर्न करने की परिस्थियां अपने आप बनती हैं। यह मांग नहीं की जाती है कि हाउस एडजोर्न किया जाए। परिस्थितियां बनती हैं, ये बियोण्ड कन्ट्रोल होती हैं। ये अध्यक्ष के कन्ट्रोल में भी नहीं होती, उपाध्यक्ष के कन्ट्रोल में भी नहीं होती, लेकिन वह स्थिति नहीं है। (व्यवधान) यह मांग करेंगे कि हाउस एडजोर्न किया जाए, यह अनुचित है, असम्भव है और परम्पराओं के प्रतिकूल है और मर्यादाओं का हनन है। इसलिए कार्यवाही चालू रखी जाए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह कभी नहीं कहा कि हाउस मत

(श्री खेतसिंह राठौड़)

चलाओ। हमने यह कहा है कि काम चालू करो....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हाउस चले। हम तो चाहते हैं कि हाउस चले। हमने पहले भी यह चाहा है हाउस लगातार चले। आगे भी हमारी मंशा है कि हाउस अच्छी तरह से चले। लेकिन इनसे एक ही मांग है कि एक तारीख से जो काम बंद किये है वे वापस से चालू कर दें, इतना ही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिये हैं, शायद वे यह समझते होंगे कि उन्होंने काफी कोजेंट और कन्विंसिंग रीजन्स दिये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। आप खड़े रहें लेकिन शांत तो रहें।

श्री परसराम मदेरणा : खड़े रहो लेकिन मेरी बात सुनाने दें। कोजेंट और कन्विंसिंग वे समझ रहे होंगे लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार और इस सरकार के उप मुख्य मन्त्रीजी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। उनकी हठधर्मिता के सामने प्रतिपक्ष कभी नतमस्तक नहीं हो सकता। अब निर्णय आसन को करना है। (व्यवधान) (नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से। कृपया सुनें तो सही, मैं क्या कहना चाहता हूं। भीखा भाई जी सुनिये, आप विराजें, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय सदस्यगण, मैं सारे सदन को सम्बोधित कर रहा हूं। मुझे इधर भी देखना पड़ेगा और उधर भी देखना पड़ेगा। यह आसन का कर्त्तव्य है, दोनों तरफ देखना पड़ता है और देखना चाहिए। कृपया सुनिये, मैं अपनी व्यवस्था के अन्दर आंशिक रूप से परिवर्तन करना चाहता हूं। मैं सरकार को यह निर्देश देता हूं कि वह इस सन्दर्भ में आज ही वक्तव्य दे। (व्यवधान) पहले आप पूरा सुनिये, माननीय सदस्य। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मेरी बात तो सुन लें, मुझे कहने का अधिकार है, मुझे निर्णय करने का अधिकार है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय उप मुख्य मन्त्रीजी, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतकजी, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतकजी स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर बातचीत कर लें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार आपके आदेशों की पालना करने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस को चलाने में सहयोग दें, अपने सदस्यों को सम्भालें। (व्यवधान) श्री कालूलाल गूर्जर

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियमित सेवा में लिए जाने बाबत

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

(श्री कालूलाल गूजर)

संबंधी नियम 295 के तहत माननीय पंचायत राज मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति मांडल एवं मांडलगढ़ तथा अन्य पचायत समितियों में सन् 1988 में प्रशिक्षित अध्यापकों के न मिलने के कारण अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति 400 रुपये प्रतिमाह वेतन के आधार पर की तथा उन्हें नौकरी पर रखा। इस प्रकार सन् 1985 से लेकर 1988 तक इन अप्रशिक्षित अध्यापकों ने बराबर अध्यापन कार्य किया। वर्ष भर कार्य करने के बाद ग्रीष्मावकाश के समय हर वर्ष इन अध्यापकों को नौकरी से हटाया जाता और जुलाई माह में इन्हें पुनः नियुक्ति दे दी जाती रही।

सन् 1988 में इनकी सेवाए समाप्त कर नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद ये लोग राजस्थान उच्च न्यायालय में गये वहां से इन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त किया तथा सन् 1992 तक ये लोग निरतर कार्य करते रहे। सन् 1992 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन अप्रशिक्षित अध्यापकों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश को सही माना, परन्तु जो कुछ भुगतान बकाया था उसे उन्हें दिलाने का आदेश दिया और यह आदेश दिया कि सरकार इस प्रकार अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिलाएं। इसकी पालना में राज्य सरसरकार ने उक्त मांडल एवं मांडलगढ़ पंचायत समितियों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिलाया। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे उन अध्यापकों ने राज्य सरकार को पुनः नौकरी में बिना मैरिट के लेने हेतु निवेदन किया और बार-बार चक्कर काट रहे हैं, परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है और न नौकरी पर लगाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि ओवर एज हो जाने के कारण वे मैरिट में स्टेण्ड नहीं करते।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मसला पूर्व में महाविद्यालयों के अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति का था और वे भी ओवर ऐज हो चुके थे, परन्तु सरकार ने उन्हें विशेष रियायत देकर उन सबको नौकरी पर रखा है। इस प्रकार की रियायत इन अध्यापकों को देकर व इनके पूर्व के अध्यापन के अनुभव को देखते हुए बिना मैरिट के इन्हें सेवा में लिये जाने जाने की व्यवस्था कराएं। अतः मैं माननीय पंचायत राज राज्य मन्त्री का ध्यान इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये आकर्षित करना चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर भाटी (बोलने के लिये सीट पर उपस्थित नहीं हुए) श्री उदयलाल आंजना (बोलने के लिये सीट पर उपस्थित नहीं हुए) श्री रघुवीर सिंह मीणा (बोलने के लिये सीट पर उपस्थित नहीं हुए) श्री हीरालाल मीणा (बोलने के लिये सीट पर उपस्थित नहीं हुए) श्री हरिनारायण बैरवा (बोलने के लिये सीट पर उपस्थित नहीं हुए) श्री किशनाराम नाई।

श्री डूंगरगढ़ में अकाल राहत कार्यों के तहत किये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री किशनाराम नाई)

श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में अकाल राहत कार्यक्रमों के तहत निर्माण किये गये जोहड़ों में हुई अनियमितताओं की ओर आपका और इस सदन का ध्यान आर्कषित कर रहा हूं।

श्री डूंगरगढ़ तहसील के अन्तर्गत उदरासर पंचायत के अधीन ग्राम धोलिया, उदासर, जालबसर तथा लाखनसर में वर्ष 1987 में अकाल घोषित था। अकाल राहत कार्यों तथा भिन्न-भिन्न योजनाओं के तहत इस पंचायत के सरपंच ने उक्त गांवों में जोहड़ों का निर्माण कार्य करवाया गया बताया। उक्त चारों में आज उनकी जगह जोहड़ों का निर्माण नहीं है। इस तरीके से इन जोहड़ों में लाखों रुपयों की राशि खर्च हुई बतायी गयी है, वह राशि सरपंच द्वारा उक्त निर्धारित उद्देश्यों हेतु खर्च नहीं की तथा पूरी राशि सरपंच द्वारा हड़प कर ली गयी। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री परसराम मदेरणा : I warn you... (interruptions).... It would be a dooms day in the parliamentary history of this House.

श्री किशनाराम नाई : इस वर्ष में मेरे क्षेत्र में डी. डी. पी योजना के तहत जो जोहड़े जोदासर पंचायत का डालवाणी व मालवाणी में दो जोहड़े जोदासर सरपंच द्वारा बनाये गये हैं। उनमें न तो नियमानुसार कोई मैटीरियल तथा न ही मजदूरी लगायी गयी है और लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। इस तरह इनपालसर बास तथा इनपालसर बाल सांखलन के सरपंच द्वारा बनाये गये जोहड़ों का कार्य अपने निजी ट्रैक्टर से तथा अन्य कार्य निजी स्तर पर किये, जिनमें मिट्टी व कच्चे घाघला व इंटों से चिनाई की गयी और नियमानुसार कोई मैटीरियल नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार श्री डूंगरगढ़ तहसील की उपणी पंचायत का जोहड़ा बनाया गया था, वहां भी कार्य नियमानुसार नहीं किये गये। इसी प्रकार का और उदाहरण इसी तहसील में दुसाहरणा पंचायत में जो जोहड़े बन रहे हैं उन्हीं में भी न तो नियमानुसार ईंटें तथा सीमेन्ट व कच्ची मिट्टी से तैयार करवाये जा रहे हैं।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से आग्रह है, कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये इन प्रकरणों की जांच किसी जिला अधिकारी व जन प्रतिनिधियों की समिति से जिनमें तकनीकी का ज्ञान हो, करवायी जाये तो सरकार के लाखों रुपयों का घोटाला प्रकाश में आएगा तथा भविष्य में इस प्रकार के घोटालों पर प्रतिबन्ध भी लगेगा और सरकारी धन का सदुपयोग भी होगा। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आसन के सम्मुख नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर।

केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने बाबत

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

के तहत माननीय मुख्य मन्त्री महोदय एवं माननीय विधि राज्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सृजन हेतु मेरा निम्न निवेदन है :—

(1) यह कि अब तक हर माह के वित्तीय सप्ताह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 अजमेर का कैम्प कोर्ट का आयोजन केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर आपके निर्देशानुसार लगभग 8 वर्ष से होता चला आ रहा है तथा इससे केकड़ी उपखण्ड की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने में कुछ राहत मिली है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आसन के सम्मुख नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : मार्शल सदन में आएं। (व्यवधान)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : (2) वर्तमान में केकड़ी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमों की संख्या काफी अधिक है तथा केकड़ी उपखण्ड अजमेर जिले के अन्य उपखण्डों की तुलना में सबसे दूर स्थित है एवं इस क्षेत्र में अधिकतर गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुतायत है जो अर्थव्यवस्था पर न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

(3) यह कि राजस्थान उच्च न्यायालय को उक्त स्थिति की पूर्ण जानकारी रही है तथा इसी कारण उनकी ओर से केकड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के सृजन हेतु सहमति पत्र संख्या सामान्य/11/34/81/1034 दिनांक 4-8-92 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की गयी है।

(4) यह कि उप शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा श्रीमान् रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को अपने पत्र क्रमांक एफ 2 (11) न्याय/86 दिनांक 20-5-94 द्वारा केकड़ी में ए.डी.जे. न्यायालय स्थापना सम्बन्धी प्रकरण आगामी बी. एफ. सी. की मीटिंग में प्रस्तुत कर न्यायालय स्वीकृत कराने हेतु लिखा है।

(5) यह कि उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार एवं उच्च न्यायालय स्थापित करने हेतु सहमत हैं।

अतः आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं के आधार पर केकड़ी उपखण्ड की गरीब जनता को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर ए. डी. जे. का स्थानीय न्यायालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमल।

हिण्डौन में चल रहे अवैध वाहनों पर रोक

श्री कमल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हिण्डौन में चल रहे अवैध वाहनों के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से हिण्डौन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किये जा रहे वाहनों की संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। इन वाहनों को रोकने वाला आज कोई नहीं है। हिण्डौन से लगभग 200 बसें तथा 300 जीपें अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। एक तरफ ऐसे वाहन जहां पर राजस्थान रोडवेज को भारी

(श्री कमल)

नुकसान पहुंचाने का कारण बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन पर किसी का नियन्त्रण न होने की वजह से क्षमता से बहुत अधिक मात्रा में सवारियां बिठाकर तेज गति से चलने के कारण रोजाना नयी-नयी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये वाहन यात्री-कर की भी भारी मात्रा में चोरी कर रहे हैं। ये वाहन अधिकतर हिण्डौन से करौली, गंगापुर, नादौती, टोडाभीम, भरतपुर तथा महुआ, जयपुर मार्गों पर चलाये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौन क्षेत्र में चल रहे अवैध वाहनों को रोकने में वहां का पुलिस प्रशासन बिलकुल ही नाकाम रहा है। क्षेत्र में तैनात थानेदार तथा पुलिस उप अधीक्षक इन अवैध वाहनों को रोकने का प्रयास करने के बजाय इनके मालिकों से बड़ी-बड़ी महावारी की रकमें लेकर इनको बेरोकटोक चलने में सहयोग दे रहे हैं, जिससे उक्त अधिकारियों की प्रतिमाह आमदनी लाखों रुपये में हो रही है। यदि ऐसा नहीं होता, तो इनके चलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब कभी कोई जांच अधिकारी के हाथ में वाहन लगते हैं तो ये ही पुलिस अधिकारी इन्हें छुड़ाने में सहयोग करते रहे हैं। अतः महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से ऐसे वाहनों पर पूर्ण रोक लगाने का अनुरोध है, जिससे क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों पर रोक लग सकें। धन्यवाद। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन आसन के रूप में सम्मुख नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

लाल कोठी सब्जी मण्डी, जयपुर में छायादार प्लेट फार्म का निर्माण

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की मुख्य फल सब्जी मण्डी यार्ड (लाल कोठी) में छायादार प्लेट फार्म के अभाव से किसानों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में निवेदन है कि जयपुर की मुख्य फल-सब्जी मण्डी जहां हमारे जिले झालावाड़ से प्रति वर्ष सैकड़ों ट्रक संतरों के बिकने आते हैं, 400–500 किलो मीटर दूर से किसान अपनी संतरों की फसलें लेकर इतनी दूर जयपुर इस आशा में आता है कि मेरी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन संतरों की मण्डी में क्या दुर्गति होती है। छायादार प्लेट फार्म नहीं होने से संतरों को सड़क पर खाली किया जाता है जहां संतरा दिन भर धूप में तपता रहता है और सारा संतरा लूज हो जाता है. जिसके वांछित दाम किसानों को नहीं मिल पाते है। उपाध्यक्षजी इसी तरह अन्य फल एवं सब्जियां जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं इसी प्रकार की दुर्गति के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से किसान को सीधा आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन उपाध्यक्षजी, मण्डी समिति प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और किसानों के आर्थिक नुकसान की कोई परवाह नहीं है, जबकि इन्हीं किसानों से फल-सब्जी के माध्यम से मण्डी प्रशासन करोड़ों रुपये शुल्क के रूप में वसूल कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान मण्डी के पूर्व की ओर काफी लम्बी-चौड़ी जमीन पड़ी हुयी है। मण्डी समिति क्यों नहीं इसमें छायादार प्लेट फार्म बनाती ताकि

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

किसानों को सुविधा उपलब्ध हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, सुबह 9 बजे बाद गोपालपुरा मोड़ से ट्रकों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जो ट्रक 400-500 किलोमीटर दूर से चलकर आते हैं कभी लेट भी हो सकते हैं और जब 9 बजे बाद उन्हें मण्डी में नहीं जाने दिया जाता तो ऐसी अवस्था में उनके फल दिन भर धूप में सिकते रहते हैं, फल खराब हो जाते हैं। अतः उपाध्यक्षजी, इस रुकावट को भी तुरन्त प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। गोपालपुरा मोड़ से मण्डी एक किलोमीटर दूर है और पूरे रोड पर डिवाइडर बना हुआ है। ट्रेफिक में कोई परेशानी नही आती। फल-सब्जी के ट्रकों पर इस तरह पूरे भारत वर्ष में कहीं भी रोक नहीं लगायी जाती, क्योंकि यह फसल धूप में पड़ी रहने से खराब हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त दोनों परेशानियों की वजह से मेरे क्षेत्र के किसानों में काफी रोष है। उक्त दोनों समस्याओं के रहते किसान अपना माल जयपुर एक मण्डी में लाने के इच्छुक नहीं हैं। अतः आपके माध्यम से कृषि मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि मण्डी प्रशासन को आदेशित कर किसानों की उपज फल-सब्जी की बिक्री हेतु छायादार प्लेट फार्म बनाये जाएं तथा जयपुर कलक्टर द्वारा लगायी गयी रोक गोपालपुरा मोड़ से 9 बजे बाद प्रवेश वर्जित की, भी हटायी जाए। धन्यवाद।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

उदयपुर की कोटड़ा तहसील मुख्यालय व दूर-दराज के पंचायत एवं एस. डी. एम. मुख्यालय को परिवहन निगम की बसों से जोड़ना

(1) जिला उदयपुर की कोटड़ा तहसील मुख्यालय व दूर-दराज के पंचायत मुख्यालयों को जिला मुख्यालय एवं एस.डी.एम. मुख्यालय को परिवहन निगम की बसों से जोड़ने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्तान्तरित याचिका,

आबू रोड़, स्वरूपगंज से कोटड़ा तहसील मुख्यालय हेतु परिवहन निगम की सीधी व नियमित बसों का संचालन

(2) आबू रोड, स्वरूपगंज से कोटड़ा तहसील मुख्यालय एवं उदयपुर जिला मुख्यालय हेतु परिवहन निगम की सीधी व नियमित बसों का संचालन करने बाबत, आठ व्यक्तियों द्वारा हस्तान्तरित याचिका,

उदयपुर की पंचायत समिति कोटड़ा में वर्षा के अधिक पानी के प्रस्तावित विभिन्न बांध बनाकर रोकना

(3) जिला उदयपुर की पंचायत समिति कोटड़ा में वर्षा के अधिक पानी को प्रस्तावित विभिन्न बांध बना कर रोकने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्तान्तरित याचिका।

शासकीय वक्तव्य

रामगंज बाजार जयपुर में नगर निगम द्वारा फोगिंग किए जाने से फैली बीमारी से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य। जयपुर के रामगंज बाजार क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कथित फोगिंग के फलस्वरूप फैली बीमारी और तत्सन्दर्भ में समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री वक्तव्य देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 11 6.96 को दोपहर में राजकीय चिकित्सालय, तोपखाना हजूरी के चिकित्सकों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया कि चौकड़ी तोपखाना में बड़ी संख्या में लोग श्वास रोग से पीड़ित हो गये हैं। उसी दिन सायं 4 बजे नवीन विकास समिति ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसी आशय का पत्र भी दिया तथा यह भी कहा कि श्वांस सम्बन्धी रोग 8-6-1996 को नगर निगम द्वारा छिड़की गयी कीटनाशक दवाइयों के कारण हुआ है। चिकित्सा विभाग ने उसी दिन 11-6-96 को ही तीन अस्थायी चिकित्सा शिविर क्रमशः राजकीय चिकित्सालय तोपखाना हजूरी, इमाम चौक व मुस्लिम गर्ल्स स्कूल में स्थापित किये, जहां ? चिकित्सा दलों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था 24 घण्टे उपलब्ध करवाई जाने लगी तथा गम्भीर रोगियों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय में रेफर किये जाने हेतु रोगी वाहन की भी 24 घण्टे व्यवस्था की गयी। दिनांक 11-6-96 से 16-6-96 तक इन चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था का निरीक्षण लगातार स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव व निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता रहा। बीमारी अचानक क्यों फैली, फैलने के कारण व इसके तत्कालिक व सही उपचार हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय चिकित्सकों की एक समिति प्रो. एस. सी. माथुर, प्रो. यू. एस. माथुर, प्रो. जे. पी. ऋषि व डा. वीरेन्द्र सिंह की दिनांक 12-6-1996 को बनाई गयी समिति ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के एक्स-रे, खून की जांच, लंग फंगशन टेस्ट, ब्रोन्कोस्कोपी, सिटी स्केन करवाकर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह बीमारी इन्टरस्टीशियल लंग डिजिज, यानी ब्रोन्को नमोनिया है। जो इन्फेक्शन या एलर्जी या दूषित पर्यावरण से होती है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गये लाइन आफ ट्रीटमेंट के अन्तर्गत चिकित्सा शिविरों व सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती सभी मरीजों के निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था तत्काल प्रारम्भ कर दी गयी।

तोपखाना हजूरी क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से काफी घना क्षेत्र है। अधिकांश व्यक्ति नगीनों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अतः उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थों व पेयजल के मानक होने की जांच हेतु नमूने लिए गये :

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

	नमूनों की संख्या	परीक्षण नमूने	अप-मिश्रित नमूने
1. खाद्य पदार्थ	13	13	4/13
2. पानी	15	15	6/15
	28	28	10/28

खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण का केस बनाकर चालान किया जा रहा है। पानी की शुद्धता बनाए रखने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व नगर निगम को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेबल डिवीजन के विशेषज्ञों का दल दिनांक 13-6-96 को जयपुर आया तथा पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया व बीमार व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ की। दल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को 14-6-96 को प्रस्तुत कर दी है, जो राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग को प्रेषित कर दी गयी है।

राज्य सरकार ने फोगिंग किये गये पदार्थ के नमूनों व उसके मिश्रण का जांच नमूना भी जांच हेतु प्रेषित किया।

प्रभावित क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो या नहीं, इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा वायु के नमूने लिए गये। जांच में प्रभावित क्षेत्र के वायु के नमूनों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रदूषण नहीं पाया गया।

राज्य सरकार ने मरीजों के उपचार हेतु देश के प्रसिद्ध श्वांस रोग विशेषज्ञ डा. एस. आर. कामथ को बुलाया। डॉ कामथ ने क्षेत्र का दौरा व मरीजों की देखभाल के पश्चात् पूर्व में किये जा रहे इलाज को सही पाया। डॉ. कामथ ने बीमारी फैलने के क्या कारण रहे, इसकी एक अन्तरिम रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंपी है, जो न्यायिक जांच आयोग को प्रेषित कर दी गयी है।

अब तक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जे. के. लोन चिकित्सालय, सैटेलाइट चिकित्सालय, सेठी कालोनी चिकित्सालय, कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर चिकित्सालय व बनीपार्क चिकित्सालय तथा चिकित्सा शिविरों में आए चिकित्सकों की संख्या इस प्रकार है :—

चिकित्सा शिविरों में आये मरीजों की संख्या 11 जून से 25 जून, 1996 तक 9927, एलर्जी ब्रोन्कोइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या 923, 10-6-1996 से 25-6-96 तक चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की संख्या 249, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 161, जे. के. लोन चिकित्सालय में 19, जयपुरिया चिकित्सालय में 39, सैटेलाइट सेठी कालोनी में 27, कांवटिया चिकित्सालय में 3, बनीपार्क में 0, इस प्रकार कुल 249 है। इस बीमारी से अभी तक एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप। कृपया विराजें। आप विराजें तो सही... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके पास

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई काम नहीं है । अनावश्यक रूप से.... (व्यवधान) + + + (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : सामुदायिक विकास राज्य मंत्री मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे । (व्यवधान) मार्शल को बुलाया जाए ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,66,28,82,000/- (एक अरब, छियासठ करोड़, अट्ठाइस लाख बियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41-मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय —

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

1. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं की चार दिवारी जहां नहीं बनी हुई है वहां पर शीघ्र निर्माण कार्य कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

2. बूंदी विधान सभा क्षेत्र में पंचायत भवनों, प्राथमिक शालाओं के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा न कराये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

3. धौलपुर जिले की पंचायत समिति एवं धौलपुर में प्राइमरी स्कूलों को भवन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

4. जिला परिषद् धौलपुर द्वारा पंचायत समिति धौलपुर के कर्मचारियों के अनियमित तरीके से स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण चौधरी (मालाखेड़ा)

5. ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)

6. पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

7. पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी एवं सचिव के पदों पर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

8. पंचायत समितियों में आर. ए. एस. विकास अधिकारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. पंचायत समिति खैरवाड़ा के सभी राजस्व गांवों में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. पंचायत समिति में कार्यरत अध्यापकों में से वांछित योग्यता रखने वाले अध्यापकों को शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

11. पंचायत समिति के सदस्यों को अधिक अधिकार देने व गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों के सही चयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मगराज चौधरी (आहोर)

13. जालौर जिले की आहोर तहसील में नई प्राथमिक शालाएं एवं कन्या प्राथमिक शालाएं स्वीकृत कर चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

14. राजस्थान में पंचायती राज को सशक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)

15 पंचायत समिति सांचौर जिला जालौर में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

16. महिला प्रधानों की पंचायत समितियों में महिला विकास अधिकारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

17. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था सुचारु रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

18. राजनैतिक दलों के चुनाव चिह्न पर पंचायत चुनाव करवाने से फैली हिंसा एवं पंचायतों में विकास कार्य में आई बाधा पर चर्चा के लिये।

19. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों में तालमेल के अभाव से हो रही अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

20. पंचायत राज व्यवस्था में खाली पद होने के कारण जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के कार्य में आ रही कठिनाई की स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. पंचायत भूमि पर अतिक्रमण तथा पंचायत राज की न्याय व्यवस्था भंग होने तथा प्रशासन के सहयोग के अभाव में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

22. सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद की बैठकों में पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति नहीं होने के कारण समस्याओं के समाधान में आई बाधा पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

23. विधान सभा क्षेत्र फागी की प्राथमिक पाठशाला के अधूरे कार्य पूरे नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

24. ग्राम पंचायतों में पदेन सचिव, ग्राम सेवकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. राज्य सरकार पंचायत राज संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

26. केशवरायपाटन (बून्दी) पंचायत समिति की जीप गत दो माह से खराब होने एवं विकास अधिकारी द्वारा जानबूझकर ठीक न कराने से विकास कार्यों में हो रही बाधा के बावजूद भी दी जा रही सहायता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. केशवरायपाटन (बून्दी) पंचायत समिति की विशालता एवं जन संख्या को मद्दे नजर रखते हुए लाखेरी नई पंचायत समिति बनाने एवं उतराणा पंचायत को विभाजित कर उगारिया एवं उतराणा दो पंचायतें न बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. केशवरायपाटन (बून्दी) पंचायत समिति क्षेत्र के छावछ, छोडेदा, ढीमली खेड़िया-मानू, पाली, बसवाड़ा, खेड़ली देव जी, ढीकोणी खेड़ली बन्धा, डोलर बीरज, दोताना, भीन्डो, इशरदा, लक्ष्मीपुरा आदि गांवों में आवागमन के रास्ते नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. केशवरायपाटन (बून्दी) पंचायत समिति क्षेत्र में ग्रुप सचिवों की कमी एवं लापरवाही, उदासीनता से विकास कार्यों में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. पंचायत समिति केशवरायपाटन (बून्दी) की ग्राम सभाओं में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जिले के जिम्मेदार प्रतिनिधियों के भाग न लेने से जनता की समस्याओं का समाधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

31. सामुदायिक विकास की योजनाओं में जनसहभागिता की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

32. पंचायत समिति धोद में विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अध्यापकों के पद रिक्त होने एवं अध्यापकों की नियुक्ति छात्रों की संख्या के आधार पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निदेशकों के अधिकारों की घोषणा नहीं करने एवं पंचायत अधिनियम, 1994 के अनुसार नियम एवं उपनियम नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. प्राथमिक विद्यालय सामोलाई बालाजी भड़कासली के स्थान पर कायला बालाजी भड़कासली स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. सरपंच–ग्राम पंचायत भढाढर, पंचायत समिति धोद, सीकर को अनियमितताओं के बाद भी उचित कार्यवाही कर पद से नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. धोद पंचायत समिति कार्यालय का निर्माण एवं मुख्यालय धोद नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर कार्यालय के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

37. ग्राम पंचायत हमीरवास तहसील राजगढ़ में नियम विरुद्ध सचिव की नियुक्ति करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. ग्राम पंचायत राम सराताल पंचायत समिति राजगढ़ के सरपंच द्वारा ग्राम की चरागाह भूमि पर स्कूल की चार दीवारी निकाल कर किये गये अतिक्रमण से ग्रामवासियों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. पंचायत समिति राजगढ़ द्वारा तहसील के नागरिकों से राशन कार्ड बनाने के 35 रुपये लिये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

40. ग्राम पंचायत सीधमुख व पंचायत समिति राजगढ़ की पंचायत की अलाट की हुई भूमि से प्राप्त रकम उप सरपंच एवं सरपंच द्वारा काश्त कर पंचायत कोष में जमा नहीं करवाये जाने के कारण राज कोष को हो रही राजस्व हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में लगभग पिछले 1½ साल से विकास अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़)

42. नई पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

43 राज्य में पंचायत समिति के अधीन स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. राज्य में पंचायतों में ग्राम सेवकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)

45. ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए जन प्रतिनिधियों को अधिक अधिकार दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. श्रीमाधोपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही अनियमितताओं व भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

48. ग्राम पंचायत अजान के सचिव श्री अमरचन्द द्वारा ग्राम पंचायत अजान के काम काज में अवरोध उत्पन्न करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. जिला परिषद भरतपुर द्वारा जिले की पंचायत समितियों को उनके प्रशासनिक अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए आदेश देकर अनाधिकृत कृत्य कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. पंचायत समिति, जिला परिषद व ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के गठन, इनके मध्य विकास कार्यों में तालमेल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

52. वायद में सामुदायिक भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. पंचायत समिति, पाली एवं पंचायत समिति, रोहट में रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. आंटण गांव में सामुदायिक भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. पांचपदरिया भीलों की ढांणी में सामुदायिक भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

56 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत जिला आयोजना समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

57. ग्राम पंचायत अरणिया, पंचायत समिति निवाई का मुख्यालय ग्राम अरणिया से हटाकर ग्राम चुराडा को घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

58. ढाणी बैरवान किवाड़ा, कोठ्या वाली ढाणी, चैनपुरा, मोतीपुरा, नारेड़ा की ढाणी, मांगापुरा की ढाणी, आमानेरा की ढाणी, ढाणी बैरवान ग्राम मुरटया बणजारों की ढाणी खिड़जी, बैरवान का ढाल पहाड़ी भूखा की ढाणी, ढाणी बैरवान जगसरा महासिंहपुरा मजूकड़ा व विजयपुरा पर प्राथमिक शाला नहीं खोलने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

59. पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार दिये जाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

60. पंचायत समिति, पाली एवं पंचायत समिति, रोहट के सभा भवनों का जीर्णोद्धार करवाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन)

61. हिण्डौन पंचायत समिति में विकास अधिकारी, प्रधान, कनिष्ठ अभियन्ता तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

62. पंचायत समितियों के द्वारा कराये जा रहे निर्माण के लिये अलग से तकनीकी उपखण्ड सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. पंचायत निकायों में महिलाओं के आरक्षण के कारण चुनकर आई महिलाओं के अधिकारों के हनन को रोकथाम किये जाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. सरपंचों व उनके एजेन्टों द्वारा डी.आर. डी.ए. के अधिकारियों, कर्मचारियों को भारी कमीशन राशि देकर कार्य स्वीकृत कराने की स्थिति में विभाग द्वारा रोक लगाने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. पंचायत समिति हिण्डौन में कराये जा रहे घटिया निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

66. रेलमगरा तहसील के पंचायत मुख्यालय मेहन्दुरिया में पंचायत भवन निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

67. अनुसूचित जाति, जन जाति एवं छोटे किसानों के कृषि कुओं को गहरा कराने हेतु 50 प्रतिशत सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सरकारी विभागों के कर्मचारियों के कार्यालयों,

(श्री महावीर भगोरा)

निवासों व संस्थाओं हेतु भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. पंचायत मुख्यालय से पंचायत क्षेत्र में सम्पूर्ण ग्रामों व कस्बों, ढ़ाणियों में सम्पर्क हेतु सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधाओं जैसे– शुद्ध पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, पशुओं हेतु चरागाह, वन विकास आदि विकसित किये जाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वर्ष पर्यन्त रोजगार दिलाने हेतु छोटे-छोटे दस्तकारी, उद्योग, कृषि कार्यों आधारित लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विभाग के पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

72. ग्राम पंचायत आसोटा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर द्वारा पंचायत क्षेत्र के बाहर अनियमित रूप से नगरपालिका लाडनूं के क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जाने पर चर्चा के लिये।

73. राजस्थान विकास सेवा का गठन नहीं करके विकास अधिकारियों के पदों पर कनिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. शिक्षा प्रसार अधिकारियों को अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर रखने तथा शिक्षा विभाग को वापिस नहीं लौटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. पंचायत राज अधिनियम बनने के इतने अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा नियम नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. जिला स्थापना समिति नागौर द्वारा अध्यापकों के चयन व पंचायत समितियों में अध्यापकों को लगाने में की गयी अनियमितताओं के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)

77. पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक व अध्यापकों को पंचायतों का चार्ज देने व पंचायत समितियों से पुराने विकास अधि–कारी हटाकर नए विकास अधिकारी लगाने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 6–7 वर्ष पुराने निर्माण कार्य की बिगड़ती हुयी स्थिति के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सामु–दायिक केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)

80. राजस्थान विकास सेवा के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. कोटा जिले में अयानी ग्राम पंचायत में एक वर्ष में 8 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ग्रामीण विकास के कागजातों की फोटोकापी नागरिकों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

83. पंचायत समिति महुआ द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सरपंचों से लिये जा रहे कमीशन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. सामुदायिक विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण कार्य कतिपय स्वयं सेवी संस्थाओं से करवाये जाने में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

85. पंचायत समिति, महुआ द्वारा पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण राजनैतिक आधार पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के प्रतिनिधियों का पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिये दिये जाने वाले डी. ए. की राशि में बढ़ोतरी किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

87. डूंगरपुर जिले में सामुदायिक विकास के अधूरे कार्यों एवं समय पर स्वीकृतियां नहीं होने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

88. पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाड़ा) की ग्राम पंचायत कोचरीया के सरपंच द्वारा अकाल राहत कार्यों पर की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. ग्राम पंचायत कोचरीया पंचायत समिति सुवाणा भीलवाड़ा के ग्राम सेवक द्वारा किये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता करने एवं आदेश की अवहेलना कर दूसरे ग्राम सेवक को चार्ज नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. ग्राम पंचायत कोचरीया तहसील भीलवाड़ा के सरपंच द्वारा कराये गये उच्च प्राथमिक शाला भवन एवं मंडपीया एप्रोच रोड तथा सुन्दरपुरा कोचरीया रास्ते के कार्यों में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. सुवाणा पंचायत समिति भीलवाड़ा के पूर्व सरपंच लक्ष्मणसिंह ग्राम पंचायत सेथुरीया, भैरूलाल गूजर पंचायत गुन्दली, मोहनलाल पंचायत रामपुरीया

(श्री कालूलाल गूजर)

के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार करने एवं अनियमितताएं करने पर दोषी मानकर सरकार द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी परन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर भी चर्चा के लिये ।

92. ग्राम पंचायतों को समय पर हैण्डपम्प ठीक करने के लिए आवश्यक उपकरण सप्लाई नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

93. पंचायतों को और अधिक अधिकार व अधिक राशि विकास कार्यों के लिये देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. जवाजा पंचायत समिति में जीप दिलाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. मसूदा विधान सभा क्षेत्र के राजस्व गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)

96. ग्राम पंचायत आमजी की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

97. ग्राम पंचायत हमीरगढ़ में अकाल राहत कार्य को पूर्ण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

98. ग्राम पंचायत आजाडीया के अकाल राहत कार्य में अनियमितता के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

99. पंचायतों में बढ़ते भ्रष्टाचार, घोटालों पर संरक्षण होने से कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

100. डूंगरपुर जिले में सामुदायिक विकास कार्य कराये जाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर)

101. रेवदर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति द्वारा बनाए जा रहे बारह उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण एवं नींवों में घटिया सामग्री काम में लिए जाने पर रोक हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)
श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर)

102. जालौर एवं सिरोही जिलों में पंचायत समितियों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

103. पंचायत समिति बीकानेर का विभाजन करके नई पंचायत समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

104. जोधपुर जिले में ग्राम पंचायतों में नियुक्त ग्राम सेवकों को एक पंचायत

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

से ज्यादा पंचायतों का चार्ज दिये जाने से हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

105. जोधपुर जिले की प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति एवं कमी पूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

106. ग्राम पंचायत रामड़ावास कलां (भोपालगढ़) जोधपुर में दस वर्षों से हुए निर्माण कार्य जो कि पूरे नहीं हुए उनका भुगतान किये जाने पर भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

107. जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के विरुद्ध प्राप्त पृथक-पृथक शिकायतों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर)

108. राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक विकास बजट का उपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

109. भरतपुर जिले के नगर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन के निर्माण कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

110. नगर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक विकास के तहत धर्मशाला सैकण्डरी स्कूल, सीनियर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा लिये ।

श्री मदनमोहन (खैरथल)

111. विधान सभा क्षेत्र खैरथल में सामुदायिक विकास के तहत धर्मशालाओं एवं स्कूलों में कमरा निर्माण हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

112. अलवर जिले के खैरथल विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. इस विभाग के अन्तर्गत मेवात विकास बोर्ड में पंचायत समिति कोटकासिम को शामिल कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

114 विभाग में फैली भारी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतराम (मालपुरा)

115. डिग्गी पंचायत मालपुरा क्षेत्र में अम्बेडकर भवन बनवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

116. मालपुरा क्षेत्र में धर्मशालाओं, स्कूलों के भवन निर्माण कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

117. सामुदायिक विकास के माध्यम से टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र के बजट का सदुपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

118. राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थायी सचिव लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मान्डाहेड़ा में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम सहसपुरा में प्राथमिक विद्यालय भवन की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. जिला परिषद दौसा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा सरपंचों व सचिवों को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि प्रथम वित्त राज्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

123. सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं पर पुनः विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. सामुदायिक विकास के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों तथा योजनाओं पर खर्च होने वाली धनराशि के दुरूपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. पंचायत, राज संस्थायें, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों को दिये जाने वाले भत्तों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. ग्राम पंचायतों में कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों को लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. अन्य कर्मचारियों के मुकाबले ग्राम सेवकों के वेतनमान तथा भत्तों में असंगतियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. शंकर मानुदा (कपासन)

128. कपासन विधान सभा क्षेत्र को आई.सी.डी.एस. स्कीम तथा आश्वासित रोजगार योजना में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

129. पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को अधिकार न देने से विकास कार्यों में आ रही बाधा पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

130. पुराने शाला भवन, पुराने पंचायत भवन या ग्राम पंचायत की अन्य पुरानी सम्पत्ति के रख–रखाव व मरम्मत के लिये विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में प्रतिवर्ष विकास के लिये अतिरिक्त राशि 20 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना या निर्बंध निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कराये जाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

132. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में डार्क जोन होने से इस क्षेत्र में अन्य कोई सामुदायिक विकास योजनाएं स्वीकृत कराये जाने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधायकों की स्वीकृति से खर्च होने वाली निर्बंध निधि की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र पिण्डावा की पंचायत समिति सुनेल में लगभग 8-10 लिपिकों के पद रिक्त होने से विकास कार्यों में बाधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

135. बून्दी जिले के ग्राम अर्जुनपुरा–फटुकड़ा के मध्य में ग्राम पंचायत खजूरी द्वारा निर्मित अपूर्ण पुलिया को पूर्ण करवाने के लिये विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. प्राथमिक पाठशाला रामपुरिया (गम्भीरा) तहसील नैनवां को आबटित भूमि पर पंचायत सचिव द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. ग्राम पंचायत बड़गांव तहसील हिन्डोली की चारागाह भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. प्राथमिक पाठशाला भवन खानपुरा (ग्राम पंचायत गागरोन) जिला झालावाड़ा के जर्जर पाठशाला भवन की मरम्मत कराने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. बून्दी जिले के प्राथमिक पाठशाला भवन केदारा की झोपड़ियां (आंतरदा), खूरी, शोदानपुरा, सुन्थली में पर्याप्त कमरे बनाये जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकका पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

140. सूरजगढ़ (झुन्झुनूं) निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत समितियों में रिक्त पड़े ग्राम सेवकों के पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा)

141. विभिन्न योजना के अन्तर्गत टोंक में लगे हुए श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

142. टोंक में निर्बन्ध राशि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से, स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

143. जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति के सदस्यों को आवश्यक अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

144. ग्राम पंचायत ऊदेई खुर्द (गंगापुर) द्वारा गऊ कुण्ड एवं कारेड़ा तलाई के निर्माण कार्य की ग्रामवासियों द्वारा शिकायत करने के पश्चात् भी आज तक जांच नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं आज तक विभिन्न विशिष्ट योजनाएं एवं सांसद कोटे में आवंटित निर्माण कार्यों को गंगापुर पंचायत समिति द्वारा पूर्ण नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

146. ग्रामों के विकास हेतु विभिन्न विशिष्ट योजनाओं में ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों, जो कि सरपंचों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, को समय पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर को पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41—सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,66,28,82,000/- (एक अरब छियासठ करोड़, अट्ठाइस लाख, बियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 1996 मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.55 बजे, मंगलवार, 16 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 518 की प्रति

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ 63 (72) खा. वि./कैरो./92 जयपुर, दिनांक 24-11-92

आदेश

भारत सरकार द्वारा राजस्थान को आवंटित कैरोसीन का मुख्यालय से जिले-वार आवंटन किया जाता है ।

राजस्थान में कैरोसीन वितरण हेतु दो प्रकार के रिटेलर हैं :—

1. राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के तहत लाइसेन्स शुद्धा रिटेलर ।
2. उचित मूल्य की दुकानों वाले रिटेलर ।

इन रिटेलर्स में से क्रम संख्या 2 की दुकानों से कैरोसीन तेल राशन कार्डों के माध्यम से वितरित किया जाता है, किन्तु क्रम संख्या 1 के रिटेलर्स पर ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है जिसकी वजह से इनके द्वारा वितरित होने वाले तेल में दुरूपयोग की सम्भावनायें रहती हैं ।

इस प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिये समय–समय पर मुख्यालय स्तर से दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं । इन दिशा–निर्देशों के अनुसार कैरोसीन तेल का उपभोक्ताओं को सही वितरण हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व जिला कलक्टर (रसद) को सौंपा हुआ है, जो अपने-अपने जिलों की परिस्थितियों, आवश्यकता, स्थानीय मेले/प्रदर्शनीय इत्यादि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर निर्देश प्रसारित कर इसका समुचित वितरण सुनिश्चित करते हैं । इसके बावजूद भी कैरोसीन के डीजल में मिलावट करने कालाबाजारी करने व घरेलू उपभोग के कैरोसीन के उद्योगों में काम में लिये जाने जैसी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । अतः राजस्थान में इसके वितरण में एकरूपता लाने हेतु निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार वितरण व्यवस्था करें :—

1. समस्त कैरोसीन खुदरा विक्रेता प्रत्येक जिले में जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी सूची के अनुसार अधिकृत उचित मूल्य के दुकान के राशन कार्डधारियों को ही राशन कार्ड पर कैरोसीन निर्धारित मात्रा में वितरण करेगा ।

2. केरोसीन खुदरा विक्रेता अपनी दुकान से केरोसीन लेने वाले उपभोक्ताओं का यूनिट रजिस्टर तैयार करेगा और राशन कार्डों पर अपनी दुकान की छाप लगायेगा तथा छाप के आगे यूनिट रजिस्टर का नम्बर दर्ज करेगा। यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को राशन कार्ड पर केरोसीन नहीं देगा। यूनिट रजिस्टर में निम्न पेशानी में रहेगा :—

क्र. सं.	राशन कार्ड नं.	खाता सं.	उचित मूल्य दुकान क्षेत्र	राशन कार्डधारी का नाम व पूर्ण पता	यूनिट संख्या
1	2	3	4	5	6

3. केरोसीन खुदरा विक्रेता पर अपनी दुकान का नाम, पता एवं मूल्य एवं अन्य प्रदर्शन के साथ ही जिस वार्ड/उचित मूल्य की दुकान के उपभोक्ताओं को केरोसीन देने हेतु अधिकृत किया गया है, का स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शन करेगा।

4. केरोसीन खुदरा विक्रेता जिला रसद कार्यालय से यूनिट रजिस्टर/केरोसीन का स्टाक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर प्रमाणित करवाकर बिक्री किये गये केरोसीन का इन्द्राज आवश्यक रूप से बिक्री रजिस्टर में कर केरोसीन वितरण करेगा एवं केरोसीन वितरण के पश्चात् वितरण रजिस्टर जिला रसद कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् ही दूसरा प्रमाणित वितरण रजिस्टर प्राप्त कर केरोसीन वितरण करेगा। वितरण रजिस्टर निम्न पेशानी में रखा जायेगा :—

क्र. सं.	यूनिट रजिस्टर क्रमांक	उचित मूल्य दुकान नं.	राशन नम्बर	कार्ड दी गई मात्रा	ली गई राशि	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

5. प्रत्येक जिले के केरोसीन खुदरा विक्रेता उपभोक्ता को 5 लीटर पाक्षिक केरोसीन उनके यहां पंजीकृत राशन कार्ड पर देगा। माह में 10 लीटर से अधिक देय नहीं हो।

6. कैरोसीन खुदरा विक्रेता कैरोसीन स्टॉक में होने पर प्रतिदिन दुकान खुली रखकर कैरोसीन का वितरण करेगा। कैरोसीन स्टॉक में नहीं होने पर दुकान में कैरोसीन स्टॉक में नहीं है, की सूचना, सूचना पट्ट पर अंकित करेगा।

7. प्रत्येक कैरोसीन खुदरा विक्रेता राशन कार्ड में सम्बन्धित माह में यथास्थान पर दी गई कैरोसीन की मात्रा, वसूल की गई राशि व दिनांक अंकित करेगा एवं अपने लघु हस्ताक्षर करेगा।

8. प्रत्येक कैरोसीन खुदरा विक्रेता उनके यहां पर दर्ज राशन कार्डधारी को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार स्वयं को या राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों को ही कैरोसीन वितरण करेगा।

9. प्रत्येक कैरोसीन खुदरा विक्रेता, थोक कैरोसीन विक्रेताओं से कैरोसीन प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक से भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् ही कैरोसीन का वितरण करेगा।

10. प्रत्येक जिले में हाथ ठेले वालों के लिए (यदि वहां यह व्यवस्था है तो) जो स्थान नियुक्त किये गये हैं उन स्थानों पर उपरोक्तानुसार उचित मूल्य दुकानदारों के उपभोक्ताओं को ही कैरोसीन वितरण करेगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

ह०

खाद्य सचिव

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 521 का विवरण

राजसमन्द कांकरोली बस स्टेण्ड को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण

1. घोड़न्दा में राजकीय भूमि (बिला नाम) आराजी नं 825 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जमीन पूर्व में ही आबादी में परिवर्तित हो चुकी है।

2. घोड़न्दा में राजकीय भूमि बंजर आराजी नं 404 रकबा 10 बिस्वा जिला कलक्टर ने दिनांक 13-3-96 के आदेश से नगरपालिका को आबंटित की। नगरपालिका ने पूंजीगत मूल्य दिनांक 30-3-96 को जमा करा दिया है।

3. घोड़न्दा की ही राजकीय भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा बिला नाम भूमि पेटा नाड़ी को आबादी में बस स्टेण्ड निर्माण हेतु आबंटन के लिए जिला कलक्टर ने दिनांक 13-3-96 को उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग जयपुर को स्वीकृत हेतु लिखा है। वांछित स्वीकृति मिलने पर आबंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

4. एकीकृत लघु एवं मध्यम शहरों की विकास योजना के सिटी मोनेटरिंग कमेटी में किए निर्णयानुसार डब्ल्यू. बी. एम., प्लेट फार्म का निर्माण कार्य 3,16,593/- स्वीकृत किया गया कार्य प्रगति पर है एवं डब्ल्यू. बी. एम. सड़क निर्माण का दूसरा कार्य स्वीकृत किया गया। लागत राशि 2,70,453/- रुपये है, जिसका कार्य आदेश दिया जा चुका है। कार्य शीघ्र शुरू कराया जा रहा है।

परिशिष्ट—3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

जिला जोधपुर में जवाई-हेमावास नहर द्वारा पेयजल वितरण

524. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है जिला जोधपुर के ग्रामीण इलाकों के गांवों में जवाई-हेमावास नहर से जल वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो गांवों की योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में पानी बिना फिल्टर किये वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर इससे विपरीत असर पड़ेगा ? यदि हां, तो भविष्य में फिल्टर पानी प्रदाय करने की सरकार की क्या योजना है ?

(1) जी हां। जोधपुर जिले की जवाई-हेमावास नहर से पेयजल आपूर्ति किये जाने वाले 66 ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) योजनाओं पर फिल्टर संयंत्र अभी नहीं बने होने के कारण बिना फिल्टर किये इस पानी का क्लोरीनीकरण कर वितरण किया जाता है। कुडी होद पर 120 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता एवं बानियावास ग्राम में 30 लाख लीटर प्रति दिन क्षमता के फिल्टर प्लांट बनाना स्वीकृत है ? जिन पर शीघ्र कार्य आरम्भ करवाया जायेगा।

क्र. सं.	योजना का नाम	गांव का नाम जिसको कि जवाई हेमावास कैनाल से वर्तमान में पानी दिया जा रहा है।
1	2	3
1.	क्षेत्र मोही सूतरा बिरामी	1. मोही सूथरा 2. बानियावास 3. खराबेरा पुरोहितान 4. खेजरोली खुर्द 5. खारा बेरा मीमताण 6. पीसावास 7. गूजरावास कलां 8. बिरामी 9. बिड़दावास 10. भीवासनी

1	2	3
		11. सेवालों की ढाणी
		12. थोयासनी
		13. मोलिया
		14. खारी खुर्द
		15. खारी कलां
		16. सिगासनी
		17. मोडी जोशियान
		18. सजोड़ा
		19. भटिण्डा
		20. भाटों की ढाणी (पाबूपुरा भाटान)
		21. लोलावास
		22. मोकलासनी
		23. मोरटुका
2.	क्षेत्र जल प्रदाय योजना जे.एच. कैनाल	1. खेजड़ली कलां
		2. गुड़ा विश्नोईयान्
		3. घिगाणा
		4. राजपुरिया
		5. भगतासनी
		6. पाबूपुरा म्हारा
		7. बिरासनी
		8. सिवासनी
		9. चारणा बासनी
		10. काकेलाव
		11. रूड़कली
		12. पांचावास

1	2	3
3.	क्षेत्र वास सांगरिया	1. सांगरिया 2. तनावड़ा 3. बागनी बाघेला 4. कुटुबे भकासनी 5. भाकरासनी 6. पिनाणी की ढाणी
4.	क्षेत्र कुड़ी फिटकासनी	1. झालामण्ड 2. फिटकासनी 3. बासनी बेदा 4. रसीदा 5. कानावास का पान 6. बासनी निकोबा
5.	क्षे. बोरानाड़ा शिकारपुरा	1. सालावास 2. नन्दवान 3. सरेचा 4. शिकारपुरा 5. लूणी 6. चवारण की ढाणी 7. सर
6.	क्षे. कुड़ी मोगड़ा	1. मोगड़ा कलां 2. मोगड़ा खुर्द 3. कांकाणी 4. ढोलो कांकाणी 5. धांधिया 6. नीम्बला
7.	क्षे. भण्डू कलां कींच	1. भाण्डू कलां 2. भण्डू खुर्द 3. कटारडा 4. हीरखेड़ा

राज्य में रीको द्वारा स्थापित उद्योग

525. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में रीको के कितने केन्द्र स्थापित हैं और कहां-कहां नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने की सरकार की योजना है ?

(2) रीको ने वर्ष 1995–96 में कितने नये उद्योगों को स्थापित करने में मदद की और इस हेतु कुल कितना ऋण दिया ?

(4) मई, 1996 तक रीको द्वारा स्थापित कितनें उद्योग बंद पड़े हैं और उनको चालू करने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बंद इकाइयों से ऋण की वसूली न होने के कारण सरकार को वर्ष 1995–96 में कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(1) रीको द्वारा अब तक 211 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट–"अ" पर अंकित है। जहां-जहां नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है उसका विवरण परिशिष्ट–"ब" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1995–96 में 55 इकाइयों को नये उद्योग स्थापित करने में रीको द्वारा मदद की गयी एवं वर्ष 1995–96 में रीको द्वारा कुल 45.41 करोड़ के ऋण वितरित किये गये।

(3) मई, 1996 तक रीको द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों में से वर्तमान में 40 इकाइयां बंद हैं। इन इकाइयों को पुनः चालू किये जाने हेतु रीको द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट–"स" के कालम नं. 3 में दर्शाया गया है।

(4) उपरोक्त बंद इकाइयों का जब तक बेचान अथवा पुनरुत्थान नहीं हो जाता उस समय तक फायदा या नुकसान का ज्ञात होना सम्भव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जगतपुरा (जयपुर) का कचरा डिपो

526. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम की सीमा में जगतपुरा के पास निगम द्वारा निर्धारित कचरा डिपो है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वह कचरा डिपो जयपुर हवाई अड्डे के नजदीक है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कचरा डिपो के कारण हवाई जहाज से पक्षियों के टकराने की घटनायें भी हुयी हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कचरा डिपो को हटवाने बाबत नागरिकों ने विरोध प्रकट किया था ?

(5) हवाई जहाजों की पक्षियों से टकराने की सम्भावनाओं को देखते हुए क्या

(श्री परसराम मोरदिया)

उक्त कचरा डिपो को हटवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कचरा डिपो को हटवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) जी हां। इस कचरा डिपो को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने की योजना विचाराधीन है। स्थान चयन होते ही इस कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 527

(स्थगित)

निगम के कोटा डिपो पर संचालित बसों की जांच

528. रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को चैक करने का अधिकार किस स्तर के अधिकारी को है ?

(2) क्या यह सही है कि निगम के कोटा डिपो में निगम की बसों को चैक करने का अधिकार बुकिंग क्लर्क (कन्डक्टर) को दिया गया है ?

(3) यदि हां, तो जनवरी 1995 से फरवरी 1996 तक कुल कितने वाहन चैक किये गये तथा चैक किये गये वाहनों पर परिचालक वेबिल पर किस-किस के द्वारा हस्ताक्षर किये ?

(4) कुल चैक किये गये वाहनों व उस पर लगाये गये वेबिल रिमार्क की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम की बसों को चैक करने के अधिकार परिचालक, बुकिंग परिचालक (क्लर्क), स्टेशन इनचार्ज, सहायक यातायात निरीक्षक एवं इनसे ऊपर समस्त उच्च अधिकारियों को है।

(2) जी हां।

(3) माह जनवरी, 1995 से फरवरी 1996 तक कोटा आगार के उड़नदस्ते द्वारा कुल 2754 वाहनें चैक की गयी हैं। चैक किये गये वाहनों के परिचालक वेबिल पर उड़न दस्ते में कार्यरत यायायात निरीक्षकों सहायक यातायात निरीक्षकों के साथ उड़न दस्ते में कार्यरत बुकिंग क्लर्क/बुकिंग परिचालक द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये हैं।

(4) इस अवधि में कुल चैक की गयी 2754 वाहनों में से 24 वाहनों के परिचालक वेबिल पर रिमार्कस अंकित किये गये हैं जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य की ग्रामीण विकास योजना

529. श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्रामीण विकास के लिए राज्य में कोई नयी सेवा शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसी सेवा शुरू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी और यह सेवा किस विभाग के अधीन होगी ?

उत्तर

जी हां। ग्रामीण विकास के लिए "राजस्थान विकास सेवा" के नाम से एक राज्य स्तरीय नयी सेवा के गठन पर विचार किया जा रहा है।

नगर पालिका डीग का सीमांकन

530. अरुणसिंह (डीग) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी नगरपालिकाओं के सीमांकन के मामले कब से सरकार के विचाराधीन हैं ?

(2) क्या नगरपालिका डीग की सीमा वृद्धि का मामला भी लम्बी अवधि से विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मामले को कब तक सुलझा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में 11 नगरपालिकाओं के सीमांकन के मामले वर्ष 1994 से विचाराधीन हैं।

(2) नगरपालिका डीग द्वारा सीमा वृद्धि का प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से दिनांक 2-3-96 को प्राप्त हुआ है, जिसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 4 की अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत शीघ्र ही निस्तारित कर दिया जायेगा।

उदयपुर संभाग की पेट्रोल/गैस एजेन्सीज

531. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या खाद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के उपखण्ड मुख्यालयों पर खाना बनाने की गैस उपलब्ध कराने की नीति क्या है ?

(2) राज्य में कौन-कौन से उपखण्ड मुख्यालयों पर गैस एजेन्सियां स्थापित है ? एवं कहां-कहां पर नहीं है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनजाति उप योजना क्षेत्र में खाना बनाने की गैस एवं मिट्टी के तेल के वितरण का मानदण्ड क्या है ?

(4) उदयपुर जिले में अब तक कितने प्रकरण गैस एवं मिट्टी के तेल के विक्रय में अनियमितताओं के बनाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उदयपुर संभाग में कहां-कहां पैट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सियां किन-किन फर्मों के नाम से स्थापित हैं ?

उत्तर

(1) राज्य के उपखण्ड मुख्यालयों पर खाना बनाने की गैस उपलब्ध कराने की सर्वमान्य नीति पैट्रोलियम मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है लेकिन जिस स्थान की जनसंख्या 20,000 से अधिक होती है उन स्थानों की पहचान तेल कम्पनियों द्वारा करके उन उपखण्ड मुख्यालयों पर गैस डीलरशिप के लिए उपयुक्तता रिपोर्ट तैयार करके पैट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाती है। वहां से स्वीकृति प्राप्त होने पर डीलरशिप की नियुक्ति के लिए आगे की कार्यवाही तेल कम्पनियों द्वारा की जाती है।

(2) राज्य के जिस-जिस उपखण्ड मुख्यालय पर गैस एजेन्सी स्थापित है और किस-किस पर नहीं, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गैस वितरण का कोई अलग से मानदण्ड नहीं है। कैरोसिन तेल की सामान्य नीति है कि सभी क्षेत्रों में 5 लीटर से 10 लीटर अधिकतम प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड दिया जावे।

(4) उदयपुर जिले में गैस एवं कैरोसिन तेल के विक्रय में अनियमितता में 13 गैस के एवं 64 कैरोसिन के प्रकरण बनाये गये हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) उदयपुर संभाग में जहां-जहां पैट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सियां स्थापित हैं उनका विवरण नाम सहित सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फसल बीमा योजना

532. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में गत दो वर्षों में सर्दी एवं ओला वृष्टि से सरसों, चना, गेहूं, जौ में कितना नुकसान हुआ है ?

(2) क्या सरकार द्वारा नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार फसल बीमा योजना लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-'एक')

(2) सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"दो")

(3) कृषि विभाग के समक्ष फसल बीमा योजना राज्य के एक जिले में पाइलेट बेसिस पर प्रारम्भ करने के बाबत भारत सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके बाबत भारत सरकार से कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया गया है। स्थिति स्पष्ट होने पर इस बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

नुकसान का विवरण वर्षवार इकजाई

वर्ष 1994-95 (नुकसान हैक्टेयर्स)

जिन्स	सिंचित	असिंचित	योग
सरसों	259	613	872
चना	13	655	668
गेहूं	502	20	522
जौ	13	3	16
योग : -	787	1291	2078

वर्ष 1995-96 (नुकसान हैक्टेयर्स)

जिन्स	सिंचित	असिंचित	योग
सरसों	1118	23582	34766
चना	624	12747	13471
गेहूं	5091	2169	7260
जौ	266	254	520
योग :—	17165	38852	56017

किसानों को नुकसान का दिये गये मुआवजे का विवरण

वर्ष 1994-95

नाम तहसील	संख्या ग्राम	संख्या कृषक	स्वीकृत राशि	ओलावृष्टि दिनांक/माह
1. बौंली	7	381	91192/-	8-1-95
2. सवाई माधोपुर	4	147	63991/-	8-1-95
3. सवाई माधोपुर	6	529	316603/-	16-3-95
4. सवाई माधोपुर	16	397	155913/-	16-3-95
योग	33	1454	627700/-	

वर्ष 1995-96

नाम तहसील	संख्या ग्राम	संख्या कृषक	स्वीकृत राशि	ओलावृष्टि दिनांक/माह
1. करौली	35	2246	1100000/-	9-2-96
2. नादोती	52	6307	1620000/-	9-2-96
3. टोडाभीम	10	1362	596000/-	9-2-96
4. बामनवास	12	804	422000/-	24-2-96
5. गंगापुर	14	582	142000/-	24-2-96
6. बौंली	21	1845	650000/-	24-2-96
योग	154	13146	4530000/-	

जिला डूंगरपुर के बांध स्थल का सर्वे

533. श्री शंकरलाल ग्रहारी (चौरासी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले के बांध स्थल बोर का माटड़ा, बलवानिया में सर्वे कराने का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

बोर माटड़ा, एवं बलवानियां बांध की सर्वे करना विचाराधीन है । सिचाई कार्यों के सर्वे हेतु चालू वित्तीय वर्ष में बजट की मांग स्वीकृत होने पर डूंगरपुर जिले की सिचाई योजनाओं के सर्वे हेतु बजट आवंटित कर दिया जायेगा ।

केन्द्रीय बस स्टेण्ड अजमेर की दुकानों का आवंटन

534. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दिनों अजमेर शहर के केन्द्रीय बस स्टेण्ड पर 16 नई व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो ये दुकान किन-किन व्यक्तियों के लिये बनायी गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि निर्मित दुकानें आवंटित कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय बस स्टेण्ड पर निर्मित 16 दुकानों में से निगम मण्डल के प्रस्ताव सं. 21/150/92 एवं निर्णय संख्या 67/92 के अनुसार 13 दुकानें पूर्व ठेलाधारियों को आबंटित की जानी थी, इन व्यक्तियों की सूची निम्नानुसार है :—

1. श्री पतनदास पुत्र श्री देवन दास
2. श्री चण्डूमल पुत्र श्री टिल्लूमल
3. श्री मूलचन्द पुत्र श्री नेणुमल
4. श्री लक्ष्मणदास पुत्र श्री लोकूमल
5. श्री बंसीलाल पुत्र श्री रामप्रताप
6. श्री किशन पुत्र श्री बाल मुकट
7. श्री फत्तूमल पुत्र श्री ठाकुर दास
8. श्री दयालदास पुत्र श्री झुमदामल
9. श्री मोहन दास पुत्र श्री बसरमल
10. श्री ताराचन्द पुत्र श्री मोहनलाल
11. श्री उदामल पुत्र श्री उत्तूमल
12. श्री कुन्दनमल पुत्र श्री धर्मदास
13. श्री श्रीचन्द पुत्र श्री मुरलीधर

शेष तीन दुकानों के आबंटन के लिए निर्माण के पूर्व में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(2) उक्त निर्मित दुकानों में से 13 दुकानें निम्नांकित ठेलाधारियों को आबंटित की गई :—

1. श्री लक्ष्मणदास पुत्र श्री लोकूमल
2. श्री ताराचन्द पुत्र श्री मोहनलाल
3. श्री मोहनलाल पुत्र श्री बसरमल
4. श्रीमती गुड्डी बाई पत्नी श्री दयालदास
5. श्री उदाराम पुत्र श्री उत्तूमल
6. श्री कुन्दामल पुत्र श्री धर्मदास
7. श्री चण्डूमल पुत्र श्री टिल्लूमल
8. श्री फतनदास पुत्र श्री देवन दास
9. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री श्रीचन्द्र
10. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बंशीलाल
11. श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री किशनलाल
12. श्री फत्तूमल पुत्र श्री ठाकुरदास
13. श्री मूलचन्द पुत्र श्री नेणुमल

शेष तीन दुकानें अभी आबंटित नहीं की गई हैं।

जिला परिषद डूंगरपुर में जिला प्रमुख का रिक्त पद

535. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है? यदि हां, तो क्या इस पद पर कार्यरत प्रमुख के देहावसानोपरान्त किसी अनुसूचित जनजाति के ही सदस्य को अन्तरिम रूप से जिला प्रमुख नामजद किया जाना चाहिये? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पद पर सामान्य वर्ग के उपप्रमुख को प्रमुख बनाने का क्या औचित्य है?

उत्तर

जी हां। जिला परिषद, डूंगरपुर के प्रमुख का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है। प्रमुख के चुनाव में इस

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

पद पर श्री महेन्द्रकुमार परमार निर्वाचित हुए थे, जिनका दिनांक 1–2–96 को आकस्मिक निधन हो जाने के कारण पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 35 (2) क व ग के अन्तर्गत उप प्रमुख, प्रमुख की अनुपस्थिति में प्रमुख की शक्तियां तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु अधिकृत है। प्रमुख के रिक्त पद पर चुनाव कराने हेतु दिनांक 20–6–96 को निर्देश दिये जा चुके हैं।

वैशाली हाउसिंग स्कीम अजमेर का भूमि प्रकरण

536. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, अजमेर ने वैशाली हाउसिंग स्कीम के लिये श्री जयनारायण चौधरी की जमीन फरवरी, 1972 में खरीदी थी ? यदि हां, तो कितनी जमीन किन शर्तों पर खरीदी गयी ?

(2) क्या यह सही है कि इस एग्रीमेन्ट के तहत श्री जयनारायण चौधरी को 80 फीट चौड़ी सड़क पर चार भू-खण्ड प्रत्येक 666.66 वर्ग गज की नाप के 10 रुपये प्रति गज के हिसाब से देना तय किया गया था ?

(3) यदि हां, तो श्री चौधरी को उक्त चारों भू-खण्ड अभी तक नहीं देने के क्या कारण हैं और ये भू-खण्ड कब तक दे दिये जायेंगे ? नगर विकास न्यास, अजमेर के प्रस्ताव संख्या 3/3 दिनांक 6-12-1971 की पालना अभी तक क्यों नहीं की गयी ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर ने वैशाली नगर योजना हेतु दिनांक 3-7-72 को श्री प्यारेलाल पुत्र चौधरी बेगराज द्वारा मुख्तयार खास श्री जयनारायण चौधरी पुत्र चौधरी बेगराज अजमेर से 40 बीघा 19 बिस्वा भूमि 81,900/- रुपये में क्रय की गयी है तथा नेगोसिएशन दिनांक 6–12–71 के क्रम में 2400 वर्ग गज के भूखण्ड 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से विकास शुल्क लेकर देने का निर्णय लिया गया है लेकिन तत्समय योजना प्लान में 600 वर्गगज के 4 भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त पंजीयन में 666.66 वर्ग गज के चार भूखण्ड 99 वर्षीय लीज पर दिये जाने का अनुबंध पंजीकृत विक्रय पत्र में किया गया है।

(2) यह सही है कि उक्त अनुबंध पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार 666.66 वर्ग गज के चार भूखण्ड 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से विकास मूल्य लेकर देना तय किया गया है।

(3) श्री चौधरी को अभी तक भूखण्ड नहीं देने का कारण है कि उक्त योजना वर्ष 1975 में बाढ़ के कारण डिस्टर्ब होने से स्कीम समाप्त कर दी गई इसलिये निर्णय दिनांक 6–12–71 की पालना नहीं हो सकी तथा बाद में योजना नवीन रूप से तैयार करनी पड़ी जिसमें उक्त क्षेत्रफल 666.66 वर्ग गज के भूखण्ड नहीं बनाये

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

गये तथा भूमिधारी की भूमि का अधिकांश भाग सुरक्षा पाल एवं नर्सरी के रूप में तथा कुछ भूमि का खुले क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अतः इस कारण से उनको भूमि भूखण्ड दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है। श्री चौधरी को अन्य योजना में भूखण्ड देने हेतु दिनांक 23–9–80, 31–12–85, 25–7–87 एवं 26–8–87 को सूचित किया गया परन्तु उन्होंने अपनी असहमति प्रकट की। इसके अतिरिक्त उन्हें ट्रस्ट के समक्ष वार्ता हेतु भी बुलाया गया परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

अतः नवीन योजना में 666.66 वर्ग गज भूखण्ड योजना प्लान में नहीं होने के कारण भूमिधारी को दिनांक 25–9–93 को इस योजना के समीप की योजना पंचशील नगर योजना एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार योजना का मौका दिखाया गया लेकिन इसमें आबंटन की सहमति इनके द्वारा नहीं दी गयी है। इसी क्रम में इनको न्यास द्वारा पत्र दिनांक 5–1–94 लिखा गया है, लेकिन सहमति अपेक्षित है।

अतः भूमिधारी की सहमति के अभाव में लम्बित हैं।

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के एनीकट

537. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुछ एनीकट्स बनाये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1986 से 1996 तक कितने एनीकट किस-किस स्थान पर बनाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1986 से 1996 के मध्य बनाये गये एनीकटों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

वर्ष 1986 से 1996 के मध्य सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये एनीकटों का स्थान

क्र.सं.	एनीकट का स्थान	तहसील
1	2	3
1.	सिरोही	आमेर
2.	देवका हरमाड़ा	,,
3.	चिन्वाणु	,,
4.	जुगलपुरा	,,
5.	कुशलपुरा	,,
6.	माजीपुरा	जमवारामगढ
7.	श्यामपुरा	,,
8.	जयचन्दपुरा	,,
9.	रतनपुरा	,,
10.	बोबाडी	,,
11.	धौला	,,
12.	दांतला गुजरान	,,
13.	टोडा मीणा	,,
14.	बिलोद	,,
15.	चैनपुरा	,,
16.	मंहुगी	,,

(सिंचाई मन्त्री)

1	2	3
17.	कानीखोर	जमवारामगढ़
18.	मावनी	,,
19.	सामरेड	,,
20.	घोलाई	,,
21.	आंधी	,,
22.	सानकोटड़ा	,,
23.	पातलवास	,,
24.	डागोता	,,
25.	रिवसा	,,
26.	ईश्वरीसिंहपुरा	,,
27.	सरकड़ा	,,
28.	गोठ की पट्टी	,,
29.	खराना	,,
30.	सरजोली	,,
31.	कच्चाबांध	,,
32.	चांवडिया	,,
33.	खातेपुरा	,,
34.	नागल बेला	,,
35.	छारसा	शाहपुरा
36.	सुराणा	,,
37.	अमलोदा	विराटनगर
38.	मामोद	,,
39.	भैरूपुरा	,,
40	तेवड़ी	,,
41.	गालास	,,
42.	मेड	,,
43.	छीद	,,

विधान सभा क्षेत्र गंगरार (चित्तौड़गढ़) के अकाल राहत कार्य

538. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार (चित्तौड़गढ़) में वर्ष 1993–94 में कहां–कहां अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये ? इसमें से कौन–कौन से कार्य पूर्ण हो गये तथा कौन-कौन से कार्य किन कारणों से अपूर्ण रहे ?

(2) क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान कर पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(3) इस वित्तीय वर्ष में जिला चित्तौड़गढ़ में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का मानदण्ड क्या है ?

(4) जिला चित्तौड़गढ़ कि पंचायत समितियों में कितने–कितने कार्य कितनी–कितनी लागत एवं श्रमिक संख्या के स्वीकृत किये गये ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्तर्गत पंचायत समिति, गंगरार व राशमी क्षेत्र में विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से वर्ष 1993–94 में कुल 328 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 254 कार्य पूर्ण हो गये थे तथा 74 कार्य अपूर्ण रहे थे। अपूर्ण कार्य पक्के होने के कारण एवं निर्धारित अनुपात में सामग्री की कमी के कारण अपूर्ण रहे हैं। अपूर्ण कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-"अ")

(राज्य मन्त्री, अकाल सहायता)

(2) वर्ष 1993–94 में अपूर्ण रहे अकाल राहत कार्यों को इस वर्ष प्राथमिकता के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति दी जाकर पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित अभिकरणों को निर्देशित किया गया है।

(3) रोजगारोन्मुख स्थाई प्रकृति के तथा गत वर्षों के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत किये गये हैं।

(4) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"ब")

वर्ष 1993–94 में स्वीकृत किये गये अकाल राहत कार्यों में से अपूर्ण रहे कार्यों की सूची

क. सं.	नाम राहत कार्य	नाम अभिकरण	नाम पंचायत समिति
1	2	3	4
1.	उपरेड़ा से जाहाना सड़क	सा.नि.वि. (II)	राशमी
2.	" सोमी, देवीपुरिया सड़क	"	"
3.	सांखली–सोमी–आरनी सड़क	"	"
4.	राशमी बाइपास	"	"
5.	ऊंचा से भालोटा की खेड़ी सड़क	"	"
6.	मात्री कुण्डिया काजवेकारेजिंग कार्य	"	"
7.	तुम्बड़िया–कुंवालिया सड़क	"	गंगरार
8.	बूढ–कोसेड़ी–उण्डवा सड़क	"	"
9.	सोनियाना–त्रेष्ठा सड़क	"	"
10.	गंगरार-भोलो का सांवता वाया ऐराल	"	"
11.	सुदरी से नारेला वाया भाटवाड़ा सड़क	"	"
12.	गंगरार से बस्सी वाया सेमलिया सड़क	"	"
13.	मेड़ीखेड़ा-सुवानिया वाया शिवपुरा	"	"
14.	डेट-गेणिया-भोला का सांवता सड़क	"	"
15.	सोमी बान्ध	सिंचाई विभाग (II)	राशमी
16.	सुदरी फीडर	"	गंगरार
17.	मरमी एनीकट	"	राशमी

1	2	3	4
18.	जावलिया खेड़ानाडी पर पुलिया निर्माण	पं. स. गंगरार	गंगरार
19.	प्रा. वि. अमरपुरा बाउण्ड्रीवाल	"	"
20.	प्रा. वि. बालिका चन्देरिया कमरे निर्माण	"	"
21.	गोलटेकरी एनिकट खारखन्दा	"	"
22.	उ.प्रा.वि. बोलो कासांवता बाउण्ड्रीवाल	"	"
23.	प्रा.वि. मानसिंहजी का खेड़ा "	"	"
24.	प्रा. वि. सारण "	"	"
25.	आकोड़िया से कुवालिया सड़क	"	"
26.	नीमड़ीखेड़ा से सारण सड़क	"	"
27.	धोली-धुवालिया से बस्सी रोड सड़क	"	"
28.	घातोल एनीकट मरम्मत	"	"
29.	ब्राह्मणों का घाटा निम्बाहेड़ा से जोजारो का खेड़ा सीमांतक सड़क	"	"
30.	बिन्दोलिया माताजी की घाटी काजवे	"	"
31.	कॉसेड़ी से देवदा सड़क	"	"
32.	उण्डवा से नागों का खेड़ा सोनियाणा सीमांतक सड़क	" "	" "
33.	बूढ से एकलिंगपुरा सड़क	"	"
34.	एनिकट भटवाड़ा खुर्द	"	"
35.	करेड़िया से बोलो कासांवता सड़क	"	"
36.	सुदरी से राईपुरिया सड़क	"	"
37.	सोनियाणा-जवासयिवावण्डा सड़क	"	"
38.	प्रा. वि. जवासिया कमरा निर्माण	"	"
39.	मण्डपिया खेडली रास्ता	"	"
40.	मण्डपिया नया तालाब सड़क	"	"
41.	करतियास नाड़ी	"	"

1	2	3	4
42.	प्रा. शा. मेड़ी का खेड़ा बाउण्ड्री	पं. स. गंगरार	गंगरार
43.	मेनरोड से डेम्प गांव तक सड़क	"	"
44.	मानसिंहजी का खेड़ा से डेट रोड	"	"
45.	सार्वजनिक कुई भवानीपुरा	"	"
46.	सादी-कोजून्दा वाया मोटलियास	"	"
47.	काजवे एनिकटपूर्ण कराना सोनियाणा	"	"
48.	हायर सैकण्डरी स्कूल बराण्डा गंगरार	"	"
49.	गंगरार से महादेव नाले तक गटर निर्माण	"	"
50.	रा. प्रा. वि. (बालिका) स्टेशन गंगरार	"	"
51.	गोवलिया से मुख्य सड़क वानानया खेड़ी दादिया	"	"
52.	गोवलिया से साडासलिक रोड़ वाया जीवानायक खेड़ा–मोखमपुरा	"	"
53.	सार्वजनिक कुई निर्माण मूणका खेड़ा	"	"
54.	" लोड़ाखूंटरघुनाथपुरा	"	"
55.	एनिकट बावलास	पं. स. राशमी	राशमी
56.	" मुरोली	"	"
57.	उ. प्रा. वि. जाडाना	"	"
58.	" संस्कृतराशमी	"	"
59.	" रेवाड़ा	"	"
60.	" ऊंचा	"	"

(161)

1	2	3	4
61.	सी.हा. सैकण्डरी पहूंना	पं. स. राशमी	राशमी
62.	प्रा. वि. भीमगढ़	"	"
63.	बा. प्रा. वि. रूद	"	"
64.	प्रा. वि. भोपलाई	"	"
65.	सह. समिति की दुकाने बरामदा एवं बाउण्ड्री हिण्डोली	"	"
66.	सामुदायिक भवन भीमगढ़	"	"
67.	पेयजल टंकी निर्माण उपरेडा	"	"
68.	उप स्वा. केन्द्र चटावटी	"	"
69.	आयुर्वेदिक औषधालय, राशमी	"	"
70.	रेफरल हास्पीटल, राशमी	"	"
71.	बस स्टेण्ड भराव नाली निर्माण, राशमी	"	"
72.	श्मसान घाट भीमगढ़	"	"
73.	श्मसान घाट राशमी	"	"
74.	श्मसान घाट हुरनाथपुरा	"	"

जिले में चल रहे अकाल राहत कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	स्वीकृत श्रमिक
1.	भरनोद	17	43.692	785
2.	बड़ीसादड़ी	75	113.050	3495
3.	बेगूं	104	206.053	5332
4.	भदेसर	137	969.084	6420
5.	भैंसरोड़गढ़	66	96.077	3395
6.	भोपालसागर	77	159.056	4195
7.	छोटीसादड़ी	81	205.498	5270
8.	चित्तौड़गढ़	212	468.012	10550
9.	डूंगला	65	179.058	3555
10.	गंगरार	138	274.904	7700
11.	कपासन	98	162.057	4080
12.	निम्बाहेड़ा	104	295.082	6500
13.	प्रतापगढ़	174	406.133	9360
14.	राशमी	94	173.484	4633
	योग :—	1442	3055.971	75252
	सार्वजनिक पेयजल कूप	843	8.430	5901
	महायोग :—	2285	3064.401	81153

ह./-
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

यमुना एवं चम्बल नदियों से पेयजल वितरण

539. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यमुना नदी का जल राज्य के भरतपुर, अलवर, आदि जिलों में सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। यदि हां, तो यह घोषणा कब की गई एवं इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य के जिला धौलपुर, भरतपुर एवं अलवर के लोगों के लिए चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना रखती है ? यदि हां, तो इस योजना पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान के वर्ष 95-96 बजट अभिभाषण में इस सदन में यह घोषणा की गई थी। यमुना नदी के पानी के बटवारे के लिए पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा दिनांक 12.5.94 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत 1119 मिलियन घनमीटर वार्षिक पानी की मात्रा औसत वर्ष में राजस्थान के हिस्से में उपलब्ध होगी। इस पानी का उपयोग सत्तर प्रतिशत भरतपुर एवं अलवर जिले के सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति के लिए होगा एवं तीस प्रतिशत चूरू जिले की सिंचाई एवं पेयजल के लिए तथा झुन्झुनूं जिले की पेयजल की आवश्यकताएं पूरी होगा। भरतपुर जिले के लिए एक वृहत योजना रु. 173.00 करोड़ की वर्ष 1996 की कीमतों पर बनाकर केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु मेज पर दी गयी है।

(2) जी हां। भरतपुर जिले के लिए यमुना का जल वर्तमान गुडगांव नहर के अलावा इसके समानान्तर एक नहर और बनाकर पजान बांध तक लाया जाने का प्रस्ताव है एवं गुडगांव नहर की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी को बड़ा करके तथा बढ़ाकर के लिफ्ट द्वारा सीकरी बांध में भी डाला जाना प्रस्तावित है। जो रूपारेल नदी का पानी सीकरी बांध में आता था उस पानी का उपयोग अलवर से जयसमन्द बांध को भरने तथा लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में काम में लिया जाना प्रस्तावित है।

इसके अलावा यमुना पर बने तालेवाला बैराज से निकलने वाली पश्चिमी यमुना नहर की हासी ब्रांच की टेल से लगभग 50 कि.मी. लम्बी नहर बनाकर चूरू जिले में लाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जिला धौलपुर के क्षेत्र की सिंचाई एवं पेयजल हेतु धौलपुर के पास एक जलोत्थान योजना प्रस्तावित है जिसकी पानी की मात्रा की उपलब्धि का आंकलन करके केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। वृहद् योजना रिपोर्ट बनायी जा रही है। आंकी गयी जल की मात्रा की स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित की जायेगी। चम्बल

(सिंचाई मंत्री)

नदी का पानी भरतपुर एवं अलवर जिलों में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला भरतपुर में संचालित निगम बसें

540. श्री आर. वी. शर्मा (भरतपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में जिला मुख्यालय से विभिन्न कस्बों व ग्रामों के उप मार्गों पर तहसीलनुसार कितनी-कितनी बसें चलाई जा रही हैं ?

(2) क्या उक्त बसें भरतपुर जिले में यातायात व्यवस्था हेतु पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या विभाग इस सम्बन्ध में कोई योजना बना रहा है ?

(3) भरतपुर जिला मुख्यालय से होकर वर्तमान में प्रतिदिन कितनी डीलक्स व वातानुकुलित बसें गुजरती हैं तथा उनमें से कितनी बसें भरतपुर रुकती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही सेवाओं का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट–"1" पर और निजी वाहन स्वामियों द्वारा चलायी जा रही बसों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट–"2" पर प्रेषित है।

(2) निगम की बसों को वर्तमान में मिल रहे यात्री भार के आधार पर निगम की सेवाएं पर्याप्त प्रतीत होती है। निजी वाहन स्वामियों को उनकी मांग पर परमिट जारी किये जाते हैं और वाहन सेवाओं के परमिट प्राप्त करने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 26 डिलक्स वाहन सेवायें भरतपुर होकर गुजरती हैं जिनमें से 21 सेवायें भरतपुर रुकती हैं। वर्तमान में भरतपुर होकर निगम की कोई वातानूकुलित सेवा संचालित नहीं है। भरतपुर में रुकने वाली डिलक्स सेवाओं का विवरण परिशिष्ट–"3" पर प्रेषित है।

भरतपुर जिला मुख्यालय से निगम द्वारा तहसीलवार संचालित बस सेवाओं के परिचक्रों का विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	परिचक्रों की संख्या
1.	कुम्हेर	157
2.	डीग	135
3.	नगर	55
4.	पहाड़ी	17
5.	कांमा	90
6.	नदबई	19
7.	बयाना	93
8.	रूपवास	32
9.	वैर	06

क्र.सं.	मार्ग का नाम	तहसील/ उप तहसील का नाम	संचालित निजी वाहनों की संख्या
1.	भरतपुर से मथुरा वाया रारट	भरतपुर कुम्हेर	20
2.	भरतपुर से गोरधन वाया अजान गुणसारा ददिया, सीगर	भरतपुर कुम्हेर	15
3.	भरतपुर–खेड़ली, गण्डासिया वाया सेवर	भरतपुर नदबई बैर	03
4.	भरतपुर–रूपवास वाया उच्चैन, पिचुना	भरतपुर रूपवास	06
5.	भरतपुर से फतेहपुर सीकरी वाया ऊंचा नंगला	भरतपुर	02
6.	भरतपुर से धौलपुर वाया बाड़ी ऊंचा नंगला, कल्याणपुर, द्वारापुर	भरतपुर रूपवास	12
7.	भरतपुर–बाड़ी वाया जग्गीनगला, सानुजा, भाटोली, रूपवास	भरतपुर रूपवास	07

भरतपुर होकर संचालित डीलक्स बस सेवाओं में से भरतपुर रुकने वाली सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	जयपुर से प्रस्थान समय	मार्ग का नाम	आगरा से प्रस्थान समय
1.	जयपुर–आगरा वाया भरतपुर	0630	आगरा–जयपुर वाया भरतपुर	0600
2.	,, ,, ,,	0745	,, ,, ,,	0730
3.	,, ,, ,,	1000	,, ,, ,,	0830
4.	,, ,, ,,	1200	,, ,, ,,	0930
5.	,, ,, ,,	1415	,, ,, ,,	1100
6.	,, ,, ,,	1515	,, ,, ,,	1300
7.	,, ,, ,,	1700	,, ,, ,,	1430
8.			,, ,, ,,	1630
				अलीगढ़ से
9.	जयपुर–अलीगढ़ वाया भरतपुर–मथुरा	2200	अलीगढ़–जयपुर वाया मथुरा–भरतपुर	2200
10.	जयपुर–मथुरा वाया भरतपुर	2230	मथुरा–जयपुर वाया भरतपुर	मथुरा से 2230
11.	जयपुर–ग्वालियर वाया भरतपुर–आगरा–धौलपुर	2230	ग्वालियर–जयपुर वाया आगरा–भरतपुर	ग्वालियर से 1930

पंचायत समिति शिव के ग्राम सेवकों द्वारा शिक्षा कर की वसूल राशि

541. श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शिव में ग्राम सेवकों द्वारा शिक्षा कर की राशि वसूल की गयी ? यदि हां, तो उन द्वारा उक्त वसूल शुदा राशि राजकोष में समय पर जमा कराई गई गयी अथवा नहीं ?

(2) वसूल शुदा राशि समय पर नहीं जमा होने के क्या कारण रहे ? क्या उक्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? वर्ष 1994–95 व 1995–96 में वसूल की गयी राशि की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) अब तक वसूल शुदा राशि भी किन-किन ग्राम सेवकों द्वारा जमा कराना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति, शिव में ग्राम सेवकों द्वारा शिक्षा उप कर की वसूली की गयी है । जिन ग्राम सेवकों द्वारा उक्त वसूल शुदा राशि समय पर जमा नहीं करवायी उनकी सूची संलग्न है ।

(2) शिक्षा उप कर की वसूल शुदा राशि ग्राम सेवकों द्वारा सम्भवत: लापरवाही एवं कार्य अधिकता के कारण समय पर जमा नहीं करवायी गयी । इन ग्राम सेवकों के विरुद्ध राज. पं. स. एवं जिला परिषद सेवा-नियमान्तर्गत दिनांक 8.3.96 को आरोप-पत्र देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है तथा दण्डनीय ब्याज की वसूली की जा रही है ।

वर्ष 1994–95, 1995–96 में अब तक ग्राम सेवकवाइज शिक्षा कर की वसूली एवं जमा करवायी गयी राशि की सूची संलग्न है ।

(3) अब तक की वसूल शुदा राशि, वर्तमान में किसी भी कार्यरत ग्राम सेवक के पास जमा करानी शेष नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

विधान सभा क्षेत्र मकराना (नागौर) ट्यूबवेल

542. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 1995–96 में कितनी व कौन-कौन से ग्रामों में नये ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति जारी की गयी ?

(2) क्या स्वीकृत ट्यूबवेल ग्रामों में खोदे जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व इन्हें कब तक खोद दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 1995–96 में 13 ग्रामों में 13 नलकूप लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनकी सूची परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है ।

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

(2) ग्राम रायलिया, नगवाड़ा, खारिड़या में नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ड्रिलिंग रिगों की उपलब्धतानुसार इन्हें बनाया जा रहा है। सभी का निर्माण वर्ष 1996–97 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 95–96 में स्वीकृत नल कूपों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृत नलकूपों की संख्या
1.	गुणावती	1
2.	रूपपुरा	1
3.	जूसरिया	1
4.	जूसरी	1
5.	कचौलिया	1
6.	बोरावड	1
7.	रायनिया	1
8.	नगवाडा	1
9.	खारडिया	1
10.	सरनावडा	1
11.	बड्स परनाई	1
12.	डोडेवाडी	1
13.	मिचावा (हरनांवां तोषीण	1

मारवाड़ जंक्शन (पाली) के बोरनड़ी एनीकट का निर्माण

543. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध क्षेत्र के केचमेंट में आये एनीकट बनाने बाबत विशेष आदेश निकाले गये हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला पाली की तहसील मारवाड़ जंक्शन में बोरनडी एनीकट का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो कब तथा किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? क्या यह भी सही है कि एनीकट टूट गया तथा इसकी आज तक भी मरम्मत नहीं करायी गयी ? यदि हां, तो अब कब तक इसकी मरम्मत करादी जायेगी।

उत्तर

(1) जी हां। प्रति परिशिष्ट-"अ" पर सलग्न है। राजस्थान में अन्य नदी/नालों के केचमेंट क्षेत्रों में एनीकट बनाने बाबत दिशा निर्देश मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान के क्रमांक 1162-65 दिनांक 31.1.91 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। बोरनाडी एनीकट तहसील मारवाड़ जंक्शन का निर्माण अकाल राहत में वर्ष 82–83 एवं 83–84 में किया गया। उक्त कार्य पर वर्ष 82–83 में 1.47 लाख रुपये एवं 83–84 में 1.51 लाख रुपये खर्च किये गये। उक्त एनीकट अति-वृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी आज तक मरम्मत नहीं करायी गई। उपरोक्त एनीकट सिचाई विभाग के विभागीय रख-रखाव वाले बाणियावास बांध के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। अतः बोरनाडी एनीकट की मरम्मत का कार्य करवाने में समस्या है। एनीकटों का कार्य सिचाई विभाग द्वारा नहीं करवाया जाता।

राजस्थान सरकार
सिचाई विभाग

क्रमांक :-प. 1 (2) सि/मा.क./92-पार्ट-11 जयपुर, दिनांक 28-5-94

आज्ञा

बीसलपुर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में नदी/नालों पर एनीकट निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है बशर्ते निर्मित किये जाने वाले ऐसे एनीकटों की ऊँचाई नदी/नालों के निम्नतम स्तर से किसी भी अवस्था में 2 मीटर से अधिक न हों।

आज्ञा से,
ह०/-
(आर. सी. अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, सिचाई

Government of Rajasthan
Irrigation Department

No : T/F/90-91/216/. Dated..................

OFFICE ORDER

In the meeting held on 27-12-90 under the Chairmanship of Chief Secretary, following decision was taken :

"As regards the construction of Anicut some guidelines would have to be prepared including where such Anicuts should be constructed and where they should not be constructed. The Irrigation Deptt. would function as the nodal agency for this purpose & would issue necessary guidelines."

1. In accordance with above the following guidelines are issued for guidence of the field officers and in particular the Executive Engineer of the Irrigation Deptt. who are supposed to issue concurence for construction of anicuts.

In case of tanks which are reserved wholly for drinking water supply, No proposal for any new anicuts should be concurred.

2. For irrigation tanks having dependability less than 75% no anicuts should be permited.

3. Execution of anicuts has to be on proper foundation strata. The available foundation strata at site should be investigated to avoid changes of damages to anicuts founded on unproper foundation strata.

The above instructions should be strictly followed and any request received from other Deptt. should be properly replied. So that un-authorised anicuts are not constructed. On accounts of defaolt on the part the concerned Executive Engineer.

Sd/-
Chief Engineer, Irrigation
Rajasthan, Jaipur.

निगम द्वारा बस किराये में वृद्धि

544. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बस किराया वृद्धि की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी तथा अन्य प्रदेशों के नियमों की तुलना में किस प्रतिशत में ? विगत तीन वर्षों में कितनी बार बस किराया वृद्धि की गई और कितनी-कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि निगम की आय निरन्तर गिर रही है ? विगत 24 माह का मासिक आय विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मझली वाहनों के किराये में वृद्धि के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है । राज्य सरकार के निर्णय के पश्चात् ही अन्य राज्यों से तुलना संभव है । जुलाई, 93 से जुलाई, 96 तक के तीन वर्षों में केवल एक बार उपरोक्त वाहनों के किराये में वृद्धि की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर प्रेषित है ।

(2) जी नहीं । विगत 24 माह की आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" पर प्रेषित है ।

मार्ग की श्रेणी	1-8-94 से किराया (प्रति कि. मी. प्रति यात्री)	1-8-94 से पूर्व निर्धारित किराये की तुलना में वृद्धि (प्रति कि.मी. प्रति यात्री)
1. 'ए' श्रेणी मार्ग		
(अ) साधारण सेवाएं	20.50 पैसा	1.50 पैसा
(ब) एक्सप्रेस सेवाएं	25 पैसा	2 पैसा
(स) सेमी डीलक्स सेवाएं	29.50 पैसा	2.50 पैसा
(द) डीलक्स सेवाएं	43.50 पैसा	3.50 पैसा
(य) एयर कण्डीशन सेवाएं (नयी श्रेणी बनायी गयी)	76 पैसा	—
2. "ब" श्रेणी मार्ग	20.50 पैसा	1.50 पैसा
3. "स" श्रेणी मार्ग	20.50 पैसा	1.50 पैसा

प्रोविजन लेखों के अनुसार निगम की आय का विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	माह	वर्ष 94–95	वर्ष 95–96	वर्ष 96–97
1.	अप्रेल	31.35	34.50	37.24
2.	मई	36.48	39.78	40.47
3.	जून	34.32	36.02	
4.	जुलाई	30.68	33.75	
5.	अगस्त	31.60	32.06	
6.	सितम्बर	30.62	31.68	
7.	अक्टूबर	31.49	34.99	
8.	नवम्बर	32.61	35.25	
9.	दिसम्बर	33.04	34.24	
10.	जनवरी	31.25	34.78	
11.	फरवरी	31.68	35.78	
12.	मार्च	34.58	37 98	
	योग :—	389.70	420.81	77.71

विधान सभा क्षेत्र सीकर के प्राथमिक विद्यालय

545. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले की पंचायत समिति पीपराली में कुल कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

(2) विभागीय मानदण्डानुसार छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत नहीं हैं तो यह कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

(3) वर्ष 1993-94 से अब तक कितने प्राथमिक विद्यालय सीकर विधान सभा क्षेत्र में खोले गये ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, पीपराली में 325 पद अध्यापकों के स्वीकृत हैं व सभी पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) पंचायत समिति, पीपराली में छात्र संख्या के अनुपात में और अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक है वहां पर कम छात्रों की संख्या वाले विद्यालयों से अध्यापकों का समायोजन कर दिया जाता है।

(3) वर्ष 1993-94 से अब तक सीकर विधान सभा क्षेत्र में निम्न पंचायतों में चार प्राथमिक विद्यालय खोले गये :—

वर्ष	पंचायत का नाम	संख्या
1993-94	1. गोठराभूखरान	1
	2. चन्दपुरा	1
	3. पलासरा	1
1994-95	—	—
1995-96	4. बेरी	1

नयाबास (जोधपुर) की पेयजल व्यवस्था

546. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नया बास (मगरा) मन्डोर, जोधपुर के अन्तर्गत बास में तीन इंच व्यास की पाइप लाइन लगी हुई है, मगर लाइन में मात्र 1/2" पानी का जल कनेक्शन है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पानी का वितरण सुचारू रूप से करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उल्लेखित स्थान पर 3" व्यास की पाइप लाइन है, एवं इसे 1" साइज के कनेक्शन द्वारा मुख्य लाइन से जोड़ा हुआ है।

(2) संदर्भित क्षेत्र की जल वितरण व्यवस्था में सुधार जोधपुर शहर की पुनर्गठन योजना के फलस्वरूप मात्रा में वृद्धि होने के पश्चात 1996-97 के अन्त तक सम्भव होगा।

अधिशासी अभियन्ता, सिरोही के विरुद्ध जांच प्रकरण

547. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई खण्ड सिरोही के अधीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा जवाल बांध निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में जांच की गयी थी ? यदि हां तो जांच किसने की एवं जांच में किसे दोषी पाया गया ? क्या इसमें सरकार को कोई वित्तीय हानि हुयी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार इस वसूलने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ? जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या श्री पी. सी. जैन. अधिशासी अभियन्ता उक्त खण्ड में लम्बे समय से कार्यरत हैं। यदि हां, तो कितने समय से ? क्या जांच में श्री जैन दोषी पाये गये ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध अब क्या कार्यवाही कर रही है क्या उन्हें उक्त स्थान पर यथावत रखा जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाल बांध निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाच तात्कालीन मुख्य अभियन्ता, अन्वेषण रूपांकन एवं अनुसंधान सिंचाई श्री दिलीप सिंहजी के द्वारा की गयी थी। उनके द्वारा प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गयी थी जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। राज्य सरकार ने उक्त प्रकरण में श्री पी. सी. जैन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम–16 अन्तर्गत आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश दिये हैं। विस्तृत विभागीय जांच पूरी होने पर ही दोष सिद्ध अथवा असिद्ध होगा। अतः इस स्थिति में अभी निर्णायक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में दोषी कौन है एवं सरकार को यदि हानि हुयी है तो कितनी हानि हुयी ?

(2) श्री पी. सी. जैन, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिरोही में दिनांक 7.10.94 से निरंतर कार्यरत हैं। विभागीय च जांअभी पूर्ण नहीं हुयी अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री पी. सी. जैन दोषी हैं। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है एवं उनके स्थानांतरण के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार यथा समय निर्णय ले लिया जायेगा।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटपूतली (जयपुर) में संचालित अवैध वाहन

548. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली: क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटपूतली से बहरोड़, बानसूर-पावटा, चिमनपुरा–पाटन आदि स्थानों के लिए निगम बसों के अभाव में यहां अवैध रूप से जीपें/मेटाडोर/मिनी बसें चल रही हैं ?

(राज्य मन्त्री, यातायात)

(2) क्या सरकार इन क्षेत्रों की जनता की सुविधा हेतु पर्याप्त निगम बसों का संचालन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) सरकार इन अवैध रूप से चल रहे वाहनों को रोकने हेतु क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1 से 3) वर्तमान में इन मार्गों पर उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप पर्याप्त बस सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित है। अवैध रूप से संचालित वाहनों का कोई निश्चित मार्ग व समय नहीं होता है तथापि विभाग अवैध रूप से संचालित वाहनों की रोकथाम के लिए समय-समय पर चैकिंग कर, नियमानुसार कार्यवाही करता है। इन मार्गों पर वर्ष 1995–95 व 1996–97 (माह जून 96 तक) में की गयी चैकिंग की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बनाये गये चालान	सीज किये गये वाहनों की संख्या
95–96	289	145
96–97	85	65

पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाड़ा) की ग्राम पंचायतों का आडिट

549. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायतों के हिसाब-किताब व लेखा-जोखा का ऑडिट करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया व नियम क्या हैं ?

(2) एक ग्राम पंचायत का आडिट कितने वर्षों में हो जाना चाहिये तथा आडिट की जिम्मेदारी किसकी है ?

(3) क्या भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायत कोचरिया, सेतुरिया, गुदली मुरला एवं गोपालगढ़ के आडिट कराये गये? यदि हां, तो वर्ष 1986 से अब तक कब-कब इन पंचायतों के आडिट कराये गये ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पंचायतों में से अधिकांश के आडिट अब तक नहीं कराये गये ? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) क्या सरकार जिन पंचायतों में अब तक आडिट नहीं हुए हैं उनमें तत्काल आडिट कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पंचायती राज अधिनियम की धारा 75 (4) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रखे और संधारित किये गये सभी लेखों की सपरीक्षा राज्य के निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा की जावेगी और राजस्थान स्थानीय निधि सपरीक्षा अधिनियम 1954 (1954 का राज अधि. 28 के उपलब्ध लागू होंगे।

(राज्य मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

परन्तु भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी ऐसे लेखों की सांकेतिक समपरीक्षा कर सकेगा। सपरीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र की जायेगी।

(2) पंचायत का आडिट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। आडिट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की है एवं आडिट हेतु नियत कार्यक्रम पर उपस्थित होकर मय सूचना के एवं रिकार्ड के आडिट कराये जाने की जिम्मेदारी पंचायत के सरपच व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव की संयुक्त रूप से है।

(3) उक्त पंचायतों के 1986 से 94-95 तक के आडिट की स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(4) यह सही नहीं है कि अधिकांश पंचायतों के आडिट नहीं हुए है किन्तु उक्त पंचायतों में से कतिपय वर्षों के आडिट नहीं हुए हैं जिसके लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट–(ब) में अंकित है। क्योंकि इन ग्रुप सचिव (ग्राम सेवकों) द्वारा अंकेक्षण दल को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(5) स्थानीय पंचायत समित का स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा दिनांक 17.7.96 से आडिट हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अनुरूप समस्त ग्राम-पंचायतों को आडिट कराने हेतु दिनांक 18.7.96 से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट–स)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) की "जनताजल" योजना

550 **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में "जनता जल योजना" के अन्तर्गत किन–किन गांवों की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा किन गांवों में यह योजना प्रारम्भ हो गयी है तथा किन–किन गांवों में यह योजना किन–किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हुयी है ? प्रारम्भ नहीं होने के कारणों सहित गांव वार मय पंचायत के नाम पृथक्–पृथक् दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के पास उक्त क्षेत्र के गांवों में उक्त योजना प्रारम्भ करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस-किस गांव को कब से ? क्या सरकार इन्हें स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संदर्भित निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित ग्रामों हेतु जनता जल योजनाएं स्वीकृत की गयी :—

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

1. सेला नाई
2. माकडादेव
3. कथानिया

उपरोक्त तीनों ग्रामों की योजनाओं पर कार्य वर्ष 1995–96 में प्रारम्भ कर दिये गये थे एवं वर्तमान में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त फलासिया निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव में योजना स्वीकृत नहीं की गयी।

(2) उपरोक्त तीनों ग्रामों के अतिरिक्त हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम मांदडी हेतु उक्त योजना के प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उदयपुर के कार्यालय में प्रारम्भिक जांच की प्रक्रिया में है।

जिला राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के एनीकट एवं तालाब

551. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले में दो मीटर से ऊंचा ऐनीकट/तालाब बनाने पर रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो क्यों व कब से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रोक हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में जिसमें राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों का आंशिक क्षेत्र भी सम्मिलित है, नई जल भण्डारण योजनाएं प्रस्तावित करने एवं उनके निर्माण करने पर मुख्य अभियन्ता सिंचाई, राजस्थान के आदेश क्रमांक 1321–ए दिनांक 27-6-89 द्वारा रोक लगाई गई थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1 (2) सिंचाई/मा. क./92–11 दिनांक 28-5-94 द्वारा उक्त कैचमेन्ट क्षेत्र में नदी/नालों के निम्नतम स्तर से दो मीटर से अधिक ऊंचा एनीकट/तालाब बनाने पर रोक लगाई गई है। इन दोनों आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "1" व "2" पर संलग्न है। उक्त रोक को लगाने का उद्देश्य बीसलपुर बांध की आंकी गई जल उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव को रोकना है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त कारण से बीसलपुर बांध में कैचमेन्ट क्षेत्र में स्थित नदी/नालों के निम्नतम स्तर से दो मीटर से अधिक ऊंचे एनीकट बनाने पर लगी रोक को हटाने का सरकार का विचार नहीं है।

Government of Rajasthan
Irrigation Department

No. Dated.

From,

The Chief Engineer,
Irrigation Rajasthan,
Jaipur.

To,

The Addl. Chief Engineer,
Irrigation Zone, Jaipur/Jodhpur/Udaipur/Kota.

The Director,
Minor Irrigation Scheme,
Jaipur.

Sub :—Hydrological studies for Bisalpur Irrigation Cum drinking supply project.

Sir,

In connection with above I am directed to request you not to propose/construct any New project in the entire Banas basin catchment upstream of Bisalpur dam site.

Yours faithfully,
Sd/-
Superintending Engineer & TA (W),
to Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur.

राजस्थान सरकार
सिचाई विभाग

क्रमांक :— प. 1 (2) सि/मा. क./92–पार्ट-II जयपुर, दिनांक 28-5-94

आज्ञा

बीसलपुर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में नदी/नालों पर एनीकट निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है बशर्ते निर्मित किये जाने वाले ऐसे एनीकटों की ऊंचाई नदी/नालों के निम्नतम स्तर से किसी भी अवस्था में 2 मीटर से अधिक न हों।

आज्ञा से,
ह./
(आर. सी. अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, सिचाई

निर्वाचन क्षेत्र खैरवाड़ा (उदयपुर) में निगम की बसों का संचालन

552. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर से कोटड़ा वाया-खैरवाड़ा–बावलवाड़ा, सोम मार्ग एवं डूंगरपुर से फलासिया वाया खैरवाड़ा से राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें चलाने की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो अभी तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम की ओर से उक्त दोनों मार्गों पर बस चलाने के लिये परमिट के लिये आवेदन किया है ? यदि हां, तो कब ? अभी तक परमिट जारी न होने के क्या कारण रहे तथा सरकार अब कब तक परमिट जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) निगम के डूंगरपुर आगार द्वारा डूंगरपुर से फलासिया वाया खैरवाड़ा–बावलवाड़ा–सोम मार्ग पर दिनांक 6-7-96 से एक वाहन का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। उदयपुर आगार द्वारा भी एक वाहन सेवा का संचालन इस मार्ग पर प्रारम्भ कर दिया गया है। सोम तक यह सेवा होने से, कोटड़ा जाने हेतु उदयपुर से कोटड़ा की चार सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

(2) डूंगरपुर से फलासिया वाया खैरवाड़ा–बावलवाड़ा–सोम के चार परमिट निगम को दे दिये गये हैं। डूंगरपुर से कोटड़ा सीधी बस सेवा प्रारम्भ करने का वर्तमान में निगम का विचार नहीं है।

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 390 का विवरण

पंचायत समितिवार लक्ष्य, स्वीकृति एवं वितरण का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	लक्ष्य	स्वीकृत	वितरण
1.	राजसमंद	64	69	36
2.	खमनोर	55	55	33
3.	रेलमगरा	21	21	14
4.	आमेट	18	18	6
5.	देवगढ़	11	11	3
6.	कुम्भगढ़	13	13	9
7.	भीम	14	9	4
	योग :—	196	196	105

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 393 का विवरण

वर्ष 1994—95 व 1995—96 में नगर पालिका कानोड़ में हुई चुंगी चोरी व नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मारपीट, शास्ति व चुंगी वसूली का विवरण

चुंगी चोरी के प्रकरण		शास्ति (जुर्माना) व चुंगी वसूली की राशि			वर्ष 1994–95 नगरपालिका कर्मचारियों के साथ मारपीट का प्रकरण	प्रथम सूचना रिपोर्ट जिनके विरुद्ध दर्ज करवायी गयी
क्र. सं.	वस्तु	चुंगी	शास्ति	योग		
1. श्री रामचन्द्र	पट्टिया	10/–	100/–	110/–	1. श्री केशवलाल सब नाकेदार	श्री उदयलाल गिरधारीलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी बामनिया प्रथम सूचना सं. 5/95 धारा 332, 333
2. श्री सलीम	ईंट	3/–	50/–	53/–		
3. मै. हिम्मत किराना स्टोर	किराना	17/–	170/–	187/–		
				350/–		
वर्ष 1995–96						
1. ऋषभ जैन	नाइलोन	25/–	250/–	275/–	1. फूलचन्द मेघवाल नाका गार्ड	1. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री भंवर लाल धींग, प्रथम सूचना रिपोर्ट
2. ललित जैन	डीजल	24/–	240/–	264/–	2. जुगल किशोर ठेका प्रथा पर	

1	2	3	4	5	6	7
3. बुहरानी स्टोर	हार्डवेयर	22.00	225/–	247.50	कार्यरत	46/95 धारा 332, 333,
4. विक्रमसिंह	चांदी	100/–	1000/–	1100/–	3. युगल किशोर ठेका प्रथा पर	3/10 एस. सी. एस. टी.
5. तुलसीराम	मावा	5/–	50/–	55/–	कार्यरत	2. विक्रमसिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट
6. हरीश मानावत	गैस चूल्हा	31/–	310/–	341/	4. घनश्यामलाल शर्मा, नाकागार्ड	150/95 धारा 332, 353
7. पन्नालाल	पंखा	70/	700/	770/		3. शिव प्रसाद पुत्र श्री परसराम
8. गौतमलाल	एस्कोर्ट	5/	50/	55/		स्वर्णकार प्रथम सूचना रिपोर्ट
9. घनराज	एस्कोर्ट	5/	50/	55/		क्रमांक 161/95 धारा 332,
10. गनी मोहम्मद	घड़ीपार्ट्स	5/	50/	55/		353, 341
11. वास्तव जी	रेडियो पार्ट	7/	70/	77/		4. निर्भयसिंह राजपूत प्रथम सूचना
12. रजनीकांत	चूड़िया	5/	50/	55/		रिपोर्ट क्रमांक 28/95 धारा
13 भैरूलाल	पानमसाला	10/	100/	160/		332, 353, 392
14. रामलाल	चप्पल	17.10	170/	187.10		
15. दुर्गा राठी	चांदी	8/	80/	88/		
16. हीरालाल	चांदी	20/	200/	220/		
17. भमरा	मावा	10/	100/	110/		
18. त्रिलोकसिंह	रेडियोपार्ट	5	50/	55/		
19. हिम्मतसिंह	रेडियोपार्ट	20/	200/	220/		
20. शम्भू	मैथी	5/	50/	55/		
21. चुन्नीलाल	मिट्टी	5/	50/	55/		

1	2	3	4	5	6	7
22. गुलाब	गेहूं	5/	50/	55/		
23. उत्तमचन्द	रेडियोपार्ट	13/	130/	143/		
24. ओम प्रकाश	चांदी	14/	140/	154/		
25. अनिलम	इलै.पार्टस	10/	100/	110/		
26. उदयलाल	लोहा	10/	100/	110/		
27. महेंद्र	रे.पार्ट्स	5/	50/	55/		
28. बसन्तीलाल	मावा	5/	50/	55/		
20. झमकलाल	मावा	7/	70/	77/		
30. बी. आर. माहेश्वरी	होजरी	8.45	34.50	92.95		
31. राजेश	हींग	10/	100/	110/		
		492.05	4919.50	5411.55		

नगर पालिका कानोड़ के निर्वाचित पार्षद एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत मामले का विवरण

नगर पालिका कानोड के उप सभापति श्री परसराम जी स्वर्णकार के पुत्र श्री शिव प्रसाद के विरुद्ध दिनांक 5.11.95 को उनकी दुकान के पास बिना चुंगी चुकाये आयात की गयी चांदी प्रकरण में युगल किशोर ठेका प्रथा पर कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट करने एवं आयातकर्ता को मय माल के भगा देने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 161/95 धारा 332, 353 एवं 341 के तहत दर्ज करायी गयी थी।

नगर पालिका कानोड के पार्षद एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत परिवाद का विवरण

पार्षद का नाम	पारिवारिक सदस्य का नाम	प्रकरण जो पंजीबद्ध हुआ
1. परसराम स्वर्णकार	श्री शिव प्रसाद स्वर्णकार	चुंगी चोरी एवं मारपीट का प्रकरण सं. 161/95 धारा 332, 353 एवं 341 के तहत दर्ज हुआ।

नगर पालिका मीण्डर में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में चुंगी चोरी, चुंगी एवं जुर्माना राशि की वसूली, नगर पालिका कर्मचारी के साथ मारपीट के पंजीबद्ध प्रकरण तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का विवरण

वर्ष	चुंगी चोरी प्रकरण		चुंगी एवं जुर्माना राशि की वसूली			न. पा. कर्मचारियों के साथ मारपीट के पंजीबद्ध प्रकरण	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के प्रकरण
			चुंगी	शास्ति	योग		
1994-95	0		—	—	—	—	—
1995-96	3	1.	20/	200/	220/	—	—
		2.	1455/	14550/	16005/	—	—
		3.	100/	1000/	1100/	—	—
			1575/ .	15750/	17325/		

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 394 का विवरण

नगरपालिका हिण्डौन के गन्दे नाले की सफाई पर स्वीकृत एवं व्यय की गयी राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	अनुदान की राशि (लाखों में)
1.	1992–93	10.00
2.	1993–94	5.00
3.	1994–95	5.00
4.	1995–96	39.89
	कुल	59.89

उक्त राशि में से अब तक व्यय की गई राशि

	आवंटित राशि	व्यय राशि
सार्वजनिक निर्माण विभाग	48.00 लाख	20,17,454.00
नगरपालिका, हिण्डौन	11.89 लाख	5.33 लाख

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 396 की प्रति

Prakash Shukla S/o
S/h Laxmi chand Sukla
Rto. Jaipur

VERSUS

State of Rajasthan
and others.

Peitioner — Respondents

Date of Order : 28-2-1985.

Hon'ble Mehta J.

Shri K. C. Sharma for the Petitioner

Shri Rajendra Tiwari for Respondent no. 2.

Heard learned counsel for the parties. None put in appearance on behalf of the State. Mr. Tiwari put in appearance on behalf of Municipal council. It is the obligatory duty of the Municipal Council to remove the encroachment especially in the public thoroughfare. The Municipal Council is directed to remove the encroachment immediately in accordance with the provisions of law.

Sd/-
D. L. MEHTA J.

श्रीमान रिट याचिका में कोई भी सम्बन्धित व्यापारी पक्षकार नहीं है और ना ही माननीय न्यायमूर्ति श्री मेहता साहब ने इकडालिया या बरामदा के सम्बन्ध में यह निर्णय दिया है कि इकडालिया या बरामदा सरकारी मार्ग है या सार्वजनिक आमदरफ्त का रास्ता है और न इसको अतिक्रमण ही माना है और ना यही ही माना है कि दुकानदार अतिक्रमणी है बल्कि आदरणीय न्यायमूर्ति श्री मेहता साहब ने आदेश में यह कहा गया है कि नगर परिषद यह वैधानिक दायित्व है कि सार्वजनिक रास्ते विशेषत: आमद-रफ्त (पारोपेपर) पर अतिक्रमण न हो और ऐसे अतिक्रमणों को घटाया जाय। जबकि बरामदे कभी "पारोपेपर" नहीं।

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 400 की सूची

गत छः माह में उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर से प्राप्त आवासीय कालोनियों की सूची

क्र. सं. 1	उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के पत्रांक 2	कार्यालय में पत्र प्राप्ति दिनांक 3	योजना का नाम, ग्राम व खसरा नम्बर 4	निस्तारण दिनांक 5	विशेष विवरण 6
1.	10335 दि. 7-12-95	23-12-95	ग्राम नया नगर के ख. नं. 401 (भंवर कॉलोनी)	23-3-96	स्वीकृत
2.	10576 दि. 14-12-95	23-12-95	ग्राम नया नगर के ख. नं. 754, 762 (कल्याण कॉलोनी)	23-3-96	स्वीकृत
3.	766 दि. 29-1-96	26-2-96	ग्राम नया नगर के ख. नं. 38/1, 44, 41 की प्रस्तावित कॉलोनी	27-3-96	स्वीकृत
4.	1956 दि. 26-2-96	29-2-96	ग्राम गढीथोरियान के ख. नं. 1302, 1303, 1237 (गुणरतन सुरीश्वर कॉलोनी)	27-3-96	स्वीकृत
5.	573 दि. 19-1-96	27-1-96	ग्राम सेदरिया के ख. नं. 15 (आदिनाथ कॉलोनी)	27-3-96	स्वीकृत
6.	2007 दि. 28-2-96	15-3-96	ग्राम गोविन्दपुरा के ख. नं. 371/, 416, 417, 420, 421, 422 (महावीर कॉलोनी)	27-3-96 22-6-96	स्वीकृत
7.	6515 दि. 17-5-96	18-5-96	ग्राम नया नगर के ख. नं. 71 मि, 75 मि., 76 मि., 92 मि., 93, 94, 95 मि., 100 मि., 102 मि., (बजरंग कॉलोनी)	15-6-96	स्वीकृत
8.	निल दिनांक निल	1-6-96	ग्राम सेदरिया के ख. नं. 113 (श्री जय महावीर कॉलोनी)	15-6-96	स्वीकृत
9.	10046 दि. 21-11-95	6-1-96	ग्राम नया नगर के ख. नं. 1092 (ब्रह्मपुरी कॉलोनी)	23-6-96	स्वीकृत
10.	2006 दि. 28-2-96	8-3-96	ग्राम रामसर बलाईयान के ख. नं. 136/1, 136/2, 135 व 137 (श्री गणेश कॉलोनी)	27-3-95	अस्वीकृत

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 407 की सूची

Provided that the allottee may deposit the said amount within the next 30 days but @ interest 15% per annum, shall be charged with effect from the date of allotment failing which the allotment of land shall automatically stand cancelled.

30["Provided further that the Chairman may regularise such allotment of land (withdrawing the automatic cancellation within a period of one year from the date of said automatic cancellation if the allottee is prepared to pay the full amount of cost of land plus interest 15% per annum upto the day of regularisation of allotment of land and in addition also an amount of penalty at the following rates :—

(a) Upto six months	5%	of the amount
(b) more than Six months	19%	remaining unpaid.

31[(ii) After the expiry of the period one year from the date of the said automatic cancellation, the Chairman shall have no power to regularise such allotment of land, but the trust will have power to extend this period by one year more on payment by the allottee, the amount of cost of land plus interest and penalty as provided in clause (i) above]

32 [X X X]

NOTES

Applicability of Rule 17 (5).

When plot itself was not available for allotment, application under R. 17 (5) is out of question. The provisions of R. 17 (5) of the Rules can only be attracted when the plot is available for allotment and the applicant is guilty of laches. Held that argument that the

---

30. Substituted vide Notification dated 19-2-1987, ibid.
31. Substituted vide Notification dated 19-2-1987, ibid.
32. Deleted vide Notification dated 19-2-1987 ibid.

allotment made in favour of the respondent had automatically come to an end as per the provisions of R. 17(5) of the Rules, has no force and it is rejected. (Para 12, 13) [Urban Improvement Trust, Jodhpur v. Laxmi Chand Bhandari, 1991 (2) WLC (Raj.) 231 (D.B.)]

(6) Resale of plot-condition thereof :—(a) A person who has been allotted a plot at concessional rates shall not transfer the plot before the expiry of 10 years from the date of allotment and transfer after the expiry of 10 years shall be subject to such levy or impose as may be prescribed from time to time by the Government in this behalf.

(b) If any person has sold his plot in contravention of the provisions of these rules, by whatever method, the plot shall stand forfeited to the Trust without any liability for compensation and allottee shall not be eligible for allotment of a plot in future.

(c) If person who has not constructed a building within two years from the date of allotment the plot so allotted to him shall stand cancelled and the allottee shall not be eligible for allotment of a plot in future.

18. Allotment of land to Public and Charitable Institutions :—(1) No land shall be allotted for a price less than the sanctioned reserve price except for categories covered under Rule 17. Provided that lands for schools and other public and charitable institutions may be allotted on payment on 50% of the sanctioned reserve price.

33['or with the prior permission of the State Government free of any charge or at concessional rates']

(2) If any land is required by the Government from the Trust the following price shall be paid by Government :—

(a) Cost of land, if the land was acquired by the Trust by making compensation and cost of development of plot-20% to cover administrative other establishment charges to the Trust.

(b) In case of Nazool land, the Government shall pay only the cost of development plus 20% to cover the establishment and administrative charges to the Trust.

---

33. Added vide Notification dated 14-11-77, ibid..

(c) If the land required by the Government was already developed before it was transferred to Trust, no development charges shall be payable but if any additional development has been undertaken by the Trust that development charge plus 20% thereof-shall be paid by Government to the Trust.

(d) Above mentioned principle shall also apply in case of land belonging to the Trust if allotted to Universities or other statutory or non-statutory bodies under Government orders.

19. Allotment of land to Institutions other than Charitable and Public Institutions :—Land shall be allotted to institutions other than public and charitable institutions on the following terms and conditions provided that the land shall revert to the Trust in case these conditions are not fulfilled by the allottee :—

(1) That the institution shall be registered under the Societies Registration Act, 1960 (Act No. 20 of 1960).

(2) That the institution is a non-commercial concern and does not intend to derive any commercial benefit out of the land allotted to it or out of the building constructed over the plot so allotted.

(3) That the land shall be allotted to such institution on the reserve price.

(4) The land so allotted shall not be put to any commercial utility.

(5) That the institution to whom such land is allotted has not acquired any land either by allotment or otherwise at the place in the State where the land is proposed to be allotted.

(6) That no land shall be allotted in the area which have commercial utility.

(7) That the institution shall complete the construction of the building for which the land is allotted within a period of two years from the date of which it is allotted.

(8) That the land so allotted shall not be transferable either by sale or otherwise to anyone, or liable to any encumbrances before or after the completion of the building without permission of the Trust.

(9) That where no construction is completed within the time prescribed under condition No. (7) the allotment shall be liable to cancellation or such institution shall surrender the land back immediately and the Trust may refund 3/4th of the cost of such land paid by the allottee.

20. Grant of sale deed and licence :—(a) Sale-deed for the land shall be issued by the Trust only when terms and conditions of the lease agreement have been complied with by the purchaser/allottee and that 2/3rd of the maximum permissible covered area has been constructed on ground floor.

सूची

योजना :— नाहरी का नाका पूर्व योजना

भूखण्ड संख्या 1	भूखण्डधारी का नाम व पता 2
962	श्री उमाशंकर शर्मा पुत्र श्री कल्याण मल 04 जी—10 हाउसिंग बोर्ड क्वाटर, नाहरी का नाका जयपुर ।
828	श्री ज्ञान दत्त सिद्ध पुत्र श्री सूरजनारायण, मिश्र राजाजी का रास्ता, जयपुर ।
1001	श्री भागचन्द जैन, 1836 सेंथलीवालों का रास्ता, रावत मिष्ठान भण्डार के सामने, जयपुर ।
678	श्री राधेश्याम गोटेवाला, नाहरगढ़ रोड़ नीमड़ी की पुलिस चौकी के पास चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर ।
649	श्री नरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, मार्फत शिवराम भाभाई, सांगानेरी गेट के अन्दर, शिकारियों का रास्ता, जयपुर ।
668	श्री माले खां पुत्र श्री भूरेखां, नाहरी का नाका पूर्व (नया जालूपुरा) जयपुर ।

1	2
429	श्री भीखा पुत्र श्री वीरचन्द, नाहरी का नाका, पूर्व जयपुर।
408	श्रीमती जानकी बाई पत्नि श्री नारायणदास मार्फत गोपी चन्द, तम्बाकूवालों की बिल्डिंग, नाटाणियों का रास्ता, जयपुर।
ए–32	डा. बी. सी. संगल, प्रोफेसर ऑफ पैथोलोजी, एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर।
ए–42	श्री घनश्याम दास खीची/श्री भंवर जी, 542 शास्त्री नगर, सुभाष कालोनी, जयपुर।
ए–8	श्री कैलाश चन्द मार्फत ई-48, शास्त्री नगर, जयपुर।
ए–26	श्रीमती ललिता देवी पत्नि श्री एस. के. बाजोरियां, सी-3/ए-1 बी, सवाई जयसिंह लाइन, बनीपार्क, जयपुर।
804	श्रीमती चन्द कुमारी, चापवत जी का मन्दिर, जौहरी बाजार, जयपुर।
ए–1	श्री बन्शीधर एवं नवल किशोर सैंकिया सौंकिया का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।
763	कु. अरूणा शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द, चापवत जी का मन्दिर, जौहरी बाजार, जयपुर।
992	श्री नरेन्द्र नाथपुरी पुत्र श्री गुरूचरणदास खजानों वालों का रास्ता, जयपुर।

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची

जन स्वा अभि. विभाग उपखन्ड भोपालगढ़ में पिछले पांच वर्षों में योजनावार प्राप्त राजस्व वसूली सूची

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5	6	7
1.	रामचोकी बुचेटी	26223	26350	27973	13230	29266
2.	आसोप	64845	68042	71941	73202	81699
3.	रजलानी	75776	29533	23780	23881	27174
4.	बरनी खुर्द	12854	17223	18022	27983	27143
5.	भोपालगढ़	132506	148821	120839	140438	131721
6.	रतकूडिया	202868	156976	129678	135968	130852
7.	खारिया खंगार	23156	22792	22400	12547	22458
8.	नाड़सर	22830	25600	28314	28845	30957
9.	पीपाड़ रोड़ (सालवा खुर्द)	—	18674	25515	24224	36992
	कुल योग	561058	514010	460542	400318	510262

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 410 की प्रति

राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल विभागीय समिति अधीनस्थ लेखासंवर्ग

माननीय श्रीमान भैरोंसिंह जी शेखावत,
मुख्य मन्त्री, राजस्थान,
जयपुर।

विषय :—वित्तीय सलाहकार एवं मु. ले. अ. संगठन में व्याप्त अनियमितताएं।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समिति द्वारा अनेक बार उच्च अधिकारियों को वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधक मण्डल, जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु निवेदन किया जा चुका है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

आपका व्यक्तिगत ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित किया जाकर निवे-है कि आप अपने स्तर पर इसकी जांच कराने का श्रम करेंगे।

1. जन स्वास्थ्य अभि. विभाग के विभिन्न खण्डों, उपखण्डों के आंतरिक जांच प्रतिवेदन जिनमें करोड़ों रुपये की वसूली व गबन के प्रकरण हैं, पूर्व प्रमुख शासन सचिव श्री पी. एन. भण्डारी जी के आदेशानुसार राज्य सरकार को नहीं भेजे जा रहे हैं।

2. बिना राज्य सरकार की अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये एवं पद न होते हुए भी कनिष्ठ लेखाकार के पदों के विरुद्ध मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।

3. कनिष्ठ लिपिकों के सीधी भर्ती के पदों पर बिना राज्य सरकार की अनुमति के 100% पदोन्नति से भर दिये गये।

4. महालेखाकार के जांच प्रतिवेदनों में पदोन्नति पर आपत्ति करते हुये वसूली के आदेश दिये गये हैं जिसे दबा दिया गया है।

5. विभाग का निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा 1982 से आज तक न तो अंकेक्षण कराया गया न ही भण्डार का भौतिक सत्यापन कराया गया है जिसमें लाखों रुपये का घोटाला है।

6. कार्यालय के लिये उपलब्ध भवन का किराया 8000/- रु. से बढ़ाकर अभी हाल ही में पिछले वर्ष 1993 से 28000/- रु. कर दिया गया जबकि इस भवन से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाला नया भवन लगभग 25000/- रु. किराये में उपलब्ध था।

ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनसे भ्रष्टाचार एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही की बू आती है अतः इनकी जांच कराने का श्रम करायेंगे।

भवदीय,
ह./-
(दिनेश शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :—
श्रीमती कृष्णा भटनागर
प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 411 की सूची

भीलवाड़ा जिले में स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण

क्र. सं.	(अ) तहसील/ (ब) कस्बा	कुल स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या	22वें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में खराब पाये गये हैण्डपम्प की संख्या (मरम्मत योग्य)	सुधारे गये हैण्डपम्पों की संख्या	नकारा हैण्डपम्प की संख्या	सूखे हैण्डपम्प की संख्या	मौके से हटाये गये हैण्डपम्प की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
	(अ) ग्रामीण क्षेत्र						
1.	माण्डल तहसील	876	450	432	35	14	30
2.	भीलवाड़ा तहसील	706	410	432	6	55	3
3.	सहाड़ा तहसील	438	260	256	7	14	7
4.	रायपुर तहसील	400	215	211	10	24	2
5.	माण्डलगढ़ तहसील	873	438	438	11	24	10
6.	बनेड़ा तहसील	533	289	285	3	16	3
7.	शाहपुरा तहसील	621	352	346	3	—	—
8.	जहाजपुर तहसील	712	380	319	38	17	14
9.	हुरडा तहसील	385	238	224	3	—	—
10.	आसीन्द तहसील	945	384	384	28	26	25
11.	कोटड़ी तहसील	577	430	426	1	16	—
	योग	7066	3846	3726	145	206	94

1	2	3	4	5	6	7	8
(ब) शहरी क्षेत्र							
	1. भीलवाड़ा नगर	801	462	448	17	—	15
	2. माण्डल नगर	85	43	43	2	1	2
	3. माण्डलगढ़ नगर	93	71	71	2	1	2
	4. गंगापुर नगर	71	32	28	10	5	5
	5. बिजौलियां नगर	27	32	32	—	2	—
	6. शाहपुरा नगर	68	58	57	5	2	3
	7. जहाजपुर नगर	53	42	30	5	—	—
	8. गुलाबपुरा नगर	101	96	94	5	—	—
	9. आसीन्द नगर	66	54	52	5	—	—
	योग	1365	890	855	51	11	27

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 424 की प्रति

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ. 15 ( ) ग्राविष/पुर्नसीमा/91/687 जयपुर, दिनांक 15-8-91

अधिसूचना

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से पंचायत समिति, बामनवास जिला सवाई माधोपुर का मुख्यालय बामनवास से पिपलाई मोड धर्मशाला में स्थानान्तरित करती है।